तृतीय वर्ष कला (हिंदी)

सत्र - V (CBCS)

प्रश्नपत्र क्र. - VIII

भाषा विज्ञान : हिंदी भाषा और व्याकरण

(Linguistics : Hindi Language and Grammar)

विषय कोड : 97136

© UNIVERSITY OF MUMBAI

डॉ. सुहास पेडणेकर
कुलगुरू
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई

प्राध्यापक रविन्द्र कुलकर्णी
प्रभारी कुलगुरू
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई

प्राध्यापक प्रकाश महानवर
संचालक
दूर व मुक्त अध्ययन संस्था
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई

प्रकल्प समन्वयक : **प्रा. अनिल आर. बनकर**
सहयोगी प्राध्यापक
इतिहास विभाग एवं कला शाखा- प्रमुख,
दूर व मुक्त अध्ययन संस्था, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई

अभ्यास समन्वयक एवं संपादक : **डॉ. अनिल गो. चौधरी**
सहायक प्राध्यापक
दूर व मुक्त अध्ययन संस्था,
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई - 400098.

लेखक : **डॉ. महात्मा पांडेय**
हिंदी विभाग,
साठे महाविद्यालय, विले पार्ले (इ),
मुंबई - 400057

डॉ. सुधीर चौबे
हिंदी विभाग,
के.सी. महाविद्यालय, चर्चगेट,
मुंबई - 400020

डॉ. दिनेश पाठक
हिंदी विभाग,
एस.आय.इ.एस. कला महाविद्यालय, सायन (प.),
मुंबई - 400022

जुलै २०२१, मुद्रण - १

प्रकाशक : **संचालक, दूर आणि मुक्त अध्ययन संस्था,**
मुंबई विद्यापीठ, विद्यानगरी, मुंबई- ४०० ०९८.

डीटीपी एवं मुद्रण
मुंबई विद्यापीठ मुद्रणालय
विद्यानगरी, मुंबई

अनुक्रमणिका

इकाई क्र.	नाव	पृष्ठ क्र.
१.	भाषा की परिभाषा और उसकी विशेषताएँ	१
२.	भाषा के विविध रूप	८
३.	भाषा परिवर्तन के प्रमुख कारण	१६
४.	भाषा विज्ञान : परिभाषा और उपयोगिता	२५
५.	भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का सामान्य परिचय	३४
६.	वर्ण विचार : उच्चारण की दृष्टि से हिन्दी ध्वनियों का वर्गीकरण	४३
७.	कारक के भेद एवं उसकी विभक्ति	५३
८.	संज्ञा : रूपांतर के आधार	६५
९.	सर्वनाम : कारक रचना	७५
१०.	विशेषण : रूपांतर के आधार	८६
११.	क्रिया : रूपांतर के आधार	९२

NAME OF PROGRAM	T. Y. B. A. (C.B.C.S.) VIII
NAME OF THE COURSE	T.Y.B.A. HINDI
SEMESTER	V
PAPER NAME	LINGUISTICS: HINDI LANGUAGE AND GRAMMAR भाषा विज्ञान : हिन्दी भाषा और व्याकरण
PAPER NO.	VIII
COURSE CODE	UAHIN–505
LACTURE	60
CREDITS & MARKS	CREDITS - 4 & MARKS - 100

भाषा विज्ञान : हिन्दी भाषा और व्याकरण

इकाई – I

- भाषा की परिभाषा और उसकी विशेषताएँ
- भाषा के विविध रूप
- भाषा परिवर्तन के प्रमुख कारण

इकाई – II

- भाषा विज्ञान : परिभाषा और उपयोगिता
- भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का सामान्य परिचय –
  (ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान)

इकाई – III

- वर्ण विचार : उच्चारण की दृष्टि से हिन्दी ध्वनियों का वर्गीकरण
- कारक के भेद एवं उसकी विभक्तियाँ
- संज्ञा : रूपांतर के आधार

इकाई – IV

- सर्वनाम : कारक रचना
- विशेषण : रूपांतर के आधार
- क्रिया : रूपांतर के आधार
  (वाच्य, काल, लिंग, पुरुष और वचन के आधार पर)

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. भाषा विज्ञान – डॉ. भोलानाथ तिवारी, किताब महल, इलाहाबाद
2. हिन्दी भाषा और लिपि – डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग
3. भाषा विज्ञान एवं भाषाशास्त्र – डॉ. कपिलदेव द्विवेदी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
4. हिन्दी भाषा का इतिहास – डॉ. भोलानाथ तिवारी, वाणी प्रकाशन, दिल्ली
5. भाषा विज्ञान की भूमिका – देवेन्द्रनाथ शर्मा, दीप्ति शर्मा, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
6. व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण – श्यामचन्द्र कपूर, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
7. व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण एवं रचना – डॉ. संतोष चौधरी, कनक सक्सेना, आस्था प्रकाशन, जयपुर
8. मानक हिन्दी व्याकरण और रचना – डॉ. हरिवंश तरुण, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली
9. हिन्दी व्याकरण – पं. कामता प्रसाद गुरु, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी
10. आधुनिक भाषा विज्ञान के सिद्धान्त – डॉ. राम किशोर शर्मा, लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली
11. हिन्दी व्याकरण और रचना – वासुदेवनंदन प्रसाद, भारती भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली
12. हिन्दी शब्दानुशासन – आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी
13. आधुनिक भाषा विज्ञान – डॉ. राजमणि शर्मा, वाणी प्रकाशन, दिल्ली
14. हिन्दी भाषा इतिहास और संरचना – डॉ. हरिश्चंद्र पाठक, तक्षशीला प्रकाशन, नई दिल्ली
15. मानक हिन्दी व्याकरण – डॉ. पृथ्वीनाथ पाण्डेय, जयभारती प्रकाशन, इलाहाबाद
16. सामान्य भाषा विज्ञान – डॉ. बाबूराम सक्सेना, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
17. हिन्दी संज्ञा सरंचना और कुछ नियम– डॉ. प्रीति सोहनी,साहित्य रत्नाकर,कानपुर
18. भारतीय साहित्य सिद्धान्त– डॉ. तारकनाथ बाली,किताब प्रकाशन,नई दिल्ली

नमूना प्रश्न पत्र

Semester – V | Course –VIII

अवधि : 03:00 घंटे | पूर्णांक : 100

सूचना : 1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
2. सभी प्रश्नों के लिए समान अंक हैं।

प्रश्न 1. भाषा के विविध रूपों की चर्चा कीजिए। 20

अथवा

भाषा परिवर्तन के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए।

प्रश्न 2. भाषा विज्ञान की परिभाषा देते हुए उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। 20

अथवा

भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का सामान्य परिचय दीजिए ।

प्रश्न 3. उच्चारण की दृष्टि से हिन्दी स्वर ध्वनियों के वर्गीकरण को सोदाहरण समझाइए। 20

अथवा

कारक के भेदों पर प्रकाश डालते हुए उसकी विभक्तियों को सोदाहरण लिखिए।

प्रश्न 4. सर्वनामों की कारक रचना को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। 20

अथवा

क्रिया में होनेवाले रूपांतर को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 5. निम्न में से किन्हीं दो विषयों पर टिप्पणियाँ लिखिए। 20

क) परिनिष्ठित भाषा

ख) ध्वनि विज्ञान

ग) उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण

घ) वचन के आधार पर संज्ञा शब्दों में रूपांतर

१

भाषा की परिभाषा और उसकी विशेषताएँ

इकाई की रुपरेखा

१.० इकाई का उद्देश

१.१ प्रस्तावना

१.२ भाषा की परिभाषा और उसकी विशेषताएँ

  १.२.१ भाषा का अर्थ

  १.२.२ भाषा की परिभाषा

  १.२.३ भाषा की विशेषताएँ

१.३ सारांश

१.४ लघूत्तरीय प्रश्न

१.५ दीर्घोत्तरीय प्रश्न

१.६ संदर्भ ग्रंथ

१.० इकाई का उद्देश

विद्यार्थी भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह जान सकेंगे।

- इस इकाई को पढ़कर विद्यार्थी भाषा क्या है, यह जान सकेंगे।
- विद्यार्थी भाषा की विभिन्न दृष्टियों से परिभाषाओं को जान सकेंगे।
- भाषा की विशेषताओं से विद्यार्थी परिचित होंगे।

१.१ प्रस्तावना

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और भाषा, मानव समाज का आधार है। समाज के लोगों से संपर्क साधने के लिए उसे वाणी की आवश्यकता होती है। इस वाणी को भाषा कहते हैं। वैसे ही पशु-पक्षियों तथा अन्य जीवों की भी अपनी भाषा होती है मगर भाषा विज्ञान में सिर्फ हम मनुष्यों की भाषा का अध्ययन करते हैं तथा उसकी विशेषताओं से परिचित होते हैं।

१.२ भाषा की परिभाषा और उसकी विशेषताएँ

१.२.१ भाषा का अर्थ :

मनुष्य समाज में रहता है तथा उसे सामाजिक प्राणी कहा जाता है। समाज में रहते हुए, उसे समाज के अन्य लोगों के साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान करना होता है। वह समाज

के लोगों तक अपनी बातें पहुँचाना चाहता और दूसरों की बातें समझना भी चाहता है। इसे विचारों का आदान-प्रदान कहते हैं। अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए हमारे पास अनेक साधन उपलब्ध है। कभी वह शब्दों या वाक्यों द्वारा अपने आपको प्रकट करता है, तो कभी संकेतो द्वारा प्रकट करता है। वैसे संकेतों आदि के द्वारा भी कुछ भावों की अभिव्यक्ति हो जाती है, परंतु भावों कों सूक्ष्म और स्पष्ट रूप में व्यक्त करने का साधन भाषा ही है। कई जगहों पर शब्दों एवं वाक्यों के अतिरिक्त संकेत द्वारा भी हम दूसरों तक अपना मन्तव्य पहुँचाने में समर्थ होते हैं। जैसे रेल कर्मचारी हरी या लाल झण्डी दिखाकर अपना काम चला लेते हैं। अनपढ़ लोगों के बीच हल्दी, सुपारी या इलायची बाँटकर वैवाहिक या शुभ सूचना की जानकारी देते है। इसी प्रकार ताली बजाकर, खाँसकर एवम् सीटी बजाकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भावाभिव्यक्ति के इन सभी साधनों को सामान्य रूप से भाषा कह सकते है, किन्तु भाषा-विज्ञान में उस भाषा को ही भाषा मानता है, जो वाणी द्वारा व्यक्त होती है और जिसका कुछ 'अर्थ' होता है।

भाषा शब्द संस्कृत की 'भाष' धातु से बना है, जिसका अर्थ व्यक्त वाणी से है। अतः हम कह सकते है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते है तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है और बोलना भी पशु-पक्षियों का नहीं, गूँगे मनुष्यों का भी नहीं, केवल बोल सकने वाले मनुष्यों का।

१.२.२ भाषा की परिभाषा:

भाषा की परिभाषा के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। अभी तक सर्वसम्मत भाषा का कोई लक्षण नहीं है। अत: भाषा की अनेक परिभाषाएँ भाषा-शास्त्रियों द्वारा दी गई है -

१. **प्लेटो के अनुसार -** प्लेटो आत्मा से बातचीत ही विचार मानते हैं, वे विचार और भाषा में थोड़ा ही अन्तर मानते है। भाषा की परिभाषा देते हुए प्लेटो कहते है - “विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है, तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं।”

२. **स्वीट के अनुसार-** “ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है।”

३. **वेन्द्रिए के अनुसार -** “भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, कर्णग्राह्य और स्पर्शग्राह्य।”

४. **ब्लॉक तथा ट्रैगर के अनुसार -**

   “A language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group operates.”

   “भाषा व्यक्त ध्वनि-चिह्नों की वह पद्धति है, जिसके माध्यम से समाज के व्यक्ति परस्पर व्यवहार करते है।”

५. **गार्डिनर के अनुसार -**

   “विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि - संकेतों का व्यवहार किया जाता है, उन्हें भाषा कहते हैं।”

६. कामता प्रसाद गुरू के अनुसार -

"भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भाँति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्ट तथा समझ सकता है।"

७. डॉ. बाबूराम सक्सेना के अनुसार -

"जिन ध्वनि चिह्नों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय करता है, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं।"

८. डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार -

"भाषा मानव के उच्चारण-अवयवों से उच्चरित, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज - विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।"

९. गुणे के अनुसार -

"ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।" अत: कहा जा सकता है कि भाषा ध्वनि और प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से किसी समाज में रहने वाले लोग परस्पर भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर आदान- प्रदान करते है।

१.२.३ भाषा की विशेषताएँ :

यहाँ 'भाषा' से आशय है, मनुष्य की भाषा से। कुछ विशेष विशेषताओं के कारण कई वस्तु अन्य वस्तुओं से अलग होती है। इसी तरह मानव-भाषा की कुछ अपनी विशेषताएँ है, जिसके कारण वह अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलग है। ये कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं -

१) भाषा यादृच्छिक होती है -

यादृच्छिक का अर्थ है 'जैसी इच्छा हो' या 'माना हुआ'। किसी भी भाषा में किसी वस्तु या भाव का किसी शब्द से सहज स्वाभाविक या तर्कपूर्ण संबंध नहीं होता और नहीं अर्थ में कोई जन्मसिद्ध निश्चित संबंध ही होता है। वह समाज की इच्छानुसार मात्र माना हुआ संबंध है। यही कारण है कि एक कथ्य के लिए भिन्न-भिन्न भाषाओं में अलग-अलग शब्द होते हैं। साथ ही एक भाषा में एक ही शब्द के अनेक पर्यायवाची भी होते हैं। जैसे 'पानी' शब्द के हिन्दी में पर्याय है जल, नीर। वहीं अंग्रेजी में 'वाटर', फ़ारसी में 'आब' और रूसी में 'वदा' का प्रयोग पानी के लिए किया जाता है। अत: कह सकते है कि सभी शब्दों के अर्थ प्रत्येक भाषा में संकेत-जन्य है।

२) भाषा सृजनात्मकता होती है -

भाषा में सादृश्य शब्दों और रूपों के सीमित होने पर भी सादृश के आधार पर हम अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार नित्य नए-नए असीमित वाक्यों का सृजन करके उनका प्रयोग करते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि नये शब्द एवं वाक्यों को श्रोता

को समझने में कोई समस्या नहीं होती है। हम हर रोज ऐसे ही नए वाक्यों और शब्दों का प्रयोग करते रहते है। यह कमाल भाषा की सृजनात्मकता का ही प्रभाव है कि सीमित शब्द और रुपों के होने पर भी हम रोज नए वाक्य की रचना करने में समर्थ है। सृजनात्मकता वक्ता और श्रोता की भाषिक क्षमता पर निर्भर होती है।

३) भाषा अनुकरण से अर्जित होती है -

मानव भाषा सामाजिक सम्पति है। कोई भी व्यक्ति जिस समाज में रहता वह अनुकरण के माध्यम से उसी की भाषा को सहज रूप से सीख जाता है। जन्म से कोई व्यक्ति कोई भाषा नहीं जानता हैं, अपने अनुकरण ग्राह्यता के कारण वह अपनी भाषा सीखता है और साथ ही अन्य कई भाषाएँ अनुकरण से सीख सकता है। वहीं दूसरी तरफ अन्य सभी जीव जंतुओं को भाषिक क्षमता जन्मजात प्राप्त होती है, वे अनुकरण करके भी किसी समाज की भाषा नहीं सीख सकते।

४) भाषा परिवर्तनशील होती है -

मानव-भाषा का एक महत्वपूर्ण गुण उसका निरन्तर परिवर्तित होते रहना है। जबकि मानवेत्तर जीवों की भाषा परिवर्तनशील नहीं होती। उदाहरण के लिए कुत्ते- बिल्ली पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक ही प्रकार की अपरिवर्तित भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं। किंतु मानव भाषा हमेशा परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि विकास परिवर्तन से ही होता है। परिवर्तन का मुख्य कारण अपूर्ण अनुकरण ही हैं। अनुकरण को अपूर्णता प्रतिक्षण भाषा में परिवर्तन लाती है। ये परिवर्तन शुरू में छोटे होते हैं, लेकिन बाद में विशाल रूप ग्रहण करके भाषा में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते है। उदाहरण के लिए, संस्कृत काल का 'कर्म' प्राकृत काल में 'कम्म' और आधुनिक काल में 'काम' हो गया।

५) विविक्तता -

मानव भाषा का स्वरूप ऐसा नहीं है, जो पूरा अविच्छन्न रूप से एक हो अर्थात मानव भाषा कई छोटे-छोटे इकाईयों से मिलकर बनती है और उसे छोटे-छोटे कई इकाईयों में बाँटा जा सकता है। उसके बाद मानव की भाषा बनती है। वाक्य शब्दों से, शब्द ध्वनियों से, ध्वनियाँ अक्षरों से, अक्षर स्वर-व्यंजन-स्वनिमों से बनते है।

जैसे- राम पुस्तक पढ़ता है। (वाक्य है)

(शब्द) - राम = र् + आ + म् + अ⟶ अलग-अलग इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है।

मानव भाषा में अविच्छन्न रूप का आवश्यकता पड़ने पर विच्छेद अथवा विश्लेषण किया जा सकता है और जानवरों की भाषा में विखण्डन संभव नहीं है।

६) द्वैतता (Duality) -

मानव भाषा में वाक्य या उच्चार के दो स्तर होते है। पहले स्तर को रूपिम कहते है जो सार्थक इकाइयाँ होती हैं, और दूसरे स्तर को स्वनिम कहते है जो निरर्थक

इकाइयाँ होती हैं। इन दो स्तरों की स्थिति को ही द्वैतता कहते हैं। उदाहरण के लिए- 'राम ने रावण को मारा।' वाक्य में राम, ने, रावण, को, मारा, पाँच सार्थक इकाइयाँ है। राम में र् +आ+म+अ चार ध्वनियाँ (स्वनिम) हैं, जिनका अपना कोई अर्थ नहीं है, परंतु ये आपस में मिलकर भाषा में सार्थक इकाइयों का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए क्, घ् ध्वनियाँ अपने आप में निरर्थक हैं, परंतु इनके कारण 'कोड़ा' या 'घोड़ा जैसे भिन्न-भिन्न अर्थ देने वाले शब्द बनते हैं।

७) भूमिकाओं का परिवर्तन -

जब हम बातचीत करते हैं, तो वक्ता श्रोता के रूप में और श्रोता वक्ता के रूप में आता रहता है। वक्ता बोलता है तो श्रोता सुनता है, फिर जब श्रोता उत्तर देता है तो वह वक्ता बन जाता है तब प्रथम वक्ता श्रोता हो जाता है। वक्ता के श्रोता बनने और श्रोता के वक्ता बनने को ही 'भूमिका परिवर्तन' नाम दिया जाता है।

८) दिक् - काल, अंतरणता -

मानव भाषा की एक विशेषता है उसका स्थान विशेष तथा समय- विशेष तक सीमित न होना है। दिल्ली में बैठकर व्यक्ति मुंबई, कोलकत्ता, लन्दन तथा पेरिस आदि नगरों की चर्चा कर सकते हैं। इसी प्रकार आज का व्यक्ति अतीत तथा भविष्य की बातों पर चर्चा कर सकता है। इस तरह मानव- भाषा कालांतरण कर सकती है। इस प्रकार मानव-भाषा स्थान और समय की सीमाओं बद्ध न होकर सभी बधनों से सर्वथा मुक्त है।

९) मौखिकता - श्रव्यता -

मानव-भाषा में मौखिक श्रव्य सरणि का प्रयोग करते हैं। मानव मुँह से बोलता और कान से सुनता है। मानव भाषा की लिखित-पठित सरणि भी मूलतः इसी पर आधारित होती हैं।

१०) असहज वृत्तिकता

जीवन की सहज वृत्तियों के लिए जैसे भूख, भय, काम-वासना आदि के लिए पशु-पक्षी अपने मुँह से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं मानव वैसा नहीं करता। इस प्रकार मानव - भाषा का सहज वृत्तियों की अभिव्यक्ति से कोई संबंध नहीं होता है। इसी आधार पर उसकी एक विशेषता असहज वृत्तिकता है।

११) भाषा पैतृक संपत्ति नहीं बल्कि अर्जित संपत्ति है -

भाषा मनुष्य को पैतृक सम्पत्ति के रूप में जन्म से ही नहीं होती है, बच्चे को अनुकरण और अभ्यास के द्वारा सीखनी पड़ती है। यदि किसी अंग्रेज बच्चे का पालन पोषण हिन्दी माता-पिता करें तो वह बच्चा हिन्दी भाषी होगा, क्योंकि वह जन्म से कोई भाषा नहीं जानता है। वस्तुतः भाषा अर्जन का कार्य तो अनवरत रूप से जीवन - पर्यन्त चलता रहता है।

ये सभी विशेषताएँ समवेत रूप से केवल मानव भाषा मिलती हैं और मानव भाषा की ये विशेषताएँ ही उसे मानवेत्तर भाषाओं से अलग करती हैं।

१.३ सारांश

सारांशतः भाषा शब्द संस्कृत की 'भाष्' धातु से बना है, जिसका अर्थ व्यक्त वाणी से है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज के अन्य लोगों के साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान करता है। अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए अनेक साधन उपलब्ध है। भाषा की विशेषताओं में केवल मनुष्य के मुख से उच्चारित रूप को ही हम भाषा कहते हैं। किसी वस्तु का नाम यादृच्छिक होता है। भाषा सृजनशील होती है। भाषा अनुकरण से अर्जित होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा छोटी-छोटी कई इकाइयों में बँटी होती है। मानव भाषा में वाक्य या उच्चार के दो स्तर होते हैं। भाषा में भूमिकाओं का परिवर्तन होता है। मानव-भाषा में मौखिक-श्रव्य सरणि का प्रयोग करते हैं। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं बल्कि अर्जित संपत्ति है। इसी तरह से भाषा की परिभाषा और उसकी विशेषताएँ का छात्रों ने विस्तार से अध्ययन किया हैं।

१.४ लघुत्तरीय प्रश्न

प्रश्न १ भाषा विज्ञान के अनुसार किसके मुख से उच्चरित ध्वनि को भाषा कहते है?

उत्तर - मनुष्य के मुख से।

प्रश्न २ भाषा किस प्रकार से अर्जित की जाती है?

उत्तर - अनुकरण से अर्जित की जाती है।

प्रश्न ३ विचारों के आदान-प्रदान को क्या कहते है?

उतर - भाषा कहते है।

प्रश्न ४ भाषा के मुख्यत कितने रूप प्रचलित है?

उतर - दो रूप प्रचलित है।

प्रश्न ५ भूमिकाओं का परिवर्तन किसकी विशेषता है?

उत्तर - भूमिकाओं का परिवर्तन भाषा की विशेषता है।

प्रश्न ६ ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करने को क्या कहते है?

उत्तर – भाषा।

प्रश्न ७ यादृच्छिकता किसकी विशेषता है?

उत्तर – भाषा।

प्रश्न ८ भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?

उत्तर – विचारों का आदान-प्रदान करना।

प्रश्न ९ भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, तो क्या होती है?

उत्तर - अर्जित।

१.५ दीर्घोत्तरीय प्रश्न

प्रश्न १. भाषा से आप क्या समझते है? भाषा की परिभाषा लिखिए।

प्रश्न २. भाषा की मुख्य्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

प्रश्न ३. भाषा की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए?

१.६ संदर्भ ग्रंथ

१) भाषा विज्ञान – डॉ. भोलानाथ तिवारी

२) भाषा - विज्ञान एवं भाषा-शास्त्र - डॉ. कपिलदेव द्विवेदी

३) सामान्य भाषाविज्ञान - डॉ. बाबुराब सक्सेना

४) भाषा विज्ञान - रमेश रावत

५) भाषा विज्ञान के अधुनातम आयाम - डॉ. अंबादास देशमुख

❄❄❄❄❄❄❄

२

भाषा के विविध रूप

इकाई की रुपरेखा

२.० इकाई का उद्देश्य

२.१ प्रस्तावना

२.२ भाषा के विविध रूप

- २.२.१ मूल-भाषा
- २.२.२ परिनिष्ठित या परिष्कृत या मानक भाषा
- २.२.३ विभाषा
- २.२.४ बोली
- २.२.५ अपभाषा
- २.२.६ विशिष्ट भाषा
- २.२.७ कूट भाषा
- २.२.८ व्यक्तिगत बोली
- २.२.९ कृत्रिम भाषा
- २.२.१० भाषा और बोली में अंतर

२.३ सारांश

२.४ लघुत्तरीय प्रश्न

२.५ दीर्घोत्तरीय प्रश्न

२.६ संदर्भ ग्रंथ

२.० इकाई का उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद निम्नलिखित मुद्दों से परिचय होगा -

- भाषा के विविध रूपों की जानकारी मिलेगी। मूल-भाषा, परिनिष्ठित भाषा, विभाषा, बोली, अपभाषा, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, व्यक्तिगत बोली और कृत्रिम भाषा की विस्तृत जानकारी होगी।
- बोली और भाषा के बीच अंतर को समझ सकेंगे।

२.१ प्रस्तावना :

संसार में अनेकानेक भाषाएँ तथा बोलियाँ बोली जाती है। लोकोक्ति है, 'चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर बानी।' जब हर आठ कोस पर भाषा में कुछ न कुछ परिवर्तन दृष्टिगत होने लगता है तो इतने बड़े संसार में कितनी भाषाएँ और बोलियाँ होगी। भाषा के अनेकता को संक्षेप में जानने का प्रयास होता है।

२.२ भाषा के विविध रूप :

भाषा वह इकाई है, जिसका संबंध मानव जाति के सबसे छोटे अवयव व्यक्ति से लेकर विश्वमानव की समष्टि तक है। संसार के एकान्त में पड़ा हुआ व्यक्ति से लेकर एक विश्व विख्यात व्यक्ति भी किसी न किसी रूप में किसी विशेष भाषा का प्रयोग करता है। आज विश्व में अनेक भाषाएँ बोली जाती है। अक्सर हम देखते है कि कुछ भाषाओं में बहुत कम समय में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही कुछ बोलियाँ, उपभाषा उपबोलियाँ बनती जाती हैं। काल-भेद, स्थान-भेद, देश-भेद, स्तर-भेद आदि पर भाषाओं की अनेकरूपता दृष्टिगोचर होती है। मुख्यतः इतिहास, भूगोल (क्षेत्र), प्रयोग, निर्माण, मिश्रण आदि के आधार पर भाषा के बहुत रूप होते हैं।

भाषा की अनेकरूपता को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें भूल-भाषा परिनिष्ठित या परिष्कृत भाषा, बोली, उपबोली, व्यक्तिगत बोली, विशिष्ट भाषा, कूट- भाषा, कृत्रिम भाषा आदि मुख्य हैं।

२.२.१ मूल-भाषा :

ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर विश्व की प्रत्येक भाषा का आधार में कोई न कोई मूल भाषा अवश्य रही होगी । मूल-भाषा कल्पना के तथ्यों पर आधारित मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि भाषा की उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन काल में उन स्थानों में हुई होगी, जहाँ बहुत से लोग एक साथ रहते होंगे। धीरे- धीरे वे ऐतिहासिक, भौगोलिक या आर्थिक आदि कारणों से इधर - उधर बिखर गये होंगे। उनकी मूल- भाषा इस विस्तार के साथ अनेक भाषाओं, बोलिओं और उपबोलियों में बँट गयी होगी। इन बोलियों और भाषा की जननी मूल-भाषा को ही कहा जायेगा। संसार में उतने ही भाषा परिवार है, जितनी मूल भाषाएँ थी । उदाहरण के लिए हम अपने भारोपीय परिवार की भाषाओं को ही ले तो भारत और यूरोप के व्यक्ति मूल रूप से किसी स्थान पर रहते थे। जनसंख्या वृद्धि और भोजन की तलाश में लोग इधर- उधर - बिखर गये होगे। शुरूआत में तो इनकी भाषाओं में एक कुछ स्थानीय अक्षरों को छोड़कर प्राय: लगभग एक-सी रही होगी। कुछ दिनों बाद नवीन स्थान पर कुछ उनका विकास हुआ होगा और तदनुकूल इनकी भाषाएँ भी अलग रूपों में विकसित या परिवर्तित हुई होगी।

२.२.२ परिनिष्ठित या परिष्कृत या मानक भाषा :

सभ्यता के विकास के साथ-साथ एक भाषा में कई बोलियों का प्रचलन शुरू हो जाता है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि किसी एक भाषाक्षेत्र की कोई एक बोली आदर्श भाषा

मान लिया जाय और पूरे क्षेत्र से संबंधित कार्यों में उसका उपयोग हो। उसे मानक या परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। इसे स्तरीय भाषा, स्टैण्डर्ड भाषा, आदर्श भाषा या टकसाली भाषा भी कहते हैं। यह भाषा का आदर्श रूप होता है। शासन, प्रशासन, शिक्षा, पत्र व्यवहार, समाचार पत्र आदि में इसी भाषा का प्रयोग होता है। शिक्षित वर्ग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं और साहित्यिक रचनाएँ इसी में होती है। भाषा का व्याकरण इसी को आधार मानकर बनाया जाता है। इस भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूप मिलते है। भाषा के मौखिक रूप में सरलता, स्वाभाविकता रहती है, लिखित रूप में कृत्रिमता और आलंकारिकता रहती है। । मानक भाषा के लिखित रूप पर मौखिक रूप की अपेक्षा प्रादेशिकता की छाप कम रहती है, क्योंकि लिखते समय-लोक अधिक सर्तक रहते है।

एक बोली जब मानक भाषा बनती है तो आसपास की बोलियों पर उसका पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। आज की खड़ी बोली ने ब्रज, अवधी, भोजपुरी सभी को प्रभावित किया है। कहीं-कहीं तो प्रादेशिक बोलियों का प्रभाव भी पड़ता है। मानक भाषा एक प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। उसका संबंध भाषा की संचरना से न होकर सामाजिक स्वीकृति से होता है। संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी और चीनी आदि भाषाएँ इसी श्रेणी में आती है।

२.२.३ विभाषा :

एक परिनिष्ठित यां आदर्श भाषा के अंतर्गत अनेक विभाषाएँ होती है। स्थानीय भेद से भाषा के प्रयोग में भेद पाया जाता है क्योंकि बहुत दूर तक किसी भाषा में एकरसता नहीं पाई जाती। भौगोलिक आधार पर एक भाषा की अनेक विभाषाएँ होती है । इसी आधार पर आदर्श हिन्दी भाषा की अनेक विभाषाएँ दृष्टिगोचर होती है । जैसे - राजस्थानी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मगधी आदि।

विभाषा का बोली से अधिक विस्तृत रूप में प्रयोग होता है। इसमें साहित्य की रचना भी होती है और यह व्याकरण सम्मत भी होती है। इसे प्रांतीय भाषा भी कहते हैं। अत: कह सकते हैं कि विभाषा का क्षेत्र भाषा से कम व्यापक एवं बोली से अधिक विस्तृत होता है। एक प्रदेश में अथवा प्रदेश के भाग में सामान्य बोल-चाल, साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा है। यह भाषा की अपेक्षा अर्द्ध विकासिक होती है तथा साहित्य भी कम ही पाया जाता है।

२.२.४ बोली :

जब कोई भाषा काफी बड़े भू-भाग में बोली जाती है तो उसके कुछ क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाते हैं, जिसे बोली कहते हैं। बोली भाषा की छोटी इकाई है। इसका संबंध ग्राम या मण्डल से रहता है। इसमें व्यक्तिगत बोली की प्रधानता रहती है। इसमें घरेलू शब्द और देशज शब्दों का भी प्रभाव रहता है । यह मुख रूप से बोल - चाल की भाषा होती है। बोली साहित्यिक भाषा नहीं होती है, साथ ही यह व्याकरण की दृष्टि से असाधु भाषा होती है। यही कारण है कि बोली लोक साहित्य, लोक गीत एवं बोल-चाल तक ही सीमित रहती है। बोली का प्रयोग करनेवाले व्यक्ति अक्सर अशिक्षित या ग्रामीण लोग करते हैं। कोई भी बोली विकसित होकर भाषा का रूप धारण कर सकती है। हिंदी जिसे आज हम बोलते लिखते हैं, वह एक समय

बोली थी। इसका विकास खड़ी बोली से हुआ है। मध्यकाल में अवधी, ब्रज, मैथिली आदि बोलियाँ साहित्य में प्रयुक्त होकर भाषा बन गई। अत: बोली भाषा से जन्य है और भाषा के साथ बोली का माता-पुत्री का संबंध है।

अन्ततः हम कह सकते हैं कि बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता का। एक भाषा की कई बोलियाँ होती है और बोली की भी कई उपबोलियाँ होती है। बोली में अपना स्थानीय रंग होता है, जिसके आधार पर पता चल जाता है कि बोलने वाला किस स्थान का है। जैसी ब्रज, अवधी और भोजपुरी के स्थानीय आधार पर अनेक रूप देखे जाते हैं।

२.२.५ अपभाषा (Slang) :

जो भाषा परिनिष्ठित और शिष्ट भाषा की तुलना में विकृत या ज्यादा अपभ्रष्ट होती उससे अपभाषा कहते हैं। यह भाषा किसी विशेष तबके के लोगों तक ही सीमित होती है। इस भाषा में परिनिष्ठित भाषा द्वारा अगृहीत मुहावरों आदि का प्रयोग होता है। अपभाषा में व्याकरणिक नियमों की उपेक्षा की जाती है। जैसे मैंने बोला कि तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। कभी-कभी तो अभद्र तथा अश्लील समझे जाने वाले शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। जैसे- अबे मुर्गी के बच्चे। अपरिष्कृत वाक्यरचना रचना का प्रयोग होता है, जैसे- मैंने जाना है।

सामान्यतः अशिष्ट, असंस्कृत, अशिक्षित, सामाजिक दृष्टि से निम्न वर्ग के लोग, समवयस्क लोग, हास्य-विनोद में अपभाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे भाषा प्रयोग से व्यक्ति के सामाजिक-सांस्कृतिक-शैक्षिक स्तर का पता चल जाता है।

२.२.६ विशिष्ट भाषा :

व्यक्ति समाज का अंग होने के नाते अपनी आजीविका चलाने के लिए विभिन्न पेशों में लगा रहता है। व्यवसाय या कार्य आदि के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों की अलग-अलग भाषाएँ हो जाती है। अत: प्रत्येक पेशे की या व्यवसाय की अपनी शब्दावली होती है। जिसे व्यक्ति दैनिक जीवन में हमेशा प्रयोग करता रहता है। ये भाषाएँ आदर्श भाषा की ही विभिन्न रूप होती है, जो अधिकतर शब्द- समूह, मुहावरे तथा प्रयोग आदि में भिन्न होती है। कभी-कभी उच्चारण सम्बंधी अन्तर भी दिखाई देता है। किसान से संबंधित शब्दावली की आवश्यकता एक पुरोहित के लिए जानना जरूरी नहीं है, तो पुरोहित के द्वारा प्रयुक्त शब्दावली से किसान का कोई वास्ता नहीं है। इस प्रकार विभिन्न व्यवसायों के आधार पर भाषा के अनेक रूप समाज में दृष्टिगोचर होते है, जैसे - किसान, मजदूर, लोहार, दर्जी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पुरोहित, मुल्ला, पादरी आदि की अपने व्यवसाय के अनुसार अलग-अलग शब्दावली होती है। इसी प्रकार विभिन्न विषयों जैसे राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन विज्ञान, भूगोल और विभिन्न विज्ञानों की अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है, जिनका प्रयोग उस विषय से संबंध रखनेवाले व्यक्ति करते हैं।

२.२.७ कूट - भाषा :

जिस भाषा में कुछ बताकर कुछ छिपाने का उद्देश्य हो, उसे कूट भाषा कहते हैं। इसके मुख्य दो उद्देश्य है - १) मनोरंजन २) गोपन।

काव्य में इसके प्रयोग का उद्देश्य मनोरंजन होता है। सांप्रदायिक सिद्धांत का निरूपण करते समय कूट भाषा का प्रयोग होता है, जैसे-कबीर की उलटबांसियाँ। गोपन रूप में इस भाषा का प्रयोग राजनीतिज्ञों, विद्रोहियों, क्रान्तिकारियों, चोरों और डाकुओं आदि में प्रचलित है। इसमें कुछ विशिष्ट शब्दों का विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। जो उन संकेतों को जानता है, वह ही इसका अर्थ समझ सकता है। ये लोग कुछ शब्दों को तोड़-मरोड़ कर तथा कुछ सामान्य शब्दों को नये अर्थों में प्रयुक्त कर, अपनी गुप्त भाषा या कूट भाषा बनाते हैं, जिनको सामान्य वर्ग न समझ सकें। इसके कुछ उदाहरण है -

१. भारतीय क्रान्ति के समय क्रांन्तिकारी बम के लिए रसगुल्ला का संबोधन करते थे।

२. राजनीतिज्ञों के के लिए तार या पत्रों में 'आन्दोलन तेजी पर हैं' के लिए 'गर्मी बढ़ रही है' का उल्लेख मिलता है।

३. चोरों की भाषा में बारात में जाने का अर्थ है - 'चोरी करने जाना', ससुराल का अर्थ है 'जेल।'

सैनिक शिबिर में शत्रु पक्ष से सावधान रहने के लिए, उनके प्रवेश को रोकने के लिए, प्रत्येक दिन सैनिकों को व्यवहार के लिए एक नया शब्द बोल दिया जाता है। जिसे वे संतरी को बता कर शिबिर के बाहर या भीतर आया जाया करते हैं, इससे कोई शत्रु वेश बदलकर रहस्य जानने के लिए घुस नहीं सकता।

कूट-भाषा के अनेक रूप हैं। कहीं पर वर्ण परिवर्तन, वाक्य-परिवर्तन, प्रत्येक शब्द के साथ कुछ अक्षर जोडते जाना, अक्षरों के लिए अंक का प्रयोग आदि होता है।

जैसे - पानी को नीपा। 'मदन' को चमचदचन।

२.२.८ व्यक्तिगत बोली :

यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्तिगत बोली कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की भाषा दूसरे व्यक्ति से अलग होती है। शब्द, शैली, स्वर-भेद, उच्चारण के आधार पर हम किसी भी आवाज को अंधरे में भी पहचान सकते हैं। व्यक्ति भेद से भाषा में भेद आता है। इस प्रकार व्यक्तियों की पृथक-पृथक ध्वनियों का विश्लेषण किया जाता है। व्यक्तिगत बोली को सामूहिक रूप प्राप्त होने पर उप-बोली बनती है। उससे बोली और विभाषा की सृष्टि होती है।

अत: कह सकते है कि व्यक्तिगत बोली सामान्य भाषा प्रयोग का वैयक्तिक रूप है, इसमें व्यक्ति विशेष के उच्चारण, भाषिक विन्यास आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस प्रकार व्यक्तिगत बोली व्यक्ति की आदत और शब्दों के चयन संबंधी वैशिष्ट्य के साथ भाषा का वैयक्तिक प्रयोग हैं।

२.२.९ कृत्रिम भाषा :

कृत्रिम भाषा परम्परागत या स्वाभावशिल नहीं है। यह भाषा की सुबोधता और सुगमता को लक्ष्य में रखकर बनाई जाती है। अतः गहन मनन चिंतन के बाद ऐसी एक भाषा बनाई गई,

जो सभी भाषाओं के लिए एक सामान्य भाषा का काम करे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए उसे प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य है हजारों भाषाओं में पाए जाने वाले भेद को मिटाना यानी भाषा-दीवार को मिटाकर विश्ववासियों के लिए एक ही भाषा रख देना। इस प्रकार की भाषा निर्माण के लिए बहुत प्रयास हुए। सैकड़ों भाषाएँ बनीं, उनमें डॉ. जमेनहाफ की बनाई 'एस्परेन्तो' भाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध रहीं। इसको कई देशों ने अपनाया तथा विज्ञापन संबंधी अन्य विषयों पर अनेक पत्रिकाएँ इस कृत्रिम भाषा में निकली। अनुवाद भी किए गए।

इस प्रकार की एक दर्जन से ऊपर भाषाएँ बनाई जा चुकी हैं, जिनमे 'इंडो', 'नोवियल', 'इंटर लिंगुआ', 'ऑक्सिडेंटल' आदि प्रमुख है। लेकिन कृत्रिम भाषा को अपनाने में कई कठिनाइयाँ आती हैं।

१) यह दैनिक जीवन के व्यवहार के लिए काम चलाऊ है, पर गंभीर विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है।

२) इसमें उच्च साहित्य का निर्माण संभव नहीं है।

३) इसमें हार्दिक मनोभावों का विवेचन या विश्लेषण संभव नहीं है।

४) यह मातृ-भाषा का स्थान नहीं प्राप्त कर सकती है।

५) भौगोलिक भेद के आधार पर ध्वनि-भेद होने से उसमें एकरूपता संभव नहीं है।

६) जीवन रस और भावात्मक लगाव के अभाव में कृत्रिम भाषा का जीवित रहना संभव नहीं है।

२.२.१० भाषा और बोली में अन्तर :

भाषा और बोली में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होता। स्थूल रूप से हम कह सकते हैं कि एक भाषा - क्षेत्र के भीतर बोलियाँ अलग- अलग लोगों द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ विभेदक विशेषताओं के साथ बोली जाती है। यदि कोई बोली किन्हीं कारणों से प्रमुखता प्राप्त कर लेती है, तब वह भाषा बन जाती है। हिन्दी जिसे आज हम बोलते लिखते है, वह एक बोली थी। इसका विकास खड़ी बोली से हुआ है। भाषा और बोली के बीच का भेद मुख्यता व्यवहार-क्षेत्र के विस्तार और अविस्तार पर निर्भर हैं। बोली और भाषा में निम्नलिखित अन्तर किया जा सकता है -

१. भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है, बोली का छोटा |
२. भाषा में प्रचुर साहित्य उपलब्ध होता है, बोली में नहीं या अत्यल्प।
३. बोली भाषा से जन्य है। अतः भाषा और बोली का माता-पुत्री का संबंध है।
४. एक भाषा की अनेक बोलियाँ हो सकती है, पर उनकी आधार भाषा एक ही होगी। इसके विपरीत भाषा बोली के अन्तर्गत नहीं आती।
५. भाषा शिक्षा और उच्चशिक्षा का माध्यम होती है, बोली लोक-साहित्य, लोक-गीत और बोल-चाल तक सीमित रहती है।
६. एक भाषाजन्य बोलियों में बोधगम्यता रहती है। ये बोलियाँ कुछ अन्तर से भिन्न होने पर भी परस्पर बोधगम्य होती है। इसके विपरीत विभिन्न भाषाओं के बीच

बोधगम्यता बिलकुल नहीं होती है। उदाहरण के अंग्रेजी भाषा का जानकार हिंदी नहीं समझ पायेगा। वहीं बोली में हरियानी भाषी पंजाबी भाषा को काफी समझ लेता है।

७. भाषा का मानक रूप होता है, किन्तु बोली का नहीं।

८. बोली व्याकरण की दृष्टि से असाधु भाषा होती है, तो वहीं भाषा का अपना व्याकरण होता है।

९. बोली भाषा की छोटी हकाई है। इसका संबंध ग्राम या मण्डल से रहता है। इसमें व्यक्तिगत बोली की प्रधानता रहती है। इसमें घरेलू शब्द और देशज शब्दों का भी प्रर्याप्त प्रभाव रहता है। यह मुख्य से बोलचाल की भाषा होती है

इस प्रकार भाषा और बोली का अन्तर भाषा वैज्ञानिक न होकर समाजभाषा वैज्ञानिक है।

२.३ सारांश :

सारांशतः 'भाषा के विविध रूप' इकाई में भाषा के प्रमुख विविध रूपों की जानकारी प्राप्त हुई। मूल- भाषा, परिनिष्ठित भाषा, विभाषा, बोली, अपभाषा, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, व्यक्तिगत भाषा और कृत्रिम भाषा की सविस्तृत जानकारी मिली। इसी के साथ भाषा के विविध रूप आपस में क्या विभिन्नताएँ रखते है, इन सबकी जानकारी प्राप्त हुई। बोली और भाषा के बीच अन्तर क्या है उसका छात्रों ने विस्तृत अध्ययन किया हैं।

२.४ लघूत्तरीय प्रश्न :

प्र १. परिनिष्ठित भाषा को और किस नाम से जाना जाता है?

उ. परिनिष्ठित भाषा को आदर्श भाषा के नाम से जाना जाता है।

प्र २. बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षाकृत क्या होता है?

उ. बोली भाषा का क्षेत्र छोटा होता है।

प्र ३. भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है?

उ. भाषा की सबसे छोटी इकाई व्यक्तिगत बोली है।

प्र ४. भिन्न-भिन्न व्यवसायिक वर्गों के लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा कौन सी होती है?

उ. भिन्न-भिन्न व्यवसायिक वर्गों के लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली विशिष्ट भाषा होती है।

प्र ५. परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग कहाँ-कहाँ करते हैं।

उ. परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग शासन-प्रशासन, शिक्षा, पत्र-व्यवहार, समाचार पत्रों आदि में करते हैं।

प्र ६. भाषा और बोली में आपस में कैसा संबंध है।

उ. भाषा और बोली का आपस में माता-पुत्री का संबंध है।

प्र ७. जो भाषा परिनिष्ठित और शिष्ट भाषा की तुलना में ज्यादा विकृत या अपभ्रष्ट होती है, उसे कौन-सी भाषा कहते हैं?

उ. अपभाषा कहते हैं।

प्र ८. कूट भाषा के कितने उद्देश्य होते हैं?

उ. कूट भाषा के मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं - १) मनोरंजन २) गोपन।

प्र ९. भारतीय क्रांति के समय क्रांतिकारी 'बम' शब्द के लिए किस शब्द का संबोधन करते थे।

उ. 'बम' शब्द के जगह पर 'रसगुल्ला' का प्रयोग करते थे।

२.५ दीर्घोत्तरीय प्रश्न :

प्र १. भाषा के विविध रूपों की चर्चा कीजिए।

प्र २. भाषा के मुख्य विविध रूप कौन-कौन से है, सविस्तार लिखिए।

प्र ३. भाषा और बोली में आप क्या समझते है? भाषा और बोली के बीच अन्तर को लिखिए।

२.६ संदर्भ ग्रंथ :

१. भाषा विज्ञान – डॉ. भोलानाथ तिवारी

२. भाषा - विज्ञान एवं भाषा-शास्त्र – डॉ. कपिल देव द्विवेदी

३. भाषा विज्ञान के अधुनातम आयाम – डॉ. अंबादास देशमुख

४. हिंदी भाषा, व्याकरण और रचना – डॉ. अर्जुन तिवारी

५. सामान्य भाषा विज्ञान – डॉ. बाबुराव सक्सेना

❄❄❄❄❄❄❄

३

भाषा परिवर्तन के प्रमुख कारण

इकाई की रुपरेखा

३.० इकाई का उद्देश्य

३.१ प्रस्तावना

३.२ भाषा परिवर्तन के प्रमुख कारण

३.२.१ भाषा परिवर्तन के आन्तरिक कारण

३.२.२ भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण

३.३ सारांश

३.४ लघुत्तरीय प्रश्न

३.५ दीर्घोत्तरीय प्रश्न

३.६ संदर्भ ग्रंथ

३.० इकाई का उद्देश्य :

प्रस्तुत इकाई में छात्र निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करेंगे।

- इस इकाई को पढ़कर विद्यार्थी भाषा परिवर्तन को अच्छे प्रकार से समझ सकेंगे।
- विद्यार्थी भाषा परिवर्तन के कारण समझ पायेंगे।
- विद्यार्थी भाषा परिवर्तन के प्रकार कौन- कौन से है, इनका परिचय प्राप्त कर सकेंगे।
- विद्यार्थी भाषा परिवर्तन के आन्तरिक कारणों के बारे में समझ पाएंगे।
- विद्यार्थी बाहरी कारण कौन-कौन से है, जो भाषा के परिवर्तन का कारण बनते है, समस्त जानकारी प्राप्त करेंगे।

३.१ प्रस्तावना :

भाषा में परिवर्तन स्वाभाविक है। भाषा में परिवर्तन के कारणों पर प्राचीन समय में विचार होता रहा है। वर्तमान समय में भी इस परिवर्तन को ध्यान रखकर समय- समय पर विवेचना होती रहती है। भाषा में परिवर्तन या विकास के कारणों को ध्यान में रखकर दो भागों में बाँटा गया है - १) आन्तरिक कारण २) बाहरी कारण।

आभ्यन्तर या आन्तरिक कारण भाषा साक्षात परिवर्तन नहीं करते हैं, अपितु परिवर्तन का कारण प्रस्तुत करते हैं तो वहीं बाह्य कारण भाषा को बाहर से प्रभावित करते हैं।

३.२ भाषा परिवर्तन के प्रमुख कारण :

परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भाषा में परिवर्तन होना ही उसका विकास या विकार है। भाषा हमेशा से परिवर्तनशील रही हैं। भाषा का विकास अथवा उसकी परिवर्तनशीलता भाषा की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। सभी जीवंत भाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसी कारण भाषा को चिरपरिवर्तनशील कहा गया है । भाषा के शब्द, ध्वनियाँ, रूप, अर्थ और वाक्य रचना में हमेशा परिवर्तन होता रहा है। इसी प्रक्रिया में हमेशा पुराने शब्द काल-बाह्य होते रहे हैं और उनके जगह नये - नये शब्द आते रहते हैं। इसी प्रकार ध्वनियों में भी अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। संस्कृत भाषा की ऋ, लृ ध्वनियों की जगह हिन्दी में ऋ का उच्चारण रह गया । आधुनिक युग में ऑ और ॲ आदि नई ध्वनियाँ विकसित हुई है। इसी तरह वाक्य और अर्थों में भी अनेक परिवर्तन हुए है। जैसे "मैने हाथी को देखा।" की जगह आजकल "मैंने हाथी देखा।" वाक्य प्रचलन में है। शब्द के अर्थ में विस्तार और संकोच होता रहा है। महाराज शब्द पहले प्रतापी राजाओं के लिए प्रयोग होता था, मगर आजकल खाना पकाने वाले रसोईयाँ के लिए भी प्रयोग में लिया जाने लगा।

अतः आज कोई भाषा उसी रूप में नहीं बोली जाती, जिस रूप में आज से एक हजार वर्ष पहले बोली जाती थी। भाषा में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर उसके कारणों के संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है, उनमें मतभेद है। उन्होंने इसके लिए कई सिद्धांत बनाये हैं, किन्तु कोई भी सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है । अत: भाषा में परिवर्तन जिन कारणों से होता है, उन्हें प्रमुखतः दो वर्गों में रखा जा सकता है।

क) आभ्यन्तर या आन्तरिक कारण

ख) बाह्य या बाहरी कारण

३.२.१ आभ्यन्तर या आन्तरिक कारण :

आभ्यन्तर कारण वे है जिनका संबंध भाषा की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से है या जो प्रयोक्ता और श्रोता की शारीरिक या मानसिक स्थिति से संबंध रखते हैं। अत: आभ्यन्तर कारणों को मौलिक कारण भी कहा जा सकता है। ये कारण भाषा के मूल में रहते हैं, अतः जाने या अनजाने भाषा में परिवर्तन का कारण बनते हैं । आभ्यन्तर कारण भाषा में साक्षात् परिवर्तन नहीं करते हैं, ये परिवर्तन के कारण प्रस्तुत करते हैं।

१) **प्रयत्न - लाघव -** भाषा में परिवर्तन करने वाले आभ्यन्तर कारणों में सबसे महत्वपूर्ण हैं, प्रयत्न - लाघव । प्रयत्न-लाघव का अर्थ है कम प्रयत्न से कम समय में अधिकतम लाभ उठाना है । मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है कि न्यूनतम श्रम से वह अधिकतम लाभ उठाना चाहता है। यह प्रवृति भाषा के प्रयोग में अधिक दिखाई देती है । जैसे - मोहनदास कर्मचन्द गाँधी - गांधीजी, उत्तर प्रदेश- उ० प्र०, टेलीविजन - टी.वी, ओझा - झा आदि प्रयत्न लाघव के उदाहरण हैं।

   प्रयत्न - लाघव के अन्तर्गत भाषा-संबंधी परिवर्तन की कई प्रक्रियाएँ होती है, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार से है - क) आगम, ख) लोप, ग) समीकरण, घ) विपर्यय, ङ) विषमीकरण, च) विकार ।

(क) आगम - 'आगम' से आशय है किसी ऐसी ध्वनि का आ जाना जो पहले से शब्द में न हो। आगम स्वर और व्यंजन दोनों हो सकते है। जैसे- सूर्य - सूरज, दवा - दवाई, गर्म - मरम, ओष्ठ - होंठ, समुद्र - समुन्दर।

(ख) लोप - लोप से आशय है जो ध्वनि शब्द में पहले से हो, उसका लुप्त जाना। जब दो संयुक्त ध्वनियों के उच्चारण में कठिनाई के कारण कुछ ध्वनियों को लोप कर दिया जाता है। लोप भी स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण - ज्येष्ठ - जेठ, दुग्ध – दूध, आम्र - आम, सप्त – सात, स्फूर्ति - फूर्ती, श्मशान – मसान।

(ग) विपर्यय - विपर्यय कां अर्थ है उलटना। इसमें किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या स्वर व्यंजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे पहले के स्थान पर आ जाते हैं।

उदाहरण - पहुँचना - चहुँपना
चिह्न – चिनह, मतलब - मतबल
लखनऊ – नखनऊ, ब्राह्मण - बाम्हन

(घ) समीकरण - जब दो भिन्नः ध्वनियाँ पास रहने से सम हो जाती है तो उसे समीकरण कहते हैं। समीकरण दो प्रकार के होते हैं -

(१) पुरोगामी समीकरण - इसमें पूर्ववर्ती ध्वनि आगे की दूसरी ध्वनि को अपने सदृश बनाती है। जैसे- कर्म - काम, पत्र- पत्ता, चक्र-चक्का।

(२) पश्चगामी समीकरण - इसमें परवर्ती ध्वनि पूर्ववर्ती ध्वनि को अपने सदृश बनाती है। जैसे- गल्प-गप्प, धर्म- धम्म, सप्त - सत्त, शर्करा – शक्कर।

(ङ) विषमीकरण - यह समीकरण का उल्टा है। इसमें दो सम ध्वनियों में से एक ध्वनि विषय रूप धारण करती है। उच्चारण की सुविधा और अर्थ की स्पष्टता के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे - कंकण - कंगन, मुकुट - मउर, काक - काग, गुरु – गरु।

(च) विकार - उच्चारण की सुविधा के लिए एक ध्वनि दूसरी ध्वनि में परिवर्तित हो जाना ही विकार कहलाता है। जैसे – हस्त - हाथ, कृष्ण - कान्हा, स्तन - थन।

इस प्रकार हम देखते है कि प्रयत्न - लाघव के कारण भाषा की ध्वनियों में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कभी-कभी हम मुख-सुख या सरलता की प्रवृति के कारण बड़े शब्दों को छोटा करके बोलते है। इसे ही संक्षेपीकरण कहते है। आजकल भारतवर्ष में भी संक्षेपीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उदाहरण हेतू बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी - B.H.U., डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट - D.M, युनाइटेड नेशन्स - U.N, रेलवे स्टेशन - स्टेशन, भारतवर्ष - भारत, आन्तरिक सुरक्षा कानून आंसुका आदि है।

२) **अपूर्ण श्रवण -** भाषा अर्जित समप्ति है, अत: इसे शिक्षकों, परिवार के लोगों से सुनकर सीखते है। यदि सुनने में ही अशुद्धि है तो अशुद्ध ही स्मरण रहेगा और उच्चारण भी अशुद्ध होगा। अतएव व-ब, स-श, इ -ई, उ-ऊ की सैकड़ों अशुद्धियां आज भाषा में प्रचलित हो गई हैं।

३) **अपूर्ण अनुकरण -** भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण करते समय सामान्यता दो बातें घटित होती हैं। या तो अनुकरण कर्ता अनुकरण करते समय भाषा के कुछ तात्विक अंश छोड़ देता है। नहीं तो अनुकरण कर्ता ज्ञात या अज्ञात रूप में अपनी ओर से कुछ अंश नया जोड़ देता है । इस प्रकार भाषा में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रचलित हो जाती है।

४) **प्रयोगाधिक्य -** जिस प्रकार अधिक प्रयोग के कारण धीरे-धीरे अन्य सभी चीजें घिस जाती है, उसी प्रकार भाषा में शब्द भी अधिक प्रयोग के कारण घिस जाते है और बहुत छोटे हो जाते है । यह भी प्रयत्न-लाघव की प्रकृति का एक रूप है ।

उदाहरण - चतुर्वेदी > चौबे, भ्राता > भ्रा > प्रा ।
आदित्यवार > इतवार, बृहस्पतिवार > बी फे ।

५) **भावातिरेक -** प्रेम, क्रोध, शोक आदि भावों में अधिकता के कारण भी शब्दों का रूप बदल जाता है ।

जैसे – भाई - भइया, बाबू – बबुआ, राम - रामू या रमुआ, कर्म – करमवा ।

६) **बलाघात -** यह भी भाषा परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आधार है। हम बोलते समय किसी शब्द वर्ण या ध्वनि पर अधिक बल देते है तो वह ध्वनि प्रबल हो जाती है और उसके आगे-पीछे की पहले ध्वनियाँ निर्बल हो जाती है और धीरे- धीरे लुप्त हो जाती है।

उदाहरण - अब + ही > अभी, सब + ही > सभी
मजदूरी > मजूरी, लौहकार > लोहार ।

७) **प्रमाद या असावधानी -** प्रमाद या असावधानी के कारण कभी- कभी शब्दों कों तोड़-मरोड़ कर प्रयोग किया जाता है, जो बाद में चलकर भाषा परिवर्तन का कारण बनते है।

जैसे- गुरू- गरु, उत्साह - उद्दाह, उपेक्षा- अपेक्षा, शाप- श्राप आदि ।

८) **नवीनीकरण की प्रवृत्ति -** मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह प्रत्येक वस्तु में कुछ नयापन लाना चाहता है, अत: भाषा में भी प्रबुद्ध वर्ग इस प्रकार का प्रयोग करते रहते है। कई शब्दों का प्रयोग हम उनके समानार्थी शब्दों के रूप में करते आ रहे होते हैं ।

उदाहरण - टेक्निकल-तकनीकी, शहस्त्र–हजार, टैजेडी-त्रासदी, कमेडी-कामदी ।

अत: कह सकते है कि अभिव्यक्ति में चमत्कार या नवीनता आदि लाने के लिए प्रबुद्ध वर्ग भाषा में इस प्रकार के परिवर्तन ला देते है।

९) **अशिक्षा -** अशिक्षा तथा अज्ञान के कारण भी अनुकरण अपूर्ण रह जाता है जिसके कारण ग्रामीण जन, अर्धशिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्ति ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। उनका दोषयुक्त अनुकरण भाषा परिवर्तन का कारण बनता है।

जैसे - वार - बार, देश - देस, शरीर – सरीर, कृष्ण - किसन, गुण - गुन, लार्ड – लाट, गार्ड - गाड़, टाइम - टेम, सिगनल -सिंगल।

अशिक्षा और अज्ञानता के कारण व - ब, श - स, य - ज, क्ष - ह, ण - न आदि ध्वनियाँ का प्रयोग होने लगा है।

१०) **लिपि की अपूर्णता -** प्रत्येक भाषा में कुछ विशिष्ट ध्वनियाँ होती हैं, जिन्हें दूसरी भाषा लिखना संभव नहीं है। विभिन्न संस्कृतियों के मिलने पर मूल भाषा की ध्वनियों में बहुत अन्तर आया है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा में राम- रामा, कृष्ण - कृष्णा, आर्य - आर्या, शुक्ल - शुक्ला लिखा जाता है, जिसके कारण ये शब्द प्रचलित हो गये और भाषा परिवर्तन के कारण बने।

११) **जातीय मनोवृत्ति -** जातीय मनोवृत्ति के अन्तर से भाषा के शब्दों और उच्चारण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक जाति की कुछ अपनी विशेषताएँ होती हैं, जो उनकी भाषा में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। उदाहरण के लिए आर्य भाषा धर्म प्रधान है, अत: उनकी संस्कुत में धर्म-कर्म से संबंधित शब्दों की बाहुलता है तो जर्मन लोग परिश्रमी और कठोर होते हैं, इसलिए उनकी भाषा में कठोरता पाई जाती है। इसी प्रकार फ्रांसीसिसी भाषा में कोमलता के भाव तो अंग्रेजी भाषा समयनिष्ठता के भाव नजर आते हैं। भारतवर्ष में भाषाओं की संख्या बहुत अधिक होने के कारण जातीय मनोवृत्ति और जातीय भेद-भाव अधिक है।

३.२.२ बाह्य कारण :

जो भाषा को बाहर से प्रभावित करते है उन्हें बाह्य कारण कहा जाता है। भाषा में कुछ परिवर्तन बाहरी कारणों से भी होता है। इनमें से भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक और वैयक्तिक कारण प्रमुख है।

१) **भौगोलिक प्रभाव -**

मनुष्य पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है तथा भाषा का आधार वाग्यन्त्र है। जलवायु फेफड़ों को प्रभावित करती है। फेफडों से निकली हुई वायु ध्वनियों का कारण है। फेफड़ों में जितना बल होगा, उतनी ही पुष्ट या अपुष्ट ध्वनि भी निकलेगी। ध्वनि का मोटा - पतला होना, सुरीला- बेसुरा होना, कर्ण सुखद या कर्णकटु होना, कठोर या मृदु होना, फेफड़ों से आने वाली वायु पर निर्भर होता है। अत: भूगोल या जलवायु को भी कारण मानना उचित है। यही कारण है कि एक मूलभाषा से वैदिक संस्कृत और अवेस्ता भाषाएँ निकली हैं। दोनों में भौगोलिक भेद से ध्वनियों में अन्तर आ गया है। संस्कृत का 'स्' अवेस्ता में 'ह' हो जाता है। जैसे - सप्त - हफ्त, सिंधु - हिन्दु, असि - अहि।

यह स्वाभाविक है कि प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव मनुष्य के बाह्य और आंतरिक विकास पर पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्रों और मरुभूमियों में रहने वाले जीविका - उपार्जन के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, अत: उनकी भाषा में माधुर्य, मीठास, लचीलापन नहीं होता। उनकी भाषा में कठोरता दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में रहने वालों को जीविका के साधन आसानी से प्राप्त होते है। उनके व्यक्तित्व - भाषा में एक अलग ही मीठास मिलती है। यहीं कारण है कि पंजाबी और बंगाली लोगों की भाषा में परिस्थितिजन्य की अधिकता और न्यूनता के कारण कठोरता और कोमलता पाई जाती है।

यदि कोई देश अपनी भौगोलिक स्थिति में इस तरह घिरा हुआ है, कि बाहरी लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो वहाँ की भाषा में उतनी गति नही मिलती। आयरलैंड की भाषा इसका अच्छा उदाहरण है। मैदानी प्रदेश में रहनवाले लोग, एक दूसरे से मिलते-जुलते रहते हैं, अत: उनकी भाषा में एकरूपता बनी रहती है। पहाड़ी प्रदेशों में आवागमन की सुविधा न होने के कारण लोग अपनी-अपनी बोलियों का प्रयोग करते हैं। इसी कारण पहाड़ों पर बोली थोडी-थोड़ी दूरी पर थोड़ी-बहुत अवश्य बदल जाती है।

अगर प्रदेश की भूमि उपजाऊ हो, तो लोगों का जीवन सुखमय होगा। परिणाम स्वरूप उनकी बुद्धी, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सक्षम होगी और साहित्य, संगीत व कला के लिए विकास अनुरूप होगा। इसके विरुद्ध पहाड़ी या जंगली लोगों की भाषा में इस प्रकार का विकास नहीं होता।

२) ऐतिहासिक प्रभाव -

भाषा के विकास में इतिहास का प्रभाव अधिक रहता है। भारतवर्ष में शक, हूण, मुगल, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज़ आये। जो शासक के रूप में आये, उन्होंने अपनी भाषा के शब्दों का प्रचार- प्रसार किया। परतन्त्र देश अपने शासक की शब्दावली को स्वेच्छा, अनिच्छा या दबाब में आकर स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार वे शब्द भाषा में चलने लगते हैं और भाषा परिवर्तन का कारण बनते है। हिंदी में अंग्रेजी से ऑ, अरबी-फ़ारसी से क़, ख़, ग़, ज़ और फ़ ध्वनियाँ हिन्दी में आ गई। हिन्दी में प्रयुक्त कुछ विदेशी शब्द है। जैसे -

फारसी शब्द -फुर्सत, ईमान, इनाम, मैदान।

अरबी शब्द - किताब, हवा, हुनर, सलाम, कत्ल।

तुर्की शब्द - कुली, चाकू, तोप, कैंची।

अंग्रेजी शब्द - स्टेशन, ऑफिस, प्रेस, स्कूल।

३) सांस्कृतिक प्रभाव -

संस्कृति को किसी जाति की अंतश्चेतना कहा जा सकता है। सांस्कृतिक संपदा किसी जाति के उत्थान और पतन का बोध कराती है। संस्कृति भी विभिन्न संस्कृतियों के मिलन से, महापुरुषों के आविर्भाव से, विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं के गठन और कार्य कलापों से प्रभावित होती हैं।

अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव सें बंगाल में ब्रह्म समाज की प्रतिष्ठा हुई। ब्रह्म समाज द्वारा भारत में पुनर्जागरण हुआ और नए-नए शब्द विकसित हुए । स्वामी दयानन्द ने अन्य भाषाओं के शब्दों के स्थान पर संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करने को कहा ।

व्यापार, राजनीति और धर्म-प्रचार आदि के कारण दो संस्कृतियों का सम्मिलन होता है। इसका भी भाषा के परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है।

४) साहित्यिक प्रभाव -

साहित्यिक प्रभाव के कारण भाषा में भी परिवर्तन होता है। हिंदी में यह प्रभाव जबरदस्त दिखाई पड़ता है। प्राचीन समय में उच्चवर्ग की भाषा संस्कृत थी। ऐसे में जनमानस अपनी बोल-चाल की भाषा में साहित्य चाहता था । महावीर और गौतम बुद्ध ने लोकभाषा को अपनाया। उनके द्वारा दिए गए उपदेश पालि, प्राकृत और अपभ्रंशों में लिखा जाने लगा। अत: जनता के लिए अब भाषा चिर-परिचित वस्तु हो गई । मध्यकाल में कबीर, सूर, तुलसी, जायसी ने भक्ति आन्दोलन में लोकभाषा का प्रयोग करके लोकतन्त्र की स्थापना की। रीतिकालिन कवियों ने प्रेम-श्रृंगार, वीर रस की रचनाएँ कर जन मानस के और नजदीक आ गये। आधुनिक काल कवियों ने हिन्दी भाषा को उसके शिखर पर पहुँचाने की हर संभव कोशिश की। अपनी ओजस्विनी भाषा से जनमानस को आन्दोलित किया। इस प्रकार साहित्य भाषा के परिवर्तन में असाधारण योगदान दिया ।

५) वैज्ञानिक प्रभाव -

विज्ञान के इस युग में नई-नई खोजों और अविष्कारों के कारण नए-नए शब्द आ रहे हैं। भाषा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टि भी विकसित हो जाने से हमारी तर्क- प्रधान दृष्टि निरंतर विकसित हो रही है। परिभाषिक शब्दावली के विकास से शब्दों के लिए संकेत शब्दों का प्रयोग बढ़ा है।

जैसे - Skt - संस्कृत, Lat - लैटिन, gk - ग्रीक, V - Verb आदि ।

६) वैयक्तिक प्रभाव :

महापुरूष और महत्वपूर्ण व्यक्ति भाषा को बहुत प्रभावित करते हैं। उनके प्रभाव से भाषा में परिवर्तन हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी को, सूरदास ने ब्रजभाषा को, दयानन्द सरस्वती ने हिंदी को बहुत प्रभावित किया । महात्मा गांधीजी के आन्दोलनों से हिंदी भाषा को बहुत अधिक बल मिला। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा को व्याकरणसम्मत और समय की माँग के अनुरूप बनाया।

७) सामाजिक प्रभाव -

भाषा समाज का दर्पण है। समाज की स्थिरता, अस्थिरता, युद्ध- शांति, जय-पराजय, पर भाषा का पूरा प्रभाव पड़ता है। शांति के समय कला, साहित्य, संगीत, धर्म और दर्शन की उन्नति होती है, तो युद्ध के समय वीरकाव्य, शूर गाथा, रणनीति, शस्त्रविद्या और सैन्यशिक्षा की उन्नति होती है। युद्ध काल में संक्षेप और संकेत चिन्हों की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती है। अतएव एन. सी. सी., पी. ए. सी, सी. आई. डी., नेफा, आई. जी., यूनेस्को आदि संक्षिप्त नामों की परंपरा चल पड़ती है।

८) सभ्यता का प्रभाव -

समाज के बाहरी रूप में सभ्यता प्रतिबिंबित होती है। समाज के बाहरी रूप में कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, कला, शिल्प, मनोरंजन, वेश-भूषा, खेल, पोशाक, नई मशीनों के लिए नए-नए नाम आते हैं। कुछ पुराने शब्द नए संदर्भ में नए अर्थ प्रदान करते हैं। कुछ पुराने शब्द अप्रचलित हो जाते हैं। इस प्रकार सभ्यता की गति के साथ भाषा भी परिवर्तन का मार्ग अपना लेती है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को आन्तरिक और बाह्य कारण दोनों प्रभावित करते हैं, जिसके कारण भाषा में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन चिरकालीन होता रहता है।

३.३ सारांश :

इस इकाई के सारांश में यह कह सकते हैं कि भाषा परिवर्तन शील है। भाषा परिवर्तन दो प्रकार का होता है आन्तरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन। उसमें प्रयत्न - लाघव की विस्तृत चर्चा तथा प्रयत्न लाघव के प्रकारों की जानकारी दी हैं। अपूर्ण श्रवण और अनुकरण में भाषा परिवर्तन की जानकारी प्रदान की गई है। बलाघात, प्रयोगाधिक्य, भावातिरेक और असावधानी के कारण ध्वनियों का परिवर्तन होना। अशिक्षा, लिपि की अपूर्णता, जातीय मनोवृति तथा नवीनीकरण कैसे भाषा परिवर्तन के कारण बनते है? इस की जानकारी दी गई है। और बाह्य परिवर्तन में भौगोलिक और ऐतिहासिक प्रभावाओं का असर, सांस्कृतिक और सभ्यता के प्रभाव के कारण भाषा में परिवर्तन होना। वैयक्तिक, साहित्यिक और सामाजिक प्रभावाओं का असर भाषा परिवर्तन में किस तरह से होता हैं उसका अध्ययन किया गया है।

३.४ लघुत्तरीय प्रश्न :

प्रश्न १. भाषा परिवर्तन के मुख्यतः कितने प्रकार है?

उत्तर : दो प्रकार होते हैं।

प्रश्न २. प्रयत्न-लाघव को और किस नाम से जानते है?

उत्तर : 'मुखसुख' नाम से जानते हैं।

प्रश्न ३. 'ऑ' ध्वनि का आगमन किस भाषा के कारण हुआ है?

उत्तर : अंग्रेज़ी के कारण।

प्रश्न ४. प्रयोगाधिक्य के कारण ओझा शब्द का नया रूप क्या है?

उत्तर : 'झा' नया रूप है।

प्रश्न ५. संस्कृत का 'स्' ध्वनि अवेस्ता में किस ध्वनि के रूप में आता है?

उत्तर : 'ह' ध्वनि के रूप में आता है।

प्रश्न ६. बलाघात के कारण अब + ही शब्द का परिवर्तित नया रूप क्या है?

उत्तर : अभी।

प्रश्न ७. प्रयत्न-लाघव का क्या अर्थ है?

उत्तर : कम प्रयास करके ज्यादा लाभ पाना।

प्रश्न ८. महापुरुष और महत्त्वपूर्ण व्यक्ति का भाषा को प्रभावित करना किस प्रभाव के अन्तर्गत आता है ?

उत्तर : वैयक्तिक प्रभाव।

३.५ दीर्घोत्तरीय प्रश्न :

प्रश्न १. भाषा परिवर्तन से आप क्या समझते है? इसके प्रमुख कारणों पर अपने विचार लिखे।

प्रश्न २. भाषा परिवर्तन के आभ्यन्तर या आन्तरिक कारणों को लिखिए।

प्रश्न ३. भाषा परिवर्तन के बाह्य कारणों की सविस्तार चर्चा कीजिए।

३.६ संदर्भ ग्रंथ :

१. भाषा विज्ञान - डॉ. भोलानाथ तिवारी

२. भाषा-विज्ञान एवं भाषाशास्त्र – डॉ. कपिल देव द्विवेदी

३. भाषा विज्ञान के अधुनातम आयाम - डॉ. अंबादास देशमुख

४. हिन्दी भाषा, व्याकरण और रचना - डॉ. अर्जुन तिवारी

५. सामान्य भाषा विज्ञान – डॉ. बाबुराव सक्सेना

❄❄❄❄❄❄❄

४

भाषा विज्ञान : परिभाषा और उपयोगिता

इकाई की रूपरेखा

४.० इकाई का उद्देश्य

४.१ प्रस्तावना

४.२ भाषा विज्ञान : परिभाषा

४.३ भाषा विज्ञान की उपयोगिता

४.४ सारांश

४.५ लघूत्तरीय प्रश्न

४.६ दीर्घोत्तरीय प्रश्न

४.७ संदर्भ ग्रंथ

४.० इकाई का उद्देश्य :

प्रस्तुत इकाई में छात्र निम्नलिखित बिंदुओं से परिचित होंगे -

- भाषा विज्ञान की परिभाषा के बारे में छात्र जान सकेंगे।
- भाषा विज्ञान की उपयोगिता क्या है, वह स्पष्ट होगा।

४.१ प्रस्तावना :

भाषा विज्ञान शब्द पश्चिम से भारत में आया है। भारत में प्राचीन काल से भाषा विषयक अध्ययन के लिए अलग-अलग शब्द प्रचलित थे। जैसे शिक्षा, निरुक्त व्याकरण, प्रतिशाख्य। ये भाषा के किसी एक अंग से संबंधित थे। भाषा विज्ञान और व्याकरण को पहले एक ही माना जाता था। हिन्दी में भाषा विज्ञान शब्द प्रचलित है। भाषा विज्ञान में दो शब्द प्रचलित है, भाषा और विज्ञान|

४.२ भाषा विज्ञान : परिभाषा

'भाषा' और 'विज्ञान' की पृथक-पृथक अर्थ मीमांसा से स्पष्ट हो चुका है कि भावाभिव्यक्ति को मौखिक साधना अथवा व्यक्त वाक् 'भाषा' है। और विशिष्ट ज्ञान स्वमत उसकी मौखिक अथवा लिपि बद्ध की ये अभिव्यक्ति ‘विज्ञान' है। मनुष्य अपनी वाक् शक्ति से ज्ञान-विज्ञान आदि अनेकानेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहचान बना चुका है। वैदिक ऋषियों ने भी भाषा और उस की कलात्मक परिणति के संकेत लिए है।

भाषा विज्ञान को बोधगम्य बनाने तथा पारिभाषिक जमीने में भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के समान कार्य किए है, यह अवश्य है कि पश्चिमी विद्वान वैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत करते हैं तो भारतीय विद्वान शास्त्रीय तर्क प्रस्तुत करते हैं।

भारतीय भाषा विदों में डॉ. मंगलदेव शास्त्री का मानना है कि "'भाषाविज्ञान' उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का, और अन्ततः भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं या बोलियों के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।"

जबकि डॉ. भोलानाथ तिवारी ने भाषा की बाहरी - भीतरी आकृति और विकासात्मक प्रक्रिया को भाषा विज्ञान कहने के पक्ष में तर्क दिया है। "भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन से हमारा तात्पर्य सम्यक रूप से भाषा के बाहरी और भीतरी रूप एवं विकास आदि के अध्ययन से है।" पुनः आगे भाषा के समग्र परिप्रेक्ष्य में 'भाषाविज्ञान' को परिभाषित करते हुए डॉ. भोलानाथ तिवारी कहते हैं "भाषाविज्ञान वह विज्ञान है, जिसमें भाषा-विशिष्ट, कई और सामान्य-का समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन और तद्विषयक सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाता है।"

सपाट किन्तु स्पष्ट अभिमत डॉ. देवेन्द्र शर्मा का मिलता है - "भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है - भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाएगा।"

समग्रतः भाषा विज्ञान भाषा के सम्पूर्ण कलेवर का अध्ययन करता है, भाषा संबंधी अनन्त सरालों का अन्तरदाता भी भाषा विज्ञान ही है, ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्ध एवं अन्य भाषा तात्विक -अनुभागों के व्याख्याता रूप में भाषा - विज्ञान की स्वीकृति है, यही नही उच्चारण और उसके प्रयोगधर्म का मीमांसक भी भाषा विज्ञान ही है।

४.३ भाषा विज्ञान की उपयोगिता :

भाषा क्या है? उसकी निर्मिति कैसे होती है ? उसका व्यवहार धर्म क्या है? साथ ही विश्व भाषाएँ कैसे एक दूसरे की सम्पृक्ति में आती हैं। जैसे प्रश्नों के वैज्ञानिक समाधान का प्रयास भाषा - विज्ञान का मुख्य लक्ष्य रहा है। भाषा विज्ञान एक विज्ञान होने के कारण विषय का तात्विक विवेचक है, भाषा विज्ञान की उपयोगिता को आलोकित करने वाले मुख्य बिन्दु इस प्रकार है।

१. ज्ञान असीम होता है, ज्ञान क्षुधा को तृप्ति करने में भाषा विज्ञान वृहत्तर सहयोग देता है। मानव बुद्धि, ज्ञान बुद्धि में ही आनंद का अनुभव करता है। अतः भाषा ज्ञान के सहारे वह कठिनतम मार्ग भी शीघ्र माप लेने में सफलीभूत होती है। अस्तु ज्ञान पिपासा की शांति से मनुष्य मानसिक शांति का अनुभव पाती है।

२. भाषा विज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य भाषा के अध्ययन में प्रकृत होता है। भाषा कि तत्वदर्शी समीक्षा दृष्टि का विकास भी यही विज्ञान कराता है।

३. भाषा के शुद्धतम रुप का ज्ञान करने में भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण योग होता है। एक प्राचीन सन्दर्भ ऐसा भी है कि भाषा के परिष्कृत रूप के साथ वागवहम का साक्षात्कार होता है।

४. व्यवस्थित पाठ्य पुस्तक तैयार करने एवं हिचकिचाहट दूर करने में भी भाषा विज्ञान उपयोगी है, भारतीय भाषा शास्त्री यह तथ्य स्वीकारते भी है। उनके अनुसार किसी भाषा के लिए, लिपि उसका व्याकरण, कोश तथा उसे पढ़ाने के लिए पाठ्यपुस्तक बनाने में इससे सहायता मिलती है। साथ ही तुतलाहट हकलाहट, अशुद्ध उच्चारण अशुद्ध श्रवण आदि दूर करने में भाषा विज्ञान से सहायता मिलती है।

५. प्राच्य संस्कृति और सभ्यता के ज्ञान-बोध में भाषा- विज्ञान विशेष सहायक है। भाषा शास्त्र किसी भी कालखण्ड में प्रयुक्त भाषा का जीवित विश्लेषण करता हुआ तद्युगीन संस्कृति के फलक अवतरित कर लेता है। चाहे आर्य रहे हों, या द्रविड़ सभी सभ्यताओं की संस्कृतियों का आभास भाषा विज्ञान ने कराया था।

६. विविध वैज्ञानिक विधियों एवं विज्ञानसम्मत विषयों में सहज साक्षात भाषा विज्ञान के माध्यम से होता है। भाषा विज्ञान के विद्यार्थी को मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगोल व्याकरण, तर्क शास्त्र, दर्शन एवं साहित्य के सन्निकट होने में सुविधा हासिल होती हैं।

७. भाषा विषयक यंत्रों की निर्माण विधि में भाषा विज्ञान बहुत सहयोगी है। टाइपराइटर, टेलीप्रिन्टर आदि के विकास एवं इनके उपयोगी संकेत चिन्ह प्रदान करने में भी भाषा विज्ञान की महत्ता कतई इनकारी नहीं जा सकती है।

८. साहित्यिक अर्थस्ता के क्षेत्र में भाषा विज्ञान की स्वतंत्र पहचान स्वीकृत ही है। अनेक भाषाओं में ग्रंथों के दूसरी भाषाओं में अनुवाद करने, प्राचीन ग्रंथों के पाठ - निर्णय तथा इसी प्रकार प्राचीन शब्द के अर्थ - निर्णय में भाषा विज्ञान की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। यहीं नहीं लिपियों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन की दिशा में भी भाषा विज्ञान अपनी सफल भूमिका निभाता है।

९. विश्व एकता और विश्व बंधुत्व की दिशा में भाषा विज्ञान मानव जाति का विशेष शुभचिन्तक है। भाषायी विवाद को सुलझाने में इस विज्ञान से अच्छा सहयोग लिया जा सकता है। यह विज्ञान प्रत्येक भाषा में एक दूसरी भाषा की जड़े तलाशता है।

इस कथन में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए कि भाषा विज्ञान भाषिक ऊर्जा का केन्द्रीय भण्डार है। भाषा विज्ञान एक विज्ञान है। विज्ञान स्वतः निरपेक्ष होता है | तात्विक विवेचन और तत्वदर्शन ही उसका लक्ष होता है। तत्व दर्शन से बौद्धिक शांति और आनन्दानुभूति होती है। अतएव वैज्ञानिक चिंतन निरपेक्ष होते हुए भी सापेक्ष होता है। इसी दृष्टि से भाषा विज्ञान की भी कतिपय उपयोगिताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है।

१. ज्ञान पिपासा की शांति –

भाषा विज्ञान हमारी भाषा विषयक जिज्ञासाओं को शान्त करता है। ज्ञान की बुद्धि मानवमात्र का कर्तव्य है। भाषा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। उसके विषय में विस्तृत जानकारी प्रत्येक मानव के लिए अनिवार्य है। अतएव आचार्य पतंजलि ने षडंग वेद के अध्ययन की अनिवार्यता पर बल देते हुए कहा है कि ब्राह्मण को निष्काम भाव से षडंग वेद का अध्ययन करना चाहिए। यह जान-पीपासा की शांति हमें बौद्धिक और मानसिक शांति प्रदान करती है।

२. भाषा के परिष्कृत रूप का ज्ञान -

भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा का सूक्ष्मतम अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान के द्वारा ध्वनियों, वर्णों, प्रकृति, प्रत्यय और अर्थ का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। जिससे शुद्ध अर्थ का बोध होता है, उच्चारण की शुद्धता आती है और भाषा के परिष्कृत रूप के साथ वाग्ब्रह्म साक्षात्कार होता है।

३. भाषा विज्ञान से वैज्ञानिक अध्ययन की ओर प्रवृत्ति -

भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के सूक्ष्म अध्ययन की ओर मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होती, अपितु उसका दृष्टिकोण विज्ञानमूलक हो जाता है। वह प्रत्येक वस्तु के तत्वदर्शन और तत्वज्ञान की ओर अग्रसर होता है। किसी भी विज्ञान या शास्त्र का तत्वदर्शन मानव का लक्ष्य है।

४. वेदार्थ ज्ञान में सहायक -

वेदों के वास्तविक अर्थ के ज्ञान में भाषा विज्ञान और तुलनात्मक अध्ययन ने विशेष योगदान किया है। लैटिन, ग्रीक, अवेस्ता आदि भाषाओं के अध्ययन ने अनेक वैदिक शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया है।

५. प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान -

प्राचीन काल की संस्कृति और सभ्यता के ज्ञान में भाषा - विज्ञान का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषाशास्त्री के लिए भाषा के प्रत्येक शब्द बोलते हुए प्राणी हैं और वे अपना परिचय स्वयं देते हैं । इस शब्दों के सूक्ष्म अध्ययन से उस समय की संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान होता है। प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति के ज्ञान का साधन एकमात्र भाषा - विज्ञान है। आर्य – जाति, द्रविड जाति, प्राचीन मिश्र और असीरिया की जातियों की संस्कृति का बोध भाषा- विज्ञान के द्वारा ही हुआ है।

६. विविध भाषा-ज्ञान -

भाषा - विज्ञान की सहायता से अनेक भाषाओं का ज्ञान सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय में स्वनिम-विज्ञान हमारा विशेष सहायक होता है।

७. विश्व - बन्धुत्व भावना का प्रेरक -

भाषा - विज्ञान विश्व की प्रमुख भाषाओं का ज्ञान कराकर हमारे अंदर व्याप्त संकीर्ण भावना को दूर करता है। अनेक भाषाओं के साथ संबंध का ज्ञान होते ही उनसे आत्मीयता की अनुभूति होती है। जैसे, यह ज्ञात होते ही कि संस्कृत उसी परिवार की भाषा है, जिस परिवार के अंग लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, अवेस्ता, फारसी आदि भाषाएं है, हमारी आत्मीयता इन भाषाओं के साथ हो जाती है और हम इन्हें अपने परिवार का अंग समझने लगते हैं। इस प्रकार यह विश्वबंधुत्व की भावना फैलाती जाती है।

८. साहित्य-ज्ञान का सहायक -

भाषा-विज्ञान भाषा के सूक्ष्म अर्थों का विश्लेषण करता है। इसका अर्थ-विज्ञान अंग अर्थ विकास की कहानी प्रस्तुत करता है। इससे न केवल शब्दों का अर्थ ज्ञात होता है, अपितु उनमें छिपी हुई काव्य की आत्मा 'ध्वनि' भी प्रस्फुटित होती है।

९. व्याकरण दर्शन -

भाषा विज्ञान व्याकरण का व्याकरण है। व्याकरण के नियमों का क्या दार्शनिक आधार है, इसका निरुपण भाषा विज्ञान करता है। शब्द और अर्थ का संबंध, प्रकृति और प्रत्यय का मौलिक, पद - विभाजन का आधार आदि बातों का विवेचन दार्शनिक दृष्टि से भाषा - विज्ञान करता है।

१०. वाक्-चिकित्सा –

चिकित्सा-शास्त्र की दृष्टि से भाषा - विज्ञान एक आवश्यक अंग माना जाता है। तुतलाना, हकलाना, अशुद्ध उच्चारण, अशुद्ध या अस्पष्ट श्रवण आदि दोषों को दूर करने के लिए पाश्चात्य जगत में वाक् चिकित्सा को विशेष महत्व दिया जा रहा है। भाषाविज्ञान यह बताने में समर्थ होता है कि किस दोष के कारण अमुक व्यक्ति स्पष्ट बोलने में असमर्थ है तथा किस उपचार से उस रोग का उपशम हो सकता है।

११. संचार-साधनों का उपयोगी सहायक –

दूर संचार तथा यांत्रिक प्रतीकात्मक अनुवाद के लिए भाषा- विज्ञान की सहायता ली जाती है। भाषा विज्ञान के संकेतों के द्वारा दूर संचार पद्धति के लिए आवश्यक संकेत उपलब्ध होते हैं।

१५. भाषिक यंत्रीकरण में सहायक –

भाषा विज्ञान भाषा-विषयक यंत्रों के निर्माण में विशेष सहयोगी है। टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर, आडियोविजुअल आदि के विकास में विशेष सहयोगी है। भाषा -विज्ञान इनके लिए शुद्ध एवं उपयोगी संकेत चिन्ह प्रदान करता है।

१३. लिपि - विकास में सहायक -

भाषा विज्ञान सांकेतिक लिपि के उन्नयन के द्वारा लिपियों में संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन करने में सहायक होता है।

१४. विभिन्न शास्त्रों में समन्वय –

भाषा विज्ञान का ज्ञान और विज्ञान की अनेक शाखाओं से निकटतम संपर्क है। अत: भाषा विज्ञान का विद्यार्थी व्याकरण, साहित्य, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान आदि विषयों में सामान्यतया स्वत: परीचित हो जाता है।

१५. अनुवाद, पाठ - संशोधन, अर्थ-निर्णय आदि में सहायक –

विभिन भाषाओं के ग्रन्थों आदि का अन्य भाषाओं में अनुवाद करने में, प्राचीन ग्रन्थों के पाठ निर्णय में तथा प्राचीन शब्दों के अर्थ निर्णय में भाषा विज्ञान विशेष सहायक सिद्ध होता है।

१६. विभिन्न विज्ञानों का जन्मदाता –

भाषा विज्ञान के द्वारा ही कई नवीन विज्ञानों की उत्पत्ति हुई है। भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर तुलनात्मक भाषा -विज्ञान का जन्म हुआ है। इसी प्रकार तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर तुलनात्मक देव - विज्ञान, पुरण - विज्ञान, विश्वसंस्कृति - विज्ञान, नृजाति - विज्ञान आदि विज्ञानों का उद्भव हुआ है। ये विज्ञान तुलनात्मक पद्धति पर आश्रित हैं।

भाषा विज्ञान किसी भी भाषा का अध्ययन का मूल आधार होता है। उसके द्वारा लिखित एवं अलिखित साहित्य एवं असाहित्य प्रचारित एवं अप्रचलित देशी एवं अदेशी राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय एक देशी एवं बहुदेशी तथा विकसित-अविकसित सभी प्रकार के भाषाओं का अध्ययन किया जाता है।

अत: इसकी उपयोगिता सर्वोपरि है और प्रत्येक विकसित एवं विकासशील राष्ट्रीय उसके अध्ययन एवं अनुसरण में भिन्न देखा जाता है। क्योंकि भाषा विज्ञान से ही यह पता चलता है कि भाषा के संबंध में भाषा क्या है।

- उसेके कौन कौन से अंग होते हैं।
- भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई।
- क्या भाषा परंपरागत वस्तु है, या अर्जित वस्तु है।
- भाषा के कौन-कौन से परिवार है।
- भाषा का सांस्कृतिक महत्व क्या है।
- किसी भी भाषा परिवार की मूल भाषा कौन सी है।

- क्या सभी भाषा एक ही स्रोत से विकसित हुई है। या उनके स्रोत अलग-अलग है।
- कोई भी भाषा कैसे विकसित हुई।
- कैसे अविकसित अवस्था में ही रह जाती है।
- भाषा की जीवन शक्ति कौन-कौन सी है।
- विभिन्न भाषा भिन्न-भिन्न प्रणालियों से कैसे भाव प्रकाशन की एवं उसकी शक्ति ग्रहण की है।
- परस्पर संबंध भाषाएं कलांतर में कैसे पूर्णतया भिन्न एवं अलग हो जाती है।
- किस प्रकार भाषाएं विकसित होकर, नए- नए रूप ग्रहण किया जाता है।

इस प्रकार भाषा संबंधित जिज्ञासा कि तृप्ति भाषा विज्ञान के द्वारा ही होता है।

भाषा विज्ञान केवल भाषाओं के संपूर्ण ज्ञान के ही मूल आधार में ही है। अपितु भाषा के विभिन्न ध्वनियों के अनुसरण के भी सुविधाएँ प्रदान करता है। भाषा विज्ञान ही यथार्थ रूप में यह समझता है, कि -

- भाषा की कौन कौन सी ध्वनियां होती है।
- कौन-कौन सी प्रचलित ध्वनियां है।
- कौन-कौन जी अगत (आया हुआ) ध्वनियां है।
- भाषा विज्ञान ही देशी एवं अदेशी ध्वनि के भेद को स्पष्ट करता है।
- ध्वनियों के परिवर्तन की दिशाएं समझता है।
- ध्वनि परिवर्तन के कारणों को ज्ञान कराता है।
- विभिन्न ध्वनि नियमों की जानकारी कैसे प्रदान करता है।
- एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि में कैसे और क्यों भेद उत्पन्न हो जाता है।
- ध्वनियों के उच्चारण में क्यों भिन्नताएं आ जाती है।
- भिन्न-भिन्न कालों में किस तरह ध्वनियों के उच्चारण परिवर्तन हो जाते हैं।
- किस तरह अनेक ध्वनियों लुप्त हो जाते हैं।

भाषा विज्ञान ही यह बता सकता है, किस तरह “ष” ध्वनि कहीं "ष" और कहीं “क” की तरह बोली जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप बरसा शब्द कहीं बरखा या वर्षा हो जाता है। ऐसा ही किस तरह “र” का कही “री” कहीं “रू” की तरह बोली जाती है। जिसे वृक्ष शब्द का रूपांतरण कहीं तो वृरक्ष हुआ है। कहीं रूख हो जाता है। इस तरह ध्वनि संबंधित विभिन्न समस्या का समाधान एक मात्र भाषा विज्ञान के द्वारा ही हो सकता है।

शब्द का संबंध -

भाषा विज्ञान के द्वारा ही शब्दों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान ही यह समझता है |

- शब्दों का विकास कैसे होता है।
- कैसे शब्द तद्भव रूप को ग्रहण करते हैं।
- किस तरह शब्द में भिन्न भिन्न रूपांतरण होते हैं।
- किस प्रकार एक भाषा के शब्द दूसरे भाषा में अपने आकार-प्रकार के बदल डालते हैं|
- स्थान भेद से कैसे शब्दों में रूपांतरण हो जाता है।
- उच्चारण भेद से किस प्रकार शब्दों के रूप कुछ के कुछ हो जाता है।
- किस तरह शब्द कहीं अनुकरण के आधार पर तथा कहीं अन्य किसी प्रणाली से गढ़ लिया जाता है।
- भाषा विज्ञान है या समझता है कि किस तरह से उपाध्याय शब्द घिरते घिरते हो गया।
- किस तरह प्रायः ग्रंथि का पलाती या गलटि बन गया है।
- कैसे हिश्र शब्द का परिवर्तन होकर सिंह बन गया है।
- किस तरह बनजी का बंदर जी हो जाता है।
- किस तरह एक ही भद्र शब्द विकसित होकर भद्रा और भला शब्द आपस में कितने पृथक हो गए हैं ।

इसी तरह शब्दों की राह को भाषा विज्ञान से ही प्राप्त करते हैं। और इसी से उनकी विकास धारा परिवर्तन आदि का संपूर्ण बोध होता है।

४.४ सारांश :

भाषा विज्ञान के द्वारा ही शब्दों का सम्पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान और उसकी उपयोगिता यह बताते है कि शब्दों का विकास कैसे होता है, तथा किस तरह से शब्दों में भिन्न-भिन्न रूपांतरण होते रहते है। भाषा विज्ञान हमें यह भी बताता है कि किस प्रकार एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में अपने अपने आकार प्रकार को भी बदल डालते हैं। किस तरह शब्द कहीं अनुकरण के आधार पर तथा कहीं अन्य प्रणाली के द्वारा गढ़ लिए जाते हैं। इसी तरह शब्दों की राह को भाषा विज्ञान से ही प्राप्त करते है और इसी से उनकी विकास धारा तथा परिवर्तनों आदि का संपूर्ण बोध भी होता है अर्थों के सम्बन्ध में उसकी उपयोगिता की दृष्टि से भाषा विज्ञान से ही शब्दों तथा विभिन्न अर्थों का बोध होता है क्योंकि भाषा विज्ञान ही हमें यह समझाता है कि किस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन के साथ-साथ किसी शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाते हैं। कैसे शब्दों के अर्थ में विस्तार और संकोच होता है। अत: भाषा विज्ञान शब्दार्थ परिवर्तन, उसकी दिशाएँ एवं उनके कारणों

तथा सम्पूर्ण बोध कराने में भी उपयोगी होता है। भाषा विज्ञान न केवल भाषाओं की अध्ययन में ही उपयोगी है, बल्कि साहित्य के अध्ययन में भी यह अत्यंत उपयोगी होता है। क्योंकि साहित्य में प्रयुक्त विभिन्न भाषाओं का निर्माण एवं संरक्षण का सम्पूर्ण ज्ञान भाषा विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है।

४.५ लघूत्तरीय प्रश्न :

१. मनुष्य को ज्ञान-पिपासा की शांति से किस प्रकार के शांति का अनुभव होता हैं?

उ - बौद्धिक और मानसिक शांति का।

२. किसी भी विज्ञान या शास्त्र का तत्वदर्शन का कौनसा लक्ष्य होता हैं?

उ - मानव का लक्ष्य।

३. भाषा विज्ञान की सहायता से किस प्रकार का ज्ञान सरल रूप से प्राप्त किया जाता हैं?

उ - अनेक भाषाओं का ज्ञान।

४. षङग वेद का अध्ययन करने के लिए कौन कहता हैं?

उ – पतंजलि।

५. विश्व की प्रमुख भाषाओं का ज्ञान कराने से कौनसी भावना दूर हो जाती हैं?

उ - मनुष्य के अंदर व्याप्त संकीर्ण भावना दूर होती है।

४.६ दीर्घोत्तरीय प्रश्न :

१. भाषा विज्ञान की परिभाषा को स्पष्ट कीजिए|

२. भाषा और विज्ञान के बीच अन्त: सम्बन्ध को समझाइए।

३. भाषा विज्ञान की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए।

४.७ संदर्भ ग्रंथ :

१. भाषा विज्ञान - डॉ. भोलानाथ तिवारी

२. भाषा-विज्ञान एवं भाषाशास्त्र – डॉ. कपिल देव द्विवेदी

३. भाषा विज्ञान के अधुनातम आयाम - डॉ. अंबादास देशमुख

४. हिन्दी भाषा, व्याकरण और रचना - डॉ. अर्जुन तिवारी

५. सामान्य भाषा विज्ञान – डॉ. बाबुराव सक्सेना

६. आधुनिक भाषा विज्ञान के सिद्धांत - डॉ. राम किशोर शर्मा

७. सामान्य भाषा विज्ञान - डॉ. बाबूराम सक्सेना

❄❄❄❄❄❄❄

भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का सामान्य परिचय

इकाई की रुपरेखा

५.० इकाई का उद्देश्य

५.१ प्रस्तावना

५.२ भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ

५.२.१ ध्वनि विज्ञान

५.२.२ शब्द विज्ञान

५.२.३ वाक्य विज्ञान

५.२.४ रूप विज्ञान

५.२.५ अर्थ विज्ञान

५.३ सारांश

५.४ लघुत्तरीय प्रश्न

५.५ दीर्घोत्तरीय प्रश्न

५.६ संदर्भ ग्रंथ

५.० इकाई का उद्देश्य :

प्रस्तुत इकाई में निम्नलिखित बिंदुओं से छात्र परिचित होंगे।

- भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखाएं को समझने हेतु।
- ध्वनि विज्ञान की उपयोगिता को समझने में।
- शब्द विज्ञान की उपयोगिता को समझने में।
- रूप विज्ञान की उपयोगिता को समझने में।
- वाक्य विज्ञान की उपयोगिता को समझने में।
- अर्थ विज्ञान की उपयोगिता को समझने में।

५.१ प्रस्तावना :

जब हमें अपनी कोई इच्छा, जरूरत, भाव, विचार या बात दूसरे को बताने होती है तो हम बोलकर उसे बताते हैं। बोलने को ही भाषा कहा जाता है। संकेत, इशारा और बोल भाषा ही कहा जाता है। इसलिए भाषा शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। सामान्यतः भाषा इस साधना को कहते हैं जिसके सहारे एक प्राणी अपने भाव, विचार, अभिप्राय दूसरों तक पहुँचाता है। इस दृष्टि से पशु पक्षियों की आवाज, तरह तरह के संकेत और इशारे आदि भाषा ही है।

५.२ भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ :

भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखा इस प्रकार से प्रस्तुत है -

५.२.१ ध्वनि विज्ञान

ध्वनि विज्ञान, भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। भाषा विज्ञान के प्रमुख विभाग या अंग के रूप में ध्वनि विज्ञान को प्रतिष्ठता दी गई है। ध्वनि के अर्थ, प्रभेद, वर्गीकरण, उद्भव स्थान, उच्चारण अवयव, संचरात्मक वर्णन, ध्वनि परिवर्तन एवं ध्वनि नियम जैसे मध्यम ध्वनि विज्ञान की परिधि में आते हैं। विशिष्ट ध्वनियों के अध्ययन के लिए ध्वनि ग्राम विज्ञान का अभ्युदय हो चुका है, जिसके द्वारा भाषा के अंग-प्रत्यंग, ध्वन्यात्मक स्तर पर निरूपित किए जाते हैं।

हिन्दी ध्वनियों को सम्यक रूप से विश्लेषित करने के लिए ध्वनि संबंधी अपेक्षित सिद्धान्तों के विवेचन आवश्यक हैं। इस विवेचन के अन्तर्गत ध्वनि और ध्वनि विज्ञान, ध्वनि ग्राम और संध्वनि, ध्वनिगुण, ध्वनियंत्र, ध्वनियों के वर्गीकरण, अनुसार और अनुनासिकता, ध्वनि संयुक्ति एवं ध्वनि संयोग, ध्वनि परिवर्तन एवं ध्वनि नियम के ये व्याख्यात्मक अध्ययन अपरिहार्य है। भाषा का प्रथम तत्व है ध्वनि, दो या दो से अधिक पदार्थों के पारस्परिक घर्षण से उत्पन्न होने वाली इकाई ध्वनि है, आशय यह है कि मनुष्य मात्र में ही नहीं, मनुष्येत्तर प्राणियों और वनस्पतियों तक में ध्वनि संवेग होते हैं।

किन्तु भाषा विज्ञान में ध्वनि शब्द निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है। भाषा के अध्ययन में भाषा - विज्ञान में ध्वनि जिस प्रकार व्यक्त (स्पष्ट) भाषा का ही अध्ययन करता है उसी प्रकार ध्वनि के अध्ययन क्रम में वह व्यक्ति ध्वनियों का ही अध्ययन करता है; अव्यक्त ध्वनियों का नहीं। भाषा विज्ञान की ध्वन्यात्मक इकाई ध्वनि विज्ञान के नाम से जानी जाती है।

भाषा शास्त्र का नितान्त अपरिहार्य अंग है। इसके लिए अंग्रेजी में प्रचलित शब्द फोनोलॉजी एवं फोनोटिक्स। फोनो का अर्थ होता है ध्वनि, ध्वनि की संस्कृत धातु 'भण्' है। भण् का अर्थ प्राय होता है। कहना या ध्वनि करना ध्वनि विज्ञान का मुख्य कार्य भाषिक ध्वनियों के समुचित ज्ञान कराना है। मनुष्य में उच्चारण सम्बंधी ज्ञान की परिपक्वता ध्वनि विज्ञान के समुचित, बोध से ही संभव है। पतंजलि ने अनुचित नहीं कहा है कि शुद्ध एक शब्द का ज्ञान और प्रयोग भी मनुष्य के स्वर्ग प्राप्ति का साधक होता है। ध्वनियों के सटीक उच्चारण स्थान और प्रयत्न आदि की व्यवस्थित विधा का बोध ध्वनि विज्ञान ही कराता है। ध्वनि विज्ञान के

माध्यम से किसी भी प्राचीन भाषा को सीखने सिखाने में ध्वनि विज्ञान से पर्याप्त एवं उपयोगी सहायता मिलती है।

५.२.२ शब्द विज्ञान

वाक्य की रचना पदों या रूपों के आधार पर होती है। अत: वाक्य के बाद पद या रूप का विचार महत्वपूर्ण हो जाता है। रूप - विज्ञान के अन्तर्गत धातु, उपसर्ग, प्रत्यय आदि उन सभी उपकरणों पर विचार करना पड़ता है। जिनसे रूप बनते हैं।

इसका पुराना नाम पद विज्ञान है। भाषा की लघुतम इकाई 'स्वन' है तो अर्थ की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई शब्द है। शब्द को अर्थतत्व कहा जाता है। शब्दों का संग्रह शब्दकोश कहलाता है। परंतु ये कोशगत अर्थ - वान शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकते। वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए इनका शब्द रूप बदलता है। अर्थात लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, सूचक तत्वों को जोड़ना पड़ता है जिन्हें प्रत्यय कहा जाता है। इन प्रत्ययों को भाषा विज्ञान में संबंधतत्व कहते है। अत: अर्थतत्व और संबंधतत्व का योग रूप या पद है। इसका अध्ययन करनेवाला शास्त्र शब्दविज्ञान है। रूपविज्ञान की एक और शाखा हैं - रूपिम विज्ञान, जिसे Morphemics कहते हैं। रूप के अर्थवान खण्डों को रूपिम कहते है | शब्द स्वतंत्र अर्थवान इकाई है तो रूपिम लघुतम इकाई | रूपविज्ञान में किसी भाषा के रूपों का विश्लेषण कर अर्थ और वितरण के आधार पर उसके रूपिमों और संरूपो का निर्धारण करना तथा दो या अधिक रूपिमों के संयोग से घटित होनेवाले स्वनात्मक या स्वनिमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है | इसमें तीन बातों का अध्ययन होता है - रूपिमों का निर्धारण, संरूपो का निर्धारण और रूप स्वनिमिक परिवर्तनों का अध्ययन।

शब्द प्रकृति और प्रत्यय के संयोग से बना है या नहीं इस आधार पर संस्कृत और हिन्दी में शब्दों के तीन भेद किये गये हैं - (१) रूढ - जिसमें प्रकृति और प्रत्यय को स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे- मणि, रत्न, नूपुर, आढय, स्थूल आदि | (२) यौगिक- जो प्रकृति और प्रत्यय के संयोग से बने हैं। जैसे कृ+त = कर्त, कर्ता, कृ+ अक = कारक | भूत+इक = भौतिक धनवान्, बलवान, श्रीमान आदि | (३) योगरूढ - जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में रूढ हो जाते हैं, उन्हें योगरूढ कहते हैं।

५.२.३ वाक्य विज्ञान

'वाक्यविज्ञान' भाषा विज्ञान का एक प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है। भाषा - विज्ञान के अन्तर्गत अध्ययन का प्रमुख विषय 'भाषा' है। भाषा की एक महत्त्वपूर्ण इकाई है 'वाक्य'। वाक्य विज्ञान में वाक्य से सम्बन्धित सभी तत्वों का विवेचन होता है। वास्तव में भाषा के अन्तर्गत प्रयुक्त विभिन्न पदों के पारस्परिक सबंध पर विचार करना ही वाक्य विज्ञान का स्वरूप है। अतः वाक्य का स्वरूप विश्लेषण करने के लिए अथवा वाक्य की सम्यक मीमांसा के लिए वाक्य विज्ञान के जो सैद्धांतिक घटक हैं। उनमें प्रमुख हैं - वाक्य का परिचय, वाक्य निर्माण सम्बंधी विधान, वाक्य के अंग, वाक्य के गुण, वाक्य के भेद, वाक्य में परिवर्तन, परिवर्तन की दिशाएँ, परिवर्तन के कारण एवं पदिम आदि। भाषा-विद मानते हैं कि-" वाक्य विज्ञान में वाक्य गठन या पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है। वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान में किसी भाषा में किसी एक काल में प्रचलित वाक्य गठन का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक तथा व्यतिरेकी में दो

या अधिक भाषाओं का वाक्य गठन की दृष्टि से किए गए अध्ययन की तुलना करके साम्य और वैषम्य देखा जाता है। ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान में एक भाषा के विभिन्न कालों का अध्ययन कर वाक्य गठन की दृष्टि सें उसका इतिहास प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग शब्द या पद की रचना करते हैं, तो विभिन्न शब्दों, पदों या रूपों के संयोग वाक्य का निर्माण करते हैं। वाक्य विज्ञान के अध्ययन का मुख्य क्षेत्र 'वाक्य' है। वाक्य का रचनात्मक संगठन, वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म के अनुरूप पदों के अन्वय एवं वाक्य प्रभेद जैसे विषयों को लेकर वाक्य विज्ञान का अधययन होता है।

सामान्यतः दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को 'शब्द' तथा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। किन्तु वाक्य प्राय: सार्थक ही होते है।

पतंजलि ने पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहा है। तो आचार्य विश्वनाथ ने साकांक्ष पदसमूह को वाक्य माना है। भर्तृहरि ने वाक्य की अनेक परिभाषाएँ दी हैं। जैसे -

१. क्रियादि के बुद्धि गत समन्वय को वाक्य कहते है।

२. क्रियापद को वाक्य कहते हैं।

३. क्रियापद सहित कारकादि के समूह को वाक्य कहते है।

४. क्रिया तथा कारकादि में रहने वाली 'जाति' को वाक्य कहते हैं ।

५. क्रियादि समूह रूप एक अखण्ड शब्द (स्कोट) को वाक्य कहते हैं।

६. क्रियादि पदों को विशेष क्रम को वाक्य कहते हैं।

७. आकांक्षा युक्त प्रथम पद को वाक्य कहते हैं ।

५.२.४ रूप विज्ञान

भाषा की व्याकरणात्मक अभिव्यक्ति का लघुतम माध्यम 'रूप' है। दूसरी शब्दावली में कहा जा सकता है कि ध्वनियों का सार्थक युग्म रूप है, जो व्याकरण के अनुशासन में परिवर्तित होकर कथन की आकृति में दिखलाई पड़ता है। रूप को ही लघु और दीर्घ समूह वाक्य कहा जाता है। रूप को पद भी कहा जाता है । अर्थात् रूप एवं पद एक दूसरे के पर्याय हैं । अत: रूपों या पदों का सभ्यक अध्ययन और प्रयोग रूप विज्ञान की संज्ञा प्राप्त करता है। परन्तु यहीं एक तथ्य ध्यान रखने योग्य है कि 'पद' संज्ञा 'शब्दों' का पर्याय नहीं हैं । शब्द और पद दोनों में अंतर होता है । सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है तो वाक्य में शब्द का प्रयोग पद कहा जाता है। यहीं यह भी ध्यान रखने की बात है कि बिना पद या रूप बनाए किसी मूल शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं किया जा सकता ।

रूप का सम्बन्ध ध्वनियों से है अत: सामान्य तौर पर रूप परिवर्तन और ध्वनि-परिवर्तन में विभाजक रेखा खींच पाना कठिन कार्य लगता है किन्तु इन दोनों में वैज्ञानिक विभेद हैं । ध्वनि परिवर्तन से पद की एक-दो ध्वनियाँ प्रभावित होती है, और रूप परिवर्तन से पद का

सम्पूर्ण आकार बदल जाता है। इस तरह कहा जा सकता है कि ध्वनि परिवर्तन का क्षेत्रफल बड़ा होता है और रूप परिवर्तन का सीमित। रूप परिवर्तन की दिशाओं में एक दिशा पुराने प्रचलित रूपों के विलोप की हैं। इस तरह नए रूप प्रचलित होकर पुराने रूपों का धीरे-धीरे परित्याग कर देते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत के प्रयोग रूप को छोड़कर हिन्दी के प्रयोग रूप ने अपने को परिवर्तित कर लिया है। रुप परिवर्तन की एक दिशा सादृश्य विधि है।

सादृश्य के कारण सम्बंध तत्व के नए रूप विकसित होकर अनेक रुपता का परिचय देते हैं। इस विधि में नवीनता का आकर्षण रहता है। हिन्दी में परसर्गों का विकास ही सादृश्य विधान है। रूप परिवर्तन के कुछ अस्वाभाविक अभिलक्षण मिलते हैं जिनके प्रयोग जाने - अनजाने बहुत से लोग करते हैं। कुछ पुराने और कुछ नए रूपों को ग्रहण कर आजकल प्रत्ययों के अभिनव रूप प्रचलित हैं। इस विज्ञान भी भारतीय वैश्याकरणों की देन हैं। रूपविज्ञान के अन्तर्गत भाषा विशेष में प्रयुक्त पदों या रूपों के सार्थक अवयों का विभाजन का निश्चयन किया जाता है।

५.२.५ अर्थ विज्ञान :

भाषा विज्ञान की एक प्रमुख इकाई के रूप में अर्थ विज्ञान का अध्ययन -विश्लेषण किया जाता है। भाषा के चार प्रमुख तत्वों में वैज्ञानिक दृष्टि से ध्वनि विज्ञान, पदविज्ञान एवं वाक्य विज्ञान यदि भाषा के शरीर हैं तो अर्थ विज्ञान उसकी आत्मा है । 'अर्थ विज्ञान' के अन्तर्गत शब्दार्थ के आन्तरिक पक्ष का अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ का महत्व क्या है? शब्द और अर्थ में क्या अंतर है? उनमें क्या संबंध है? अर्थ का ज्ञान कैसे होता है? शब्दशक्ति का स्वरूप क्या है? एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायार्थक एवं विलोमार्थक आदि शब्दों का ज्ञान कैसे होते हैं? अर्थ - परिवर्तन क्या है? अर्थ परिवर्तन की दिशाएँ कौन-कौन सी हैं तथा अर्थ परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन-कौन से है? आदि विषयों के अध्ययन अर्थ विज्ञान के अन्तर्गत किए जाते है।

अर्थ भाषा का प्रधान तत्व है, शास्त्रीय संज्ञा में इसके समान अनेक शब्द हैं- अर्थ विचार, अर्थ विज्ञान, अर्थ तत्व आदि| अर्थ शब्द प्रतिभा का समानार्थक है । भर्तृहरि ने वाक्यार्थ रूपी प्रतिभा को आत्मा मानते हुए प्रतिभा को अर्थ पर्याय के रूप में स्वीकारा भी है। आचार्यों और वैय्याकरणों के निष्कर्ष प्रमाणित करते हैं कि जिस प्रकार शरीर के बोध के बाद आत्मबोध अनिवार्य अनुभव होता है। उसी प्रकार ध्वनि पद एवं वाक्य बोध के बाद अर्थ रूपी आत्म का बोध अनिवार्य है ।

वेदों में सृष्टि को वाक् तत्व का विस्तार कहा गया है। वस्तुत: वाक् तत्व ही अर्थ तत्व की परिणति प्राप्त करता है । डॉ. भोलानाथ तिवारी ने ‘अर्थ’ पर विचार करते हुए विश्लेषणात्मक टिप्पणी दी है। उनके मत में "किसी भी भाषिक इकाई (वाक्य, वाक्यांश, रुप, शब्द, मुहावरा आदि) को किसी इन्द्रिय (प्रमुखतः कान, आँख) से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है, वही अर्थ है।” ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि भाषिक तत्व अर्थ तत्व के अभाव में मूल्यहीन बने रहते है। अर्थ के कारण ही भाषा के प्रति हमारी निष्ठा का जागरण होता है। वैय्याकरणों में अर्थ की महत्ता जिस रूप में स्वीकारी है। उससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि अर्थ की व्याप्ति के बिना सारे पदार्थ रंस हीन हैं।

कुल मिलाकर अर्थ की महत्ता इस बात में है कि उसके बिना भाषा का कोई अस्तित्व हीं नहीं रहता। आचार्यों ने अर्थ हीन भाषा को सन्तानहीन स्त्री के समान माना है।

भाषा विज्ञान की वह शाखा हैं जिसमें शब्दों के अर्थ का अध्ययन किया जाता है, वह अर्थ विज्ञान कहलाता है। इस अनुशासन का मुख्य उद्देश्य भाषा के अंतर्गत की संरचना, संप्रेषण एवं ग्रहण की प्रक्रिया का विश्लेषण होता है। अर्थात अर्थविज्ञान के अंतर्गत अर्थ के स्वरूप, शब्दार्थ संबंध, शब्दार्थ बोध के साधन, अनेकार्थवाची शब्द के अर्थ-निर्णय का आधार आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है।

यह एक सामान्य अवधारणा है कि शब्द से अर्थ का बोध होता है किंतु सभी शब्दों से सभी अर्थों का बोध नहीं होता अपितु किसी निश्चित शब्द से किसी निश्चित अर्थ का ही बोध होता है, अन्य असंबद्ध अर्थ का नहीं | अतः शब्द और अर्थ के मध्य एक ऐसे संबंध को स्वीकार करना होगा जो निश्चित शब्द से निश्चित अर्थ के बोध का नियामक हो, अन्यथा किसी भी शब्द से किसी भी अर्थ का बोध स्वीकारना होगा। शब्द और अर्थ का यह संबंध प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा-व्यवहार की परंपरा से सीखता है। क्योंकि मनुष्य को जगत में विद्यमान असंख्य वस्तुओं का अनुभव होता है और ये वस्तुएँ परस्पर भिन्न होती है अतः अपनी विशिष्ट सत्तात्मक पहचान रखती हैं। वस्तुओं की इस मूर्त सत्ता के लिए तकनीकी शब्दावली में 'रूप' शब्द व्यवहत किया जाता है। चूँकि प्रत्येक भाषा समुदाय में प्रत्येक विशिष्ट मूर्त सत्ता के लिए एक विशिष्ट 'नाम' का प्रयोग किया जाता है और संबंधित भाषा समुदाय का व्यक्ति इस 'नाम' और 'रूप' के निश्चित संबंध को भाषा-प्रयोग से सीखता है, फलतः यह संबंध उसकी मस्तिष्क में स्थायी रूप से विद्यमान हो जाता है। सामान्य रूप से इसे ही अर्थ कहा जाता है। आचार्य पाणिनि ने भाषा का सार 'अर्थ' माना है। एतदर्थ शब्दों को ही 'प्रतिपदिक' (मुल संजाशब्द या प्रकृति) माना है - अर्थवदधातरप्रत्ययः प्रतिपदिकम् (अष्टा-१-२-४५) यास्क ने अपने ग्रंथ 'निरूक्त' अर्थात निर्वचन, निरुक्ति (Etymology) का आधार ही अर्थ को माना है। अर्थ ज्ञान के बिना निर्वचन असंभव है- अर्थनित्य: परिक्षेत (निरूक्त २-१) वस्तुतः शब्द केवल अर्थों का संग्रह या समुच्चय मात्र नहीं होता अपितु शब्द एवं अर्थ का यह संबंध भाषा व्यवहार की परंपरा द्वारा निश्चित एवं स्थिर होता है। दैनिक बात-चीत में किसी शब्द के अर्थ का प्रयोग इसी संबंध के द्वारा किया जाता है, उदाहरणार्थ- यदि कोई पूछे की दर्शाना शब्द का अर्थ क्या है तो सहजता से कहा जा सकता है दिखाना। इसी प्रकार यदि कोई दृढ़ शब्द का अर्थ पूछे तो कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार का पुष्प होता है। अत: स्पष्ट है कि शब्द के अर्थ को व्यक्त करने की प्रक्रिया में शब्द के लक्षण द्वारा अर्थ का निर्धारण नहीं किया जाता बल्कि शब्द एवं उसके द्वारा संकेतित मूर्त सत्ता के परस्पर संबंध के द्वारा अर्थ का निर्धारण होता है। उपर्युक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ भाव या विचार होता है, जो उसे सार्थक बनाता है। इसे ही पारिभाषिक शब्दावली में अर्थग्राम (Semanteme) कहा जाता है। प्रत्येक कालखंड में किसी शब्द का अर्थ सदैव एक-सा नहीं रहता अपितु उसमें समय के साथ-साथ विकार, परिवर्तन या विकास होता रहता है और यह परिवर्तन संबंधित भाषा समुदाय के व्यक्तियों की मानसिकता के द्वारा लिए गए अर्थ का ही अध्ययन करता है तथा उस शब्द के प्रस्तुतीकरण की शैली में निहित अर्थ एवं उस शब्द विशेषण से संबंधित अन्य प्रसंगार्थों को उस दौरान अनदेखा करता है। मस्तिष्क के द्वारा ग्रहण किए गए अर्थ को ही शब्द के मूल अर्थ के रूप में लिया जाता है, जिसको प्राथमिक शब्दिक अर्थ (Primary lexical

Meaning) कहा जाता है और कोश विज्ञान के दृष्टिकोण से भी इसी अर्थ को प्राथमिकता दी जाती है। हिंन्दी शब्द काँटा के कई अर्थ हैं, परंतु मुख्यार्थ के अनुसार इसका तात्पर्य उस काँटा से हैं जो चुभता है न कि जहाँ वजन किया जाता है। इस दूसरे अर्थ के संदर्भ में तराजू अधिक उपयोगी और प्रचलित शब्द है। काँटा शब्द के कुछ अन्य अर्थ भी मिलते हैं, जैसे चुभना, पीड़ा, शत्रु । यहाँ तक की अब एक शनि काँटा शब्द भी व्यवहार में आने लगा है जिसमें काँटे के साथ पीड़ा का भी अर्थ सम्मिलित है । परंतु काँटा शब्द सुनने पर हिंदी भाषा भाषी के मस्तिष्क में सर्वप्रथम एक पतली नोंक वाली वस्तु का ही बिंब उभरता है जिसके अपने विशिष्ट लक्षण /गुण होते हैं। किसी शब्द के मुख्यार्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थ भी महत्वहीन नहीं होते क्योंकि कवि शब्द एवं विज्ञापन-विशेषज्ञ शब्द से जुड़े अतिरिक्त अर्थों का अधिक प्रयोग करते हैं।

५.३ सारांश :

मनुष्य एक बुद्धीमान, विचारशील और सामाजिक प्राणी है। हृदयगत भावों तथा चिन्तन-मनन को शाब्दिक संज्ञा प्रदान कर उसे अपने स्मरण में रखता है। अपनी मानसिक प्रतीति, इच्छा, विचार भाव दूसरों से कहता है, जिसका साधन भाषा ही है। भाषा के कारण ही मनुष्य सामाजिक प्राणी बना तथा कल्पना और प्रतिभा शक्ति का विकास संभव हुआ । इससे मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ बना है। पशु पक्षियों के पास भाषा न होने से वह अपना विकास नहीं कर पाया है। भाषा का अध्ययन करने वाला शास्त्र भाषा विज्ञान कहलाता है। भाषा विज्ञान शब्द पश्चिम से भारत में आया। इससे पूर्व भारत में व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा आदि शब्द प्रचलित थे। व्याकरण में किसी एक भाषा का ही अध्ययन होता है, जबकि भाषा विज्ञान में नियम और सिद्धान्त दुनिया की समस्त भाषाओं पर लागू होते हैं।

भाषा विज्ञान के लिए अनेकों शब्द प्रचलित रहे हैं - कंपरेटिव ग्रामर, फिलॉलॉजी, सायंस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स और हिन्दी में भाषाशास्त्र भाषिकी, भाषा विज्ञान शब्द प्रचलित हैं। डॉ. श्याम सुन्दरदास के मन से भाषा विज्ञान भाषा की व्युत्पत्ति, बनावट, विकास, ऱ्हास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। डॉ. बाबूराम सक्सैना के अनुसार, भाषा विज्ञान भाषा का विश्लेषण कर उसका दिग्दर्शन कराता है।

डॉ. देवेन्द्र नाथ शर्मा के विचार से भाषा का विशिष्ट ज्ञान ही भाषा विज्ञान है। भोलानाथ तिवारी के विचार से भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा अथवा भाषाओं का एक कालिक, बहुकालिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी अथवा अनुप्रयोगिक अध्ययन विश्लेषण तथा तद् विषयक सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाता है। पश्चिम के विद्वानों में मारियो पेई, ब्लूमफील्ड और रॉबिन्स ने भी भाषा विज्ञान को परिभाषित किया है। भाषा विज्ञान भाषा के सभी अंगों और व्यवहारों का अध्ययन तथा विश्लेषण करता है। भाषा विज्ञान के प्रधान अंग स्वन विज्ञान (ध्वनि विज्ञान), रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, शब्द विज्ञान और अर्थ विज्ञान है। इन प्रधान अंगों को डॉ. भोलानाथ तिवारी ने भी स्वीकार किया है। भाषा-विज्ञान के गौण अंग-भाषा विज्ञान के प्रायोगिक अथवा अनुप्रयुक्तता को दर्शाते हैं।

शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित व्युत्पत्ति विज्ञान, कोश निर्माण संबंधी कोश विज्ञान, भाषा का भौगोलिक सीमांकन मानचित्र निर्माण करने वाला भाषिक भूगोल, भाषा के ध्वनिचिह्नों को

स्थायित्व देने वाला तथा भाषा लेखन से संबंधित लिपिविज्ञान, साहित्यगत भाषाई प्रयोगों का अध्ययन विश्लेषण करने वाला शैली विज्ञान, एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करने वाला अनुवाद विज्ञान के अलावा समाज भाषा विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान, मशीनी-भाषा विज्ञान भादि अनेक भाषा विज्ञान की शाखाएँ हैं।

भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करना भाषा विज्ञान का प्रमुख कार्य है। भाषा विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख दिशाएँ इस प्रकार हैं। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में किसी एक भाषा का किसी एक विशिष्ट काल से संबंधित स्वरूप का विवेचन, विश्लेषण किया जाता है। यह विवेचन भी भाषा की संरचना पर केन्द्रित होता है। इसमें भाषा के उच्चरित रूप का अध्ययन होता है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान व्याकरण के काफी निकट होता है। पाणिनी का ग्रंथ अष्टाध्यायी इसका उदाहरण है, भाषा विज्ञान के अध्ययन की दूसरी पद्धति ऐतिहासिक है, इसमें भाषा के क्रमिक इतिहास का विवेचन होता है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान से भाषा परिवर्तन के सामान्य सिद्धान्त नियम और दिशाओं का दिग्दर्शन होता है। भाषा के नए-पुराने भेदों को इसी पद्धति के कारण सुगमता से समझा जा सकता है। इस शाखा में लिखित साहित्य के आधार पर भी अध्ययन होता है। भाषा विज्ञान के अध्ययन की तीसरी दिशा तुलनात्मक पद्धति है। इसमें एक काल की, भिन्न कालों की तथा कम से कम दो भाषाओं की आपस में तुलना की जाती है। यह तुलना भाषाई संरचना के स्तर पर होती है। तुलनात्मक पद्धति के कारण ही सन् १७८६ में सर विलियम जोंस ने लैटिन और ग्रीक भारतीय संस्कृत की संरचना में आश्चर्यजनक समानता को खोजा था।

भाषा की संरचना के स्तर पर अध्ययन करने वाली शाखा सस्यूर द्वारा निर्मित संरचनात्मक शाखा है। इसमें अनुक्रम तथा रूप और अर्थमूलक सहपरिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की पाँचवी शाखा प्रायोगिक भाषा विज्ञान है। इसमें देशी-विदेशी भाषा के अध्ययन की सरलतम पद्धति की खोज की जाती है। तथा अनुवाद कार्य पारिभाषिक शब्दावली निर्माण, मशीन की दृष्टि से की बोर्ड में सुधार आदि कार्य सम्पन्न होते हैं, इसके अलावा एक व्यतिरेकी पद्धति भी है। तुलना के द्वारा दो भाषाओं के विरोधी अथवा विशेष तत्वों को खोजा जाता है। भाषा और भाषा - विज्ञान का अध्ययन हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

५.४. लघुत्तरीय प्रश्न :

१. अर्थ की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कौनसी है?

उत्तर: शब्द।

२. रूप के अर्थवान खंडो को क्या क्या कहा जाता है?

उत्तर: रूपिम।

३. भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है?

उत्तर: वाक्य।

४. रूप विज्ञान में 'रूप' का पर्यायवाची शब्द क्या दिया है?

उत्तर: पद।

५. आचार्यों ने अर्थ हीन भाषा को किसके समान माना है?

उत्तर: सन्तानहीन स्त्री के समान।

६. भाषा विज्ञान की शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है?

उत्तर: शब्दों के अर्थ का अध्ययन किया जाता है।

५.५. दीर्घोत्तरीय प्रश्न :

१. भाषा विज्ञान की परिभाषा देते हुए उसके प्रमुख अंगों का परिचय दीजिए।
२. भाषा विज्ञान के प्रमुख और गौण अंगों का विवेचन कीजिए।
३. भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में ध्वनि विज्ञान और शब्द विज्ञान को परिभाषित कीजिए।
४. वाक्य विज्ञान के संदर्भ में विस्तार से चर्चा कीजिये।
५. अर्थ विज्ञान को परिभाषित कीजिए।
६. रूप विज्ञान का विवेचन विश्लेषण कीजिए।

५.६. संदर्भ ग्रंथ :

१. भाषा विज्ञान - डॉ. भोलानाथ तिवारी

२. भाषा-विज्ञान एवं भाषाशास्त्र – डॉ. कपिल देव द्विवेदी

३. भाषा विज्ञान के अधुनातम आयाम - डॉ. अंबादास देशमुख

४. हिन्दी भाषा, व्याकरण और रचना - डॉ. अर्जुन तिवारी

५. सामान्य भाषा विज्ञान – डॉ. बाबुराव सक्सेना

६. आधुनिक भाषा विज्ञान के सिद्धांत - डॉ. राम किशोर शर्मा

७. सामान्य भाषा विज्ञान - डॉ. बाबूराम सक्सेना

❄❄❄❄❄❄❄

६

वर्ण विचार : उच्चारण की दृष्टि से हिन्दी ध्वनियों का वर्गीकरण

इकाई की रुपरेखा

६.०. इकाई का उद्देश्य

६.१. प्रस्तावना

६.२. वर्ण विचार

६.३. उच्चारण की दृष्टि से हिन्दी ध्वनियों का वर्गीकरण

६.४. सारांश

६.५. लघुत्तरीय प्रश्न

६.६. दीर्घोत्तरीय प्रश्न

६.७. संदर्भ ग्रंथ

६.०. इकाई का उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी परिचित होंगे-

- वर्ण विचार को समझ जायेंगे।
- उच्चारण की दृष्टि से हिन्दी ध्वनियों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे।

६.१. प्रस्तावना

किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, अर्थात ऐसी ध्वनि जिनका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो एवं आगे विभाजन किया जाना संभव न हो वही वर्ण कहलाता है। वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना या पढ़ना सीखा जाता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इसके लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं।

६.२. वर्ण विचार (वर्ण ध्वनियाँ) :

वर्ण विचार में वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, जिसका खण्ड न हो। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जो 'क्षर' न हो, जो धार धार न हो उसे अक्षर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, क, ख, ग आदि। पानी शब्द की दो ध्वनियाँ है। 'पा' और 'नी' इनके भी चार खण्ड हैं | प् + आ + ता + न् + ई , इस के बाद इन चारों ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए ये मूल ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर हैं। संक्षेप में वर्ण वह छोटी से छोटी है जो काम का विषय है और

जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते | इन्ही वर्णों अथवा ध्वनियों के समुदाय को वर्णमाला (Alphabet) कहते हैं। हिन्दी में कुल ४४ वर्ण है। वे इस प्रकार है -

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, ऑ = ११

क ख ग घ ङ

च छ ज झ ञ = २५

ट ठ ड ढ ण

त थ द ध न

प फ ब भ म

य र ल व श = ०८

ष स ह

उच्चारण की दृष्टि से हिन्दी के इन ४४ वर्णों का वर्गीकरण पाँच प्रकार से किया जाता है।

पहला प्रकार – इस वर्गीकरण का आधार उच्चारण स्वातंत्र्य है। इस वर्गीकरण में यह देखा जाता है कि वर्ग का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है। इस वर्गीकरण में यह देखा जाता कि वर्ण का उच्चारण अथवा उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण (ध्वनि) की मदद लेनी पड़ती है | जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होती है उन्हें स्वर कहते हैं -

जैसे – अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ॠ, ए, ऐ, ओ, ऑ = ११

जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार उच्चारण स्वातंत्र्य के आधार पर किया गया वर्णों का वर्गीकरण स्वर और व्यंजन के रूप में जाना जाता है।

स्वर - हिन्दी में स्वरों की संख्या ग्यारह है | संस्कृत में तीन स्वर और होते हैं ऋ, ॠ, ॡ, किन्तु इनका हिन्दी में नहीं होता है। ऋ का प्रयोग भी संस्कृत से आए हुए शब्दों में ही होता है। जैसे ऋषि, ऋतु, कृपा, सृष्टि ,दृष्टि, कृषि, वृक्ष, नृत्य, कृत्य, मृत्यु, पृष्ठ, पृथ्वी, हृदय, श्रृंगार, श्रृंग, वृद्ध, मृत, गृह, तृप्ति, धृति, संस्कृत में ॠ का विशेष उच्चारण रहा होगा किन्तु हिन्दी में उसका उच्चारण ‘रि’ की तरह किया जाता है। लिखा तो 'ॠषि' जाता है लेकिन पढ़ा ‘रिषी’ जाता है। इसी तरह 'कृपा' लिखकर 'क्रिपा' पढ़ा जाता है। किन्हीं-किन्हीं भारतीय भाषाओं में उसका उच्चारण 'रि' की तरह न करके ‘रू’ की तरह किया जाता है। जैसे मराठी में 'वृक्ष' को 'व्रुक्ष' की तरह उच्चारित किया जाता है। ऋतु-रूत इस तरह का उच्चारण ऋ का उच्चारण अब संभव नहीं है। इसलिए कुछ विद्वानों का मत है कि इसे हिन्दी वर्णमाला से हटा दिया जाए और लिखते समय ‘रि' का ही प्रयोग किया जाए किन्तु कई विद्वान इस मत से सहमत नहीं है। अनुस्वार (ं) और विसर्ग (:) को बहुत बार असावधानी से स्वर या व्यंजन कहा जाता है, किन्तु ये तो न स्वर है, न व्यंजन। अनुस्वार का उच्चारण प्राय: छह प्रकार से होता है - पङ्खा, चञ्चल, ठण्डा, अंत, अम्बा, अंशु। विसर्ग का उच्चारण कुछ 'ह' जैसा होता है, यह केवल संस्कृत से आए हुए शब्दों में ही प्रयुक्त होता है। जैसे- दुःख, मनःस्थिति, अंत:करण, अंततः इत्यादि।

स्वरों का वर्गीकरण:

स्वरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है।

i. मूल ह्रस्व स्वर - अ, इ, उ, ऋ

ii. मूल दीर्घ स्वर - आ, ई, ऊ

iii. संयुक्त स्वर - ए, ऐ, ओ, औ

कुछ विद्वान लृ और लॄ को भी मूल स्वरों में गिनते हैं, लेकिन हिन्दी में इसका उपयोग नहीं होता। इसी प्रकार ऋ की भी अपनी अलग पहचान रह गई है। संस्कृत में इसका प्रयोग अधिक होता है। किन्तु जो हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में हुआ है वे संस्कृत के मूल शब्द हैं। - जैसे – ऋषि, ऋतंबरा, ऋतु, ऋण।

मूल स्वर का उच्चारण पूर्णतया स्वतंत्र होता है और ये ह्रस्व होते हैं। जैसे अ, इ, उ, ऋ| इनके अतिरिक्त दीर्घ और संयुक्त स्वरों मे मूल ह्रस्व स्वर का प्रयोग होता है। तभी उनकी ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं।

मूल दीर्घ स्वर	संयुक्त स्वर
अ + अ = आ	अ + इ = ए
इ + इ = ई	आ + ए = ऐ
उ + उ = ऊ	अ + उ = ओ
	आ + ओ = औ

यहाँ उल्लिखित बात यह है कि हिन्दी में ऋ का दीर्घ उच्चारण नहीं हैं। उच्चारण में कुछ न कुछ समय लगता है। इसे मात्रा कहते हैं। मात्राओं के तीन भेद हैं - ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। छन्दशास्त्र में प्रथम दो को लघु और गुरू नाम से जाना जाना है। एक मात्रिक उच्चारण काल को ह्रस्व कहते हैं, जैसे अ, इ, उ। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लगता है। इसलिए इनकी गिनती दो मात्रा के रूप में होती है – जैसे - आ (अ + अ), ई (इ + इ), ऊ (उ + उ) | इनके अतिरिक्त जिनमें ह्रस्व से तिगुना उच्चारण काल लगता है उन्हें 'प्लुत' कहते हैं। इनके लिए तीन मात्राओं का विधान है। जैसे ओइम | हिन्दी में साधारण तथा 'प्लुत' उच्चारण नहीं होता। किन्तु किसी को जोर से पुकारने, रोने अथवा गाने में इसका प्रयोग किया जाता है।

हिंदी में स्वरों के उच्चारण अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार युक्त और विसर्ग मुक्त भी होता है। इसके संकेत चिन्ह इस प्रकार है।

१. अनुनासिक – (ँ) ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुँह की सहायता से होता है। जैसे - गाँव, दाँत, आँगन, साँचा, चाँद इत्यादि

२. निरनुनासिक - केवल मुँह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं। जैसे - इधर, उधर, आप, अपना, घर, इत्यादि।

अनुस्वार युक्त - ऐसे स्वरों का उच्चारण 'ह' की तरह होता है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है । किन्तु संस्कृत से आए हुए तत्सम शब्दों में आज भी उसका प्रयोग मिलता है। जैसे अन्तःकरण, अंतःपुर, मनःस्थिति, मनःदशा, पथ:पान (दूधपान)।

अनुस्वार और विसर्ग स्वर है या व्यंजन यह विवाद का विषय है। कई विद्वान इन्हें स्वर कहते हैं, और कई व्यंजन किन्तु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। हिन्दी के सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य किशोरदास बाजपेयी की मान्यता यह है कि अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पहले न आकर बाद में आते हैं। इसलिए ये व्यंजन नहीं है। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोग वाहा बिना जोड़-तोड़ नहीं करते हैं।

व्यंजनों का वर्गीकरण - व्यंजन वर्ण वे वर्ण हैं, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में 'अ' की ध्वनि छिपी रहती हैं। 'अ' के बिना व्यंजन का उच्चारण असंभव है। जैसे (क् + अ = क), (च + अ = च) आदि। जहाँ स्वरों का उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि की मदद से होता है। वहीं व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर पर निर्भर होता है। व्यंजनों की संख्या तैतीस हैं। मुख्य रूप में उन्हें तीन भागों में विभाजित किया जाता है।

स्पर्श वर्ग - जैसे - क वर्ग से लेकर प वर्ग तक |

अंतस्थ ध्वनियाँ - (व्यंजन) - य, र, ल, व ।

उष्म ध्वनियाँ (वर्ण) - जैसे- श, ष, स, ह ।

६.३. उच्चारण की दृष्टि से हिन्दी ध्वनियों का वर्गीकरण :

उच्चारण स्वातंत्र्य - इसमें देखा जाता है कि किसी वर्ण अथवा ध्वनि का उच्चारण स्वतंत्र्य रूप से होता है अथवा किसी दूसरे वर्ण की मदद से जिन वर्णों/ ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि की मदद से स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं । जैसे – अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ऋ ।

जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे - क वर्ग से प वर्ग एवं य, र, ल, व, श, ष, स, ह = ३३

हिन्दी में कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं जिनके लिए कुछ संकेत प्राय: प्रचलित हैं । इसलिए कभी-कभी उनके मूलव्यंजन होने का भ्रम होता है। लेकिन वे मूल व्यंजन यहीं है। जैसे - क् + ष् + क्ष = परीक्षा परिषा। त् + र् = त्र = पवित्र, ज + ञ = ज्ञ = प्रतिज्ञा = प्रतिज्अ, श + र् = श्र = श्रम = शर् म।

मूल व्यंजनों की संख्या ३३ है। हिन्दी में 'ड' और 'ढ' का उच्चारण दो प्रकार से किया जाता है। पहला मूर्धन्य उच्चारण जैसे डमरू, डाक, डाकू, ढोल, ढंग और दूसरा द्विस्पृष्ट। जैसे -

ड़ - सड़क, घोड़ा, अड़चन, कड़क, तड़क, भड़क।

ढ़ - पढ़ना, चढ़ना, गढ़, मढ़ना, दृढ़, पीढ़ा, बुढ़ा।

द्विस्पृष्ट उच्चारण जीभ का अगला भाग लटकाकर मूर्धा में लगाने से होता है। इस प्रकार के उच्चारण की ओर संकेत करने के लिए ड़ तथा ढ़ के नीचे बिन्दु लगते है। जिसे नुक्ता कहते हैं। उर्दू के प्रभाव से ज और फ का एक और भी उच्चारण होता है| ज का उच्चारण तालव्य, ज – दन्त तालव्य इसी तरह फ – ओष्ठ्य, फ़ - दन्तोष्ठ्य। ज और फ के दूसरे प्रकार के उच्चारण की ओर संकेत करने के लिए उनके नीचे एक बिन्दी (नुकता) लगाते है। जैसे -

ज़ - ज़रूरत, ज़हर, ज़िन्दगी, जहाज़, आज़ाद, जिद, जोर, जुल्म।

फ़ - फजीहत, फ़रमाइश, फ़रार, फ़रमान, फ़ैसला, फ़रिश्ता, फ़ासला, फ़सल, फ़क़ीर, फ़नकार।

उच्चारण स्थान के आधार पर : इस वर्गीकरण का आधार स्थान भेद है। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे – कण्ठ, तालु, मुर्धा, दाँत, ओष्ठ।

ऊपर के दाँतों के जरा पीछे तालु है, तालु के पीछे मूर्धा होती है | स्थान भेद से वर्गों का वर्गीकरण इस प्रकार है -

कण्ठ्य – कण्ठ से - अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह = ०८

तालव्य – तालु से – इ, ई, च, छ, ज, झ, ग, य, श = ०९

मूर्धन्य – मूर्धा से – ऋ, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, ष = ०८

दन्त्य – दाँत से – त, थ, द, ध, न, ल, स, = ०७

ओष्ठ्य – ओठ से – उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म = ०७

कण्ठ तालव्य – कण्ठ - तालु से – ए, ऐ = ०२

कठोष्ठय - कण्ठ - ओठ से – ओ, औ = ०२

दन्तोष्ठ्य – दाँत ओठ से – व = ०१

आभ्यन्तर प्रयत्न - उच्चारण रीति या प्रयत्न के आधार पर :

इस वर्गीकरण का आधार उच्चारण रीति या प्रयत्न है। इसमें आभ्यन्तर प्रयत्न का प्रमुख स्थान हैं। वर्णों के उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं। उसमें ध्वनि उत्पन्न होने से पहले वागिन्द्रिय की जो क्रिया होती है उसे आभ्यन्तर प्रयत्न कहा जाता है | आभ्यन्तर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के चार भेद किए गए हैं।

i. **विवृत :** इसके उच्चारण में वागिन्द्रिय खुली रहती है। इसमें सभी स्वर आते है जैसे अ से औ तक।

ii. **स्पृष्ट :** इसके उच्चारण में वागिन्द्रिय बंद रहती है। जैसे क से म तक।

iii. **ईष्त विवृत :** इसके उच्चारण में वागिन्द्रिय कुछ-कुछ खुली रहती है। जैसे - य, र, ल, व।

iv. **ईषत् स्पृष्ट :** इसके उच्चारण में वागिद्रिय कुछ-कुछ बंद रहती है। जैसे - श, ष, स, ह।

बाह्य प्रयत्न के आधार पर :

इस वर्गीकरण का आधार उच्चारण में होने वाल बाह्य प्रयत्न है। इसमें ध्वनि पूर्ण होती है। वागिन्द्रिय की जो क्रिया होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है।

i. अघोष - अघोष वर्णों के उच्चारण में केवल साँस के उपयोग होता है। इसके उच्चारण में घोष अर्थात 'नाद' नहीं होता।

ii. घोष – घोष वर्णों के उच्चारण में घोष अर्थात् 'नाद' होता है।

अघोष वर्ण इस प्रकार है । क वर्ग से लेकर प वर्ग तक प्रथम तथा द्वितीय वर्ण है तथा शेष – श, ष, स = १३ – क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, ष, स = १३

शेष सभी व्यंजन तथा सभी स्वर घोष वर्ण, स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ वर्ण तथा य, र, ल, व, ह और सारे स्वर । कुल मिलाकर ३१ वर्ण ।

इस वर्गीकरण का आधार भी बाहय प्रयत्न है, इसमें वर्णों के दो भेद किए जाते हैं ।

i. अल्पप्राण

ii. महाप्राण

जिन व्यंजनों के उच्चारण में 'ह' की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई पड़ती है वे महाप्राण है। शेष सभी व्यंजन और स्वर अल्पप्राण होते हैं ।

महाप्राण - महाप्राण ध्वनियों में प्रत्येक स्पर्श ध्वनि (व्यंजन) का दूसरा और चौथा वर्ण तथा श, ष, स, ह, आता है ।

ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, ष, स, ह = १४

अल्पप्राण – इसमें पहला, तीसरा और पाँचवा तथा सारे स्वर आते हैं ।

क, ग, ङ.	च, ज, ञ	ट, ङ, ण
त, द, न	फ, ब, म	य, र, ल, व = १९

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ = ११

हिंदी की व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण : सभी व्यंजन अवरोधी ध्वनियाँ है । व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, अवरोध किस स्थान पर होता है और अवरोध उत्पन्न करने वाला अंग किस तरह का प्रयत्न करता है । स्थान या उच्चारण स्थान से तात्पर्य ऊपरी जबड़े के उन स्थानों से है जहाँ उच्चारण अवयव (जीभ या निचला होंठ) ऊपर जाकर फेफड़ों से आने वाली वायु का अवरोध करते हैं। इस दृष्टि से ऊपरी होठ, ऊपरी दाँत, वर्त्स या दन्तमूल, कठोर तालु, मूर्धा, कोमल तालु या कंठ तथा स्वरतंत्र प्रमुख उच्चारण स्थान है। ऊपरी होठ तथा ऊपरी दाँत वे स्थान है जहाँ निचले ओठ द्वारा

अवरोध उत्पन्न किया जाता है। जब कि शेष स्थानों पर जिह्वा द्वारा अवरोध किया जाता है। इस अवरोध की प्रक्रिया में जिह्वा की नोक, जिह्वा का अग्र, मध्य तथा पश्च भाग हिस्सा ले सकते है।

i. हिन्दी व्यंजनों के स्थान के आधार पर वर्गीकरण :

कंठ या कोमल तालव्य	- क, ख, ग, घ, ङ
तालव्य	- च, छ, ज, झ, ञ
मूर्धन्य	- ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़, ष
दन्त्य	- त, थ, द, ध, न
वत्स्र्य	- स, ज, र, ल
ओष्ठ्य	- प, फ, ब, भ, म
दन्त्योंष्ठ्य	- व, फ्
स्वर तंत्रीय	- ह

ii. हिन्दी व्यंजनों का प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण :

प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार है –

(क) अवरोध की प्रकृती के आधार पर -

स्पर्शी - जब उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु का मार्ग अवरुद्ध करता है तब जो व्यंजन उच्चरित होते हैं, वे स्पर्शी व्यंजन कहे जाते हैं। हिंदी में क–वर्ग, ट-वर्ग, त-वर्ग तथा प-वर्ग के पहले चार व्यंजन स्पर्शी व्यंजन है।

संघर्षी - कुछ व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अवयव इतना ऊपर नहीं उठते कि वे उच्चारण स्थान का स्पर्श कर सकें। वे उनके इतने निकट आ जाते हैं कि वायु दोनों के बीच से घर्षण करती हुई निकलती है। ऐसे व्यंजन संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। हिंदी में स, श, ष, ह तथा आगत व्यंजन ख, ग, ज तथा फ़ संघर्षी व्यंजन हैं।

स्पर्श संघर्षी - जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श तथा घर्षण दोनों प्रयत्न होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान को स्पर्श करने के बाद इतने निकट रह जाते हैं कि वायु घर्षण करती हुई ही बाहर निकलती है। हिंदी में च-वर्ग के सभी व्यंजन इसी कोटि में आते हैं।

अंतःस्थ - इस कोटि में अर्ध-स्वर, लुंठित तथा पार्श्विक व्यंजन आते हैं।

अर्धस्वर - इनके उच्चारण में जीभ स्वरों की तुलना में अधिक ऊपर उठती है पर इतना ऊपर नहीं जाती कि वायु का मार्ग अवरुद्ध हो सके। हिन्दी के 'य' तथा 'व' व्यंजन अर्ध-स्वर हैं।

लुंठित - जब जीभ की नोक मुख के मध्य भाग में आकर बार-बार आगे पीछे गिरती है तो इस प्रकार उच्चारित व्यंजन लुंठित कहे जाते हैं। हिंदी में 'र' व्यंजन लुंठित ध्वनि का उदाहरण है।

पार्श्विक - यहाँ भी जीभ को नोक मुख के बीच में आकर एक ओर या दोनों ओर पार्श्व (खिड़की) बनाती है और वायु इन्हीं पार्श्व से होकर बाहर निकलती है। हिंदी की 'ल' ध्वनि इसका उदाहरण है।

उत्क्षिप्त - उत्क्षिप्त व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर पहले मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर तुरंत झटके से नीचे गिरती है। हिंदी के 'ड़' तथा 'ढ़' व्यंजन इसके उदाहरण हैं।

(ख) स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर -

सघोष तथा अघोष व्यंजन : हम सबके गले में स्वरतंत्रियाँ होती हैं। जब फेफड़ों से निकल कर आने वाली वायु इनसे टकराती है तो ये झंकृत हो जाते हैं और इनमें कंपन उत्पन्न हो जाता है। कंपन के फलस्वरूप कभी ये परस्पर निकट आ जाती हैं तो कभी दूर हो जाती है। जिस समय ये निकट होती हैं उस समय इनकी झंकार की अनुगूँज (घोष) भी मुख तक जाने वाली वायु में सम्मिलित हो जाती है। इस समय जो व्यंजन उच्चारित होते हैं उन्हें संघोष-व्यंजन कहा जाता है। अघोष व्यंजनों में स्वर तंत्रियाँ परस्पर दूर रहती है अत: उनकी अनुगूँज शामिल नहीं हो पाती। हिंदी में वर्ग के प्रथम दो व्यंजन अघोष हैं और शेष तीनों सघोष।

अघोष - क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ।

सघोष - ग, घ, ड.,ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म।

(ग) श्वास की मात्रा के आधार पर -

अल्पप्राण तथा महाप्राण - जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में श्वास निकलती है उसे अल्पप्राण तथा जिनमें अधिक मात्रा में निकलती है वे महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। हिंदी में वर्ग के प्रथम तथा तृतीय अल्पप्राण तथा द्वितीय एवं चतुर्थ व्यंजन महाप्राण हैं।

अल्पप्राण – क, ग, च, ज, ट, ङ, त, द, प, ब।

महाप्राण – ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ।

हिन्दी की आगत ध्वनियाँ - जो ध्वनियाँ किसी दूसरी भाषा के शब्दों के आ जाने के कारण आ जाती हैं, आगत ध्वनियाँ कही जाती है तथा उन शब्दों को आगत शब्द कहते हैं। हिंदी में भी अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेज़ी तथा अनेक यूरोपीय भाषा शब्द आ गए हैं। इन शब्दों के माध्यम से ऐसी ध्वनियाँ भी हिंदी में आ गई हैं जो हिंदी में नहीं थी। आज ये आगत शब्द हिंदी में इस कदर घुल-मिल गए हैं कि किसी को यह

अहसास भी नहीं होता कि ये किसी दूसरी भाषा से आये हैं | हिंदी में इन आगत ध्वनियों के लिए नए वर्ण भी विकसित कर लिए गए हैं। ये इस प्रकार हैं-

आगत ध्वनियाँ	**उदाहरण**
ऍ	कैप, मैप, पैन आदि।
ऑ	कॉफी, टॉकी, शॉप, बॉल आदि।

यद्यपि मानक वर्तनी में 'ऍ' को नहीं लिया गया है। परंतु यदि इसको भी ले लिया जाए तो हम अनेक आगत-शब्दों का जिनमें 'ऍ' स्वर उच्चारित होता है, सही उच्चारण कर सकते हैं।

आगत व्यंजन - आगत व्यंजनों के लिए वर्णमाला में परंपरागत वर्णों के नीचे बिंदी लगाकर चिह्न विकसित किए गए हैं। ये वर्ण हैं - क़, ख़, ग़, ज़ तथा फ़।

जहाँ तक उच्चारण का प्रश्न है प्राय: हिंदी भाषा भाषी ज, फ की तुलना में क़, ख तथा ग का उच्चारण नहीं करता या बहुत कम करता है। फिर भी इन ध्वनियों का महत्व तब अधिक हो जाता है जब हिंदी की निकटवर्ती ध्वनि किसी शब्द में इनके व्यतिरेक में आ जाती है -

जैसे -

ताक (ताकना)	खाना (भोजन)	सजा (सजाना)
ताक (दीवार का आला)	खाना (अलमारी का खाना)	सजा (दंड)
बाग (घोड़े की)	फन (साँप का)	जरा (बुढ़ापा)
बाग़ (बगिया)	फ़न (हुनर)	जरा (थोड़ा)

६.४. सारांश :

प्रस्तुत इकाई का उद्देश्य था आपको हिन्दी भाषा की 'ध्वनि-व्यवस्था' से परिचित कराना। इसी हिंदी की खंडेतर ध्वनियों अनुतान, बलाघात, संहिता, मात्रा, अनुनासिकता आदि का भी संक्षेप में परिचय कराया गया | इसके अलावा आप को परंपरागत स्वनिम विज्ञान तथा निष्पादक स्वनिम विज्ञान की अवधारणाओं का तुलनात्मक परिचय दिया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया कि निष्पादक स्वनिन विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर हम किसी भी भाषा की स्वनिमिक व्यवस्था को विस्तार से और गहराई से स्पष्ट कर सकते हैं। निष्पादक स्वनिम विज्ञान के अंतर्गत इसकी प्रमुख संकल्पनाओं 'अभिव्यक्ति' के विभिन्न स्तर 'अभिलक्षण', 'स्वनिमिक नियम' तथा उनकी 'लेखन विधि' का भी आपने विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

इकाई के अंतिम खंड में हिंदी की प्रमुख स्वनिमिक समस्याओं- अ- लोपी ड़ / ढ़ की समस्या, नासिक्य ध्वनियों की समस्या तथा महाप्राण व्यंजनों की समस्या का भी विस्तृत

परिचय दिया गया। इन नियमों को जानकर अब अहिंदी भाषी छात्र शब्दों का मातृभाषा-भाषी के सामन उच्चारण कर सकते हैं।

६.५. लघुत्तरीय प्रश्न :

१. व्याकरण की सबसे छोटी इकाई हैं?

उत्तर : ध्वनि।

२. वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे क्या कहा जाता हैं?

उत्तर : व्यंजन।

३. अनुस्वार का उच्चारण कितने प्रकार से होता है?

उत्तर : छह प्रकार से।

४. स्वरों के वर्गीकरणों में से 'आ' स्वर किसमें आता हैं?

उत्तर : मुल दीर्घ स्वर।

५. हिंदी में 'ड' और 'ढ़' का उच्चारण कितने प्रकार से किया जाता हैं?

उत्तर : दो प्रकार से।

६. किसके उच्चारण में वागिन्द्रिय खुली रहकर उसमें 'अ' से 'औ' तक स्वर आते हैं?

उत्तर : विवृत्त।

६.६. दीर्घोत्तरीय प्रश्न :

१. हिन्दी ध्वनियों के परिप्रेक्ष्य में वर्ण विचार को स्पष्ट कीजिए।

२. हिन्दी के प्रमुख स्वर ध्वनियों का परिचय दीजिए|

३. हिन्दी की व्यंजन ध्वनियों का परिचय दीजिए।

६.७. संदर्भ ग्रंथ :

१. भाषा विज्ञान - डॉ. भोलानाथ तिवारी

२. भाषा-विज्ञान एवं भाषाशास्त्र – डॉ. कपिल देव द्विवेदी

३. भाषा विज्ञान के अधुनातम आयाम - डॉ. अंबादास देशमुख

४. हिन्दी भाषा, व्याकरण और रचना - डॉ. अर्जुन तिवारी

५. सामान्य भाषा विज्ञान – डॉ. बाबुराव सक्सेना

६. आधुनिक भाषा विज्ञान के सिद्धांत - डॉ. राम किशोर शर्मा

७. सामान्य भाषा विज्ञान - डॉ. बाबूराम सक्सेना

८. हिंदी भाषा का इतिहास - धीरेंद्र वर्मा

❄❄❄❄❄❄❄

७

कारक के भेद एवं उसकी विभक्तियाँ

इकाई की रुपरेखा

७.० इकाई का उद्देश्य

७.१ प्रस्तावना

७.२ कारक के भेद एवं उसकी विभक्तियाँ

७.३ सारांश

७.४ लघुत्तरीय प्रश्न

७.५ दीर्घोत्तरीय प्रश्न

७.६ संदर्भ ग्रंथ

७.० इकाई का उद्देश्य :

प्रस्तुत इकाई में निम्नलिखित बिंदुओं का छात्र अध्ययन करेंगे।

- कारक की परिभाषा को छात्र जान सकेंगे।
- कारक के प्रमुख भेदों का अध्ययन करेंगे।
- विभक्तियों को परिभाषित करने के बाद विभक्ति क्या हैं उसे छात्र समझ जायेंगे।
- कारक और विभक्ति में अन्तर क्या हैं उसे छात्र जान सकेंगे।

७.१ प्रस्तावना :

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, उसे या उस रूप को कारक कहते हैं। अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका (संज्ञा या सर्वनाम) का क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कारकों के बोध हेतु संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय (चिन्ह) लगाए जाते हैं, उन्हें हम व्याकरण में विभक्तियाँ कहते हैं।

७.२ कारक के भेद एवं उसकी विभक्तियाँ :

कारक : संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप को वाक्य के दूसरे शब्द से जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं।

संज्ञा या सर्वनाम का कारक रूप बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, उसे विभक्ति कहते हैं।

	संज्ञा	विभक्ति	कारक
i.	बालक	ने	बालक ने (कर्ता कारक)
ii.	लडकी	को	लडकी को (कर्म कारक)
iii.	कुत्ता	से, द्वारा	कुत्ते से (करण कारक)
iv.	लडकी	को, के लिए	लडकी को (सम्प्रदान कारक)
v.	कुत्ता	से	कुत्ते से (अपादान कारक)
Vi	रमेश	का, के, की	रमेश का, के, की (संबंध कारक)
Vii.	यह	ने	इसने (कर्ता कारक)
Viii.	वे	को	उनको (कर्म कारक)
ix.	जो	मे, पर	जिससे, जिस पर (अधिकरण)

हिन्दी में कुल छ: विभक्तियाँ है वे इस प्रकार हैं – ने, को, से, का, के, की, में, पर आदि।

विभक्तियों का कार्य है वाक्य को दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करना । इन विभिन्न प्रकार के संबंधों को व्यक्त करने के लिए हिन्दी में विभक्तियाँ नहीं है। इसलिए संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग करना पड़ता है।

जैसे - तेरे घर के सामने, दर्द के मारे, नदी की ओर, मंदिर के पास, नहाने के लिए, इनमें रेखांकित शब्द संबंध सूचक शब्द है। हिन्दी में विभक्ति संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखी जाए अथवा पृथक करके लिखी जाए, यह विषय विवादास्पद है । प्राय: यह माना जाता है कि संज्ञाओं के साथ विभक्ति का प्रयोग करते समय वे अलग लिखी जाएँ । जैसे लड़के ने, मंदिर में, भगवान को, किन्तु सर्वनाम के साथ प्रयोग करते समय उनको जोड़कर लिखा जाए। जैसे - मेरा, मुझमें, तुमने, उसको ।

कारकों के कुल आठ भेद किए जाते हैं -

१. कर्ता कारक :

वाक्य में जिस वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे सूचित करनेवाले संज्ञा या सर्वनाम रूप को कर्ता कारक कहते हैं | इसके अधिकांश प्रयोगों में विभक्ति नहीं आती |

जैसे - आदमी ने काम किया ।

मेहमान अभी चले गये ।

वह अब तक नहीं आई।

कोई गा रहा है।

जब सकर्मक क्रिया भूतकाल में होती है तब कर्ता के साथ प्राय: 'ने' विभक्ति आती हैं।

जैसे - आदमी ने काम किया।

मेहमानों ने कमाल कर दिया।

उसने निबंध नहीं लिखा।

इसने बहुत बड़ी गल्ती की।

कर्ता कारक 'ने' विभक्ति के विषय में मत भेद है। कुछ विद्वान उसकी कारक व्युत्पत्ति संस्कृत के करण कारक की विभक्ति के 'ना' प्रत्यय के रूपान्तर से मानते हैं | या प्राकृत के 'यें' से या अपभ्रंश के 'ए' के एकवचन से। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति मारवाड़ी 'पश्चिमी हिन्दी भाषा के 'नै' या ' ने' से। इस प्रकार 'ने' की व्युत्पत्ति में भी विद्वानों में मतभेद है। कर्ता कारक की रचना इस प्रकार है –

कारक की विभाक्ति -

i. पुल्लिंगी संज्ञाएँ -

संज्ञाएँ	एकवचन	बहुवचन
बैल – अ	बैल ने	बैलों ने
लडका – आ	लडके ने	लडकों ने
कवि – इ	कवि ने	कवियों ने
आदमी – ई	आदमी ने	आदमियों ने
साधु – उ	साधु ने	साधुओं ने
डाकू – ऊ	डाकू ने	डाकुओं ने

ii. स्त्रीलिंग संज्ञाएँ -

संज्ञाएँ	एकवचन	बहुवचन
बहन	बहन ने	बहनौ ने
माला	माला ने	मालाओं ने
तिथि	तिथि ने	तिथियों ने

नदी	नदी ने	नदियों ने
वस्तु	वस्तु ने	वस्तूओं ने
बहू	बहू ने	बहुओं ने
गौ	गौ ने	गौओं ने

२. **कर्म कारक :**

जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का बल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा या सर्वनाम के रूप को कर्म कारक कहते है। इसकी विभक्ति 'को' है।

जैसे - राजा ने हाथी को देखा।

राजा ने हाथी देखा।

माँ ने बच्चे को उठाया।

माँ ने बच्चा उठाया।

'को' विभक्ति के विषय में भी विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान व्युत्पत्ति संस्कृत के कृतम से मानते हैं। उनके अनुसार संस्कृत का कृतम प्राकृत में 'करतो' फिर इको होकर 'को' हो गया। कुछ विद्वान 'को' विभक्ति का सम्बन्ध संस्कृत के 'कक्षम्' (निकट) से मानते हैं। कर्म कारक की 'को' विभक्ति जोड़कर संज्ञाएँ की कारक रचना इस प्रकार होती हैं।

i. **पुल्लिंगी संज्ञाएँ -**

संज्ञाएँ	**एकवचन**	**बहुवचन**
बैल	बैल को	बैलों को
लडका	लडके को	लडकों को
कवि	कवि को	कवियों को
आदमी	आदमी को	आदमियों को
साधु	साधु को	साधुओं को
डाकू	डाकू को	डाकुओं को

ii. स्त्रीलिंग संज्ञाएँ -

संज्ञाएँ	एकवचन	बहुवचन
बहन	बहन को	बहनों को
माला	माला को	मालाओं को
तिथि	तिथि को	तिथियों को
नदी	नदी को	नदियों को
वस्तु	वस्तु को	वस्तुओं को
बहू	बहू को	बहुओं को
गौ	गौ को	गौओं को

३. करण कारक :

करण कारक संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कहते हैं जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है।

जैसे - सिपाही चोर को रस्सी से बाँध देता है।

हम कलम से लिखते हैं।

कुछ विद्वान 'से' की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'समम्' (साध) अव्यय से मानते हैं। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति प्राकृत के 'संतों > सुंतो > से' से मानते हैं।

i. पुल्लिंगी संज्ञाएँ -

संज्ञाएँ	एकवचन	बहुवचन
बैल	बैल से	बैलों से
लडका	लडके से	लडकों से
कवि	कवि से	कवियों से
आदमी	आदमी से	आदमियों से
साधु	साधु से	साधुओं से
डाकू	डाकू से	डाकुओं से

ii. स्त्रीलिंग संज्ञाएँ -

संज्ञाएँ	**एकवचन**	**बहुवचन**
बहन	बहन से	बहनों से
माला	माला से	मालाओं से
तिथि	तिथि से	तिथियों से
नदी	नदी से	नदियों से
वस्तु	वस्तु से	वस्तुओं से
बहू	बहू से	बहुओं से
गौ	गौ से	गौओं से

४. सम्प्रदान कारक :

जिस वस्तु के लिए कोई क्रिया की जाती है, उस वस्तु की वाचक संज्ञा या सर्वनाम को सम्प्रदान कारक कहते हैं। इसका प्रयोग द्विकर्मक क्रिया के लिए किया जाता है। जब वाक्य में दो कर्म होते हैं, तब मुख्य कर्म कारक और गौण कर्म सम्प्रदान कारक में होता है।

जैसे -

i. राजा ने ब्राम्हण को धन दिया।

मुख्य कर्म - धन। गौण कर्म - ब्राम्हण

ii. अध्यापक छात्रों को कहानी पढ़ाते हैं।

मुख्य कर्म - कहानी। गौण कर्म – छात्र

i. पुल्लिंगी संज्ञाएँ -

संज्ञाएँ	**एकवचन**	**बहुवचन**
बैल	बैल को, के लिए	बैलों को, के लिए
लडका	लडके को, के लिए	लडकों को, के लिए
कवि	कवि को, के लिए	कवियों को, के लिए
आदमी	आदमी को, के लिए	आदमियों को, के लिए
साधु	साधु को, के लिए	साधुओं को, के लिए
डाकू	डाकू को, के लिए	डाकुओं को, के लिए

ii. स्त्रीलिंग संज्ञाएँ -

संज्ञाएँ	**एकवचन**	**बहुवचन**
बहन	बहन को, के लिए	बहनों को, के लिए
माला	माला को, के लिए	मालाओं को, के लिए
तिथि	तिथि को, के लिए	तिथियों को, के लिए
नदी	नदी को, के लिए	नदियों को, के लिए
वस्तु	वस्तु को, के लिए	वस्तुओं को, के लिए
बहू	बहू को, के लिए	बहुओं को, के लिए
गौ	गौ को, के लिए	गौओं को, के लिए

५. अपादान कारक :

संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को जिससे अन्य संज्ञा से उसके अलग होने के भाव की सूचना मिलती है उसे अपादान कारक कहते हैं।

जैसे – पहाड़ से नदी निकलती है।

बादलों से पानी बरसता है।

'से' के व्युत्पत्ति संस्कृत के समम् (साथ) अव्यय से माना जाता है। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति प्राकृत के 'संतो, सुंतो, से' से मानते हैं। उदाहरण -

i. **पुल्लिंगी संज्ञाएँ -**

संज्ञाएँ	**एकवचन**	**बहुवचन**
बैल	बैल से	बैलों से
लडका	लडके से	लडकों से
कवि	कवि से	कवियों से
आदमी	आदमी से	आदमियों से
साधु	साधु से	साधुओं से
डाकू	डाकू से	डाकुओं से

ii. **स्त्रीलिंग संज्ञाएँ -**

संज्ञाएँ	एकवचन	बहुवचन
बहन	बहन से	बहनों से
माला	माला से	मालाओं से
तिथि	तिथि से	तिथियों से
नदी	नदी से	नदियों से
वस्तु	वस्तु से	वस्तुओं से
बहू	बहू से	बहुओं से
गौ	गौ से	गौओं से

६. **संबंध कारक :**

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाच्य वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु के साथ सूचित होता है। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को संबंध कारक कहते हैं।

उदाहरण - रामलाल की बेटी बीमार है।

अमीरों के घर में किस बात की कमी है।

i. पुल्लिंगी संज्ञाएँ -

संज्ञाएँ	एकवचन	बहुवचन
बैल	बैल का, के, की	बैलों का, के, की
लडका	लडके का, के, की	लडकों का, के, की
कवि	कवि का, के, की	कवियों का, के, की
आदमी	आदमी का, के, की	आदमियों का, के, की
साधु	साधु का, के, की	साधुओं का, के, की
डाकू	डाकू का, के, की	डाकुओं का, के, की

ii. **स्त्रीलिंग संज्ञाएँ -**

संज्ञाएँ	एकवचन	बहुवचन
बहन	बहन का, के, की	बहनों का, के, की
माला	माला का, के, की	मालाओं का, के, की
तिथि	तिथि का, के, की	तिथियों का, के, की
नदी	नदी का, के, की	नदियों का, के, की
वस्तु	वस्तु का, के, की	वस्तुओं का, के, की

बहू	बहू का, के, की	बहुओं का, के, की
गौ	गौ का, के, की	गौओं का, के, की

संबंधकारक की विभक्ति है 'का' लिंग और वचन के कारण इस के 'की' के रूप हो गए हैं।

जैसे - बैल का, बैल की, बैलों के। लड़के का, लड़के की, लड़कों के।

'का' विभक्ति की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'कृत' और प्राकृत के केरओ, केरिआ, केरक, केर से मानी जाती है। इन्हीं से वर्तमान हिन्दी के - का, की, के प्रत्यय बने हैं।

आदि-कालीन रसों काव्य की प्राचीन हिन्दी के 'केरा', 'करो' आदि प्रत्ययों से हिन्दी सर्वनामों के 'रा','री', 'रे' प्रत्यय बने हैं। जिनमें 'आध' अक्षर 'क' का लोप हो जाता है।

७. अधिकरण कारक :

संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, अधिकरण कारक कहलाता है।

जैसे – सिंह वन में रहता।

बंदर पेड़ों पर चढ़ रहे हैं।

'में' की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'मध्ये' से हुई है।

जैसे - मध्ये > मज्झे > मज्झि > माहि > महि > में।

कुछ विद्वान इसे प्राकृत 'म्मि' का अपभ्रंश मानते हैं। 'पर' की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'उर्णर' से हुई हैं।

i. पुल्लिंगी संज्ञाएँ -

संज्ञाएँ	**एकवचन**	**बहुवचन**
बालक	बालक में, पर	बालकों में, पर
लडका	लडके पर, में	लडकों में, पर
कवि	कवि में, पर	कवियों में, पर
आदमी	आदमी में, पर	आदमियों में, पर
साधु	साधु में, पर	साधुओं में, पर
भालू	भालू में, पर	भालूओं में, पर

ii. स्त्रीलिंग संज्ञाएँ -

संज्ञाएँ	एकवचन	बहुवचन
बहन	बहन में, पर	बहनों में, पर
माला	माला में, पर	मालाओं में, पर
तिथि	तिथि में, पर	तिथियों में, पर
नदी	नदी में, पर	नदियों में, पर
वस्तु	वस्तु में, पर	वस्तुओं में, पर
बहू	बहू में, पर	बहुओं में, पर
गौ	गौ में, पर	गौओं में, पर

८. सम्बोधन कारक :

संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना सूचित होता है, उस रूप को सम्बोधन कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है।

जैसे - हे राम!

i. पुल्लिंगी संज्ञाएँ -

संज्ञाएँ	एकवचन	बहुवचन
बैल	हे बैल!	हे बैलों!
लडका	हे लडके!	हे लडकों!
कवि	हे कवि!	हे कवियों!
आदमी	हे आदमी!	हे आदमियों!
साधु	हे साधु!	हे साधुओं!
भालू	हे भालू!	हे भालूओं!

!

ii. स्त्रीलिंग संज्ञाएँ -

संज्ञाएँ	एकवचन	बहुवचन
बहन	हे बहन!	हे बहनों!
माला	हे माला!	हे मालाओं!
रीति	हे रीति!	हे रीतियों!
नदी	हे नदी!	हे नदियों!
वस्तु	हे वस्तु!	हे वस्तुओं!
बहू	हे बहू!	हे बहुओं!
गौ	अरी गौ!	अरी गौओं!

इस प्रकार से कारक के भेद और उसकी विभक्तियाँ रहीं हैं।

७.३ सारांश :

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे (उस रूप को) कारक कहते हैं। हिन्दी में कारक आठ हैं और कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय (चिन्ह) लगाये जाते हैं, उन्हें व्याकरण में विभक्तियाँ कहते हैं। शब्द और पद वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को 'शब्द' कहते हैं, किन्तु जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं, तब वे पद कहलाते हैं। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं।

७.४ लघुत्तरीय प्रश्न :

१. संज्ञा या सर्वनाम का कारण रूप बनाने के लिए किसका प्रयोग करते है?

उत्तर: प्रत्यय।

२. हिंदी में कुल कितनी विभक्तियाँ है?

उत्तर: छह।

३. कारक के भेद कितने है?

उत्तर: आठ।

४. करण कारक में 'से' की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस अव्यय से मानते है?

उत्तर: समम् (साध)।

५. कर्म कारक में कौनसी विभक्ति है?

उत्तर: को।

६. जिस वस्तु के लिए कोई क्रिया की जाती है, उस वस्तु की वाचक संज्ञा या सर्वनाम को क्या कहा जाता है?

उत्तर: सम्प्रदान कारक।

७.५ दीर्घोत्तरीय प्रश्न :

१. कारक को परिभाषित करते हुए उसके प्रमुख भेदों का उल्लेख कीजिए|

२. कारक के कितने भेद है स्पष्ट कीजिए।

३. कारक एवं उसकी विभक्तियों पर प्रकाश डालिए।

४. कर्ता कारक को सोदाहरण समझाइए|

५. करण कारक में पुल्लिंगी एवं स्त्रीलिंगी संज्ञाओं को स्पष्ट कीजिए।

७.६ संदर्भ ग्रंथ :

१. भाषा विज्ञान - डॉ. भोलानाथ तिवारी

२. भाषा-विज्ञान एवं भाषाशास्त्र – डॉ. कपिल देव द्विवेदी

३. भाषा विज्ञान के अधुनातम आयाम - डॉ. अंबादास देशमुख

४. हिन्दी भाषा, व्याकरण और रचना - डॉ. अर्जुन तिवारी

५. सामान्य भाषा विज्ञान – डॉ. बाबुराव सक्सेना

६. आधुनिक भाषा विज्ञान के सिद्धांत - डॉ. राम किशोर शर्मा

७. सामान्य भाषा विज्ञान - डॉ. बाबूराम सक्सेना

८. हिंदी भाषा का इतिहास - धीरेंद्र वर्मा

❇❇❇❇❇❇❇

८

संज्ञा : रूपांतर के आधार

इकाई की रुपरेखा

८.० इकाई का उद्देश्य

८.१ प्रस्तावना

८.२ संज्ञा की परिभाषा, अर्थ

८.३ संज्ञा में रूपांतर के आधार

८.४ सारांश

८.५ लघुत्तरीय प्रश्न

८.६ दीर्घोत्तरीय प्रश्न

८.७ संदर्भ ग्रंथ

८.० इकाई का उद्देश्य :

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् छात्र निम्नलिखित बिंदुओं से परिचित होंगे।

- संज्ञा के भेद को जान पाएंगे।
- संज्ञा के रूपांतर का छात्र अध्ययन करेंगे।
- पद-परिचय की जानकारी हासिल करेंगे।

८.१ प्रस्तावना :

'संज्ञा' उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। यहाँ 'वस्तु' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं, वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में `वस्तु' का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। अत: वस्तु के अन्तर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं।

८.२ संज्ञा के भेद :

संज्ञा के भेदों के संबंध में वैयाकरणों का एक मत नहीं हैं फिर भी उसके अधिकत्तर पाँच भेद स्वीकार किए है। वे भेद निम्नलिखित हैं -

संज्ञा के पाँच भेद है –

i **जातिवाचक संज्ञा -** जिसमें किसी जाति के सम्पूर्ण पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे - लड़का, पहाड़, गाय।

ii **व्यक्तिवाचक संज्ञा –** जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति का पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे - गंगा, हिमालय आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में प्राय: यह प्रश्न उठता है कि संज्ञाएँ सार्थक होती है या निरर्थक अर्थात किसी व्यक्ति का नाम उसके गुण विशेषताएं आदि के अनुसार होता है। या गुण, विशेषताएं व्यक्ति के नाम में किसी भी प्रकार की समानता नहीं होती। हिन्दी में एक कहावत है – 'आँख का अंध नाम नयन सुख' प्राय: व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के साथ ऐसी बातें देखी जाती है – जैसा नाम होता है, वैसे वे नहीं होते – लड़कों के नामों में महाबीर, विद्याधर और लड़कियों के नाम – सरला, कलावती, कलिका, स्मिता आदि नाम इस दृष्टि से दर्शनीय है। महावीर नाम धारण करने वाले व्यक्ति के लिए यह जरूरी नहीं कि वह बहुत बहादुर हो, वह बहुत दुबला- पतला भी हो सकता है। सरला नाम की लड़की बड़ी चालाक भी हो सकती है। इस दृष्टी से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अर्थ हीन होती हैं, किन्तु ऐसा नहीं है कि वे एकदम निरर्थक ही हों। इसका कारण यह है कि नाम रखते समय प्रत्येक माता-पिता की इच्छा रहती है कि उसकी संतान अपने नाम को सार्थक करे और संतानें मोती के जवाहर की तरह अपने नाम को सार्थक भी करती हैं। वास्तव में नाम को सार्थक न करना अलग ही बात है। व्यक्ति-वाचक संज्ञाओं के संबंध में ऐसे प्रश्न का कोई मतलब नहीं होता।

iii. **भाववाचक संज्ञा –** जिस शब्द से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे – मिठास, चतुराई, मुर्खता, भोलापन।

iv. **समूहवाचक संज्ञा –** जिससे किसी समूह का बोध होता है, उसे समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे - भीड़, कक्षा, सेना, सभा, पुलिस, जुलुस।

v. **द्रव्यवाचक संज्ञा -** जिससे किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे - शक्कर, दूध, गेहूं, शरबत।

८.३ संज्ञा : रूपांतर के आधार

संज्ञा में रूपांतर के तीन आधार होते हैं -

१. वचन

२. लिंग

३. कारक

१. वचन के कारण संज्ञाओं में होने वाला रूपांतर :

हिन्दी में दो वचन है, एक वचन एवं बहुचवन। वचन के कारण संज्ञाओं में कई बार परिवर्तन होता है। सभी संज्ञाएँ या तो पुल्लिंग होती हैं या स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की संज्ञाओं का बहुवचन करने के विषय में अलग-अलग नियम हैं। पुल्लिंग की संज्ञाओं का बहुवचन करने के बारे में केवल एक ही नियम है। आकारान्त पुल्लिंग संज्ञाएँ बहुवचन में एकारान्त हो जाती है। जैसे - बेटा - बेटे, लड़का - लड़के, घोड़ा - घोड़े, कुत्ता - कुत्ते।

किन्तु कुछ आकारान्त पुल्लिंग संज्ञा में अपवाद भी हैं - जैसे पिता, चाचा, मामा, काका, योद्धा, राजा, वक्ता, नेता।

आकारान्त पुल्लिंग संज्ञाओं को छोड़कर पुल्लिंग अन्य संज्ञाओं में वचन के कारण रूपांतर नही होता है। जैसे -

एकवचन	**बहुवचन**
बैल (अकारान्त)	बैल
कवि (ईकारान्त)	कवि
भाई (ईकारान्त)	भाई
साधु (उकारान्त)	साधू
डाकू (अकारान्त)	डाकू

हिन्दी में उर्दू से आयी हुई कुछ संज्ञाए भी प्रचलति हैं। उनका बहुवचन बहुत बार अलग ही ढंग से किया जाता है।

एकवचन	**बहुवचन**
मकान	मकानात
कागज	कागजात
अफसर	अफसरान
खयाल	खयालात

लेकिन इस प्रकार से बहुवचन बनाने की प्रवृत्ति समाप्त हो रही है और हिन्दी व्याकरण के नियमों के अनुसार इनका बहुवचन करने की आधुनिक प्रवृत्ति है।

स्त्रीलिंग संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम इस प्रकार है -

i. अकारान्त संज्ञाएँ बहुवचन में एकारान्त हो जाती है। जैसे - बहन-बहने, गाय-गायें।

ii. अकारान्त संज्ञाओं का बहुवचन बनाते समय मूल संज्ञा के साथ `एँ' जोड़ा जाता है। इस नियम के कुछ शब्द अपवाद भी है। जैसे - चिड़िया - चिड़ियाँ, गुड़िया - गुड़ियाँ।

iii. इकारान्त संज्ञाओं का बहुवचन करते समय मूल संज्ञा के साथ `याँ' जोड़ा जाता है। जैसे - तिथि - तिथियाँ, मूर्ति - मूर्तियाँ।

iv. इकारान्त संज्ञाओं का बहुवचन करते समय `ई' के स्थान पर 'ई' आती है और मूल शब्द के साथ `याँ' जोड़ा जाता है। जैसे – लड़की - लड़कियाँ, नारी - नारीयाँ, दासी - दासियाँ।

v. उकारान्त संज्ञाओं का बहुवचन करते समय मूल संज्ञा के साथ 'एँ' जोड़ा जाता है। जैसे वस्तु - वस्तुएँ।

vi. ऊकारान्त संज्ञाओं का बहुवचन करते समय `ऊ' के स्थान पर `उ' और मूल संज्ञा के साथ 'एँ' जोड़ा जाता है। जैसे - बहू - बहुएँ, वधू - वधुएँ आदि।

vii. औकारान्त संज्ञाओं का बहुवचन करते समय मूल संज्ञा के साथ 'एँ' जोड़ा जाता है। जैसे - गौ - गौएँ।

२. लिंग के कारण रूपान्तर :

हिन्दी में दो ही लिंग है - स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग संज्ञाओं में बहुत बार प्रत्यय लगाकर स्त्री लिंग किया जाता है। कुछ प्रमुख प्रत्यय इस प्रकार है - आ, ई, इया, इन, नी, आनी, आइन। उदाहरण -

प्रियतम	प्रियतमा (आ)
बेटा	बेटी (ई)
बूढ़ा	बुढ़िया (इया)
कहार	कहारिन (इन)
शेर	शेरनी (नी)
देवर	देवरानी (आनी)
ठाकुर	ठकुराइन (आइन)

कभी-कभी मूल स्त्रीलिंग की संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर पुल्लिंगी संज्ञा बनाई जाती है। जैसे - भैस-भैसा (आ), बहन-बहनोई (ओई) कुछ संज्ञाओं में अरबी भाषा का `ह' प्रत्यय जोड़कर भी उनका स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। जैसे - मालिक - मालिकह (मल्लिका) साहब - साहिबह (साह बा)।

३. कारक के कारण रूपांतर :

संज्ञा में कारक के कारण रूपान्तर होता है।

कारक : संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ा जाता है, उसे कारक कहते हैं।

हिन्दी में आठ कारक हैं - आठ कारक और उसकी विभक्तियाँ इस प्रकार हैं -

कारक	**विभक्तियाँ**
कर्ता कारक	ने
कर्म कारक	को
करण कारक	से, द्वारा
सम्प्रदान कारक	को, के लिए
अपादान कारक	से
संबंध कारक	का, के, की, ना, ने, रा, रे, री,
अधिकरण कारक	में, पर
संबोधन कारक	हे, अरे, छि, थू, हट, हो

कारक के कारण संज्ञाओं में रूपान्तर इस प्रकार होता है -

कर्ता कारक (पुल्लिंग)	**एकवचन**	**बहुवचन**
बैल	बैल ने	बैलों ने
घोड़ा	घोड़े ने	घोड़ों ने
कवि	कवि ने	कवियों ने
आदमी	आदमी ने	आदमियों ने
साधु	साधु ने	साधुओं ने
डाकू	डाकू ने	डाकुओं ने

कर्ता कारक (स्त्रीलिंग)	**एकवचन**	**बहुवचन**
बहन	बहन ने	बहनों ने
माला	माला ने	मालाओं ने
निधि	निधि ने	निधियों ने

नदी	नदी ने	नदियों ने
वस्तु	वस्तु ने	वस्तुओं ने
वधू	वधू ने	वधुओं ने

सर्वनाम :

सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। हिन्दी में कुल ग्यारह सर्वनाम हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनामों के छ: भेद हैं।

i. पुरुषवाचक सर्वनाम

ii. निजवाचक सर्वनाम

iii. निश्चयवाचक सर्वनाम

iv. संबंधवाचक सर्वनाम

v. प्रश्नवाचक सर्वनाम

vi. अनिश्चयवाचक सर्वनाम

i. पुरुषवाचक सर्वनाम : वक्ता अथवा लेखक की दृष्टि से सम्पूर्ण सृष्टि के तीन भेद किए जाते हैं। स्वयं लेखक, वक्ता या श्रोंता। वक्ता, लेखक या श्रोता पाठक को छोड़कर अन्य सब सृष्टि के इन तीनों रूपों को पुरुष कहते हैं।

पुरुष के भी तीन भेद होते हैं -

i. उत्तम पुरुष - में

ii. मध्यम पुरुष - तू, आप (आदरसूचक)

iii. अन्य पुरुष - वह, वे

मैं, तू, वह मूल सर्वनाम हैं और बहुवचन में उनके स्थान पर क्रमश: हम, तुम और वे का प्रयोग करते हैं।

ii. निजवाचक सर्वनाम : निजवाचक सर्वनाम 'आप', पुरुषवाचक सर्वनाम 'आप' से काफी भिन्न है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग केवल एकवचन में होता है। किन्तु एकवचन के रूप बहुवचन की संज्ञा के साथ भी आते हैं। जैसे -

i. वह अपने घर चला गया।

वे अपने घर चले गए।

ii. जिसे अपना माना था, उसी ने धोका दे दिया।

जिन्हें अपना माना था, उन्हीं ने धोका दे दिया।

iii. वह अपने को क्या समझती है ?

वह अपने आप को क्या समझती है ?

वे अपने को क्या समझती है?

निजवाचक सर्वनाम केवल माध्यम पुरूष और आप, वे, वह, आप एक कहानीकार के रूप में भी विख्यात हैं। अन्य पुरूष में आता है। जैसे - तू, तुम, आप, कितने अच्छे हैं? प्रेमचंद हिन्दी के श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं।

iii. **निश्चयवाचक सर्वनाम :** जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी व्यक्ति का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उनकी संख्या तीन है। यह, ये, वह, वे का प्रयोग दोनों वचनों में उसी रूप में होता है। यह, वह, सो।

iv. **प्रश्नवाचक सर्वनाम :** प्रश्न करते समय जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके दो प्रकार है - कौन, क्या। 'कौन' सर्वनाम प्राणियों के लिए और विशेषकर मनुष्यों के लिए हैं, और 'क्या' सर्वनाम क्षुद्र प्राणियों के लिए पदार्थ अथवा वस्तु के लिए आता है। जैसे कौन आया है? तुम क्या कर रहे हो? क्या है? क्या हुआ?

v. **संबंधवाचक सर्वनाम :** उसकी संख्या एक है जो इसके साथ प्राय: वह या सो का संबंध रहता है। जैसे - जो मेहनत करेगा वह (सो) सफलता पाएगा।

vi. **अनिश्चयवाचक सर्वनाम :** कोई या कुछ अनिश्चवाचक सर्वनाम है। कोई सर्वनाम प्राणियों के लिए और कुछ सर्वनाम क्षुद्रप्राणी के लिए आता है। जैसे - अब तक कोई नहीं आया? तुम्हें कुछ करना चाहिए।

लिंग :

शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। 'लिंग' संस्कृत भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है `चिन्ह' या `निशान'। `चिन्ह' या `निशान' किसी संज्ञा का ही होता है। `संज्ञा' किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और वस्तु या तो पुरुषजाति की होगी या स्त्रीजाति की। तात्पर्य यह कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग। संज्ञा के भी दो रूप हैं। एक अप्राणिवाचक संज्ञा - लोटा - प्याली, पेड़ इत्यादी और दूसरा प्राणिवाचक संज्ञा घोड़ा - घोड़ी, माता-पिता, लड़का - लड़की इत्यादी।

लिंग के भेद -

सारी सृष्टि की तीन मुख्य जातियाँ है - १) पुरुष २) स्त्री और ३) जड़। अनके भाषाओं में इन्हीं तीन जातियों के आधार पर लिंग के तीन भेद किये गये हैं –

१) पुल्लिंग

२) स्त्रीलिंग

३) नपुंसकलिंग

अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय उसी व्यवस्था के अनुसार होता है। मराठी, गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में भी यह व्यवस्था ज्यों-की त्यों चली आ रही है। इसके विपरीत हिन्दी में दो ही लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हैं। नपुंसकलिंग यहाँ नहीं है। अत: हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द, चाहे वे चेतन हों या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इन दो लिंगों में विभक्त हैं।

कारक :

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका (संज्ञा या सर्वनाम का) संबंध सूचित हो, उसे (उस रूप को) `कारक' कहते हैं। अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका (संज्ञा या सर्वनाम का) क्रिया से संबंध सूचित हो उसे (उस रूप को) `कारक' कहते हैं। उन दो `परिभाषाओं' का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब `ने', `को', `से' आदि विभक्तियाँ लगती हैं, तब उनका रूप ही `कारक' कहलाता है। तभी वे वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध रखने योग्य `पद' होते हैं और `पद' की अवस्था में ही वे वाक्य के दूसरे शब्दों से या क्रिया से कोई लगाव रख पाते हैं। `ने', `को', `से' आदि विभिन्न विभक्तियाँ विभिन्न कारकों की हैं। इनके लगने पर ही कोई शब्द 'कारक पद' बन पाता है और वाक्य में आने योग्य होता है। `कारक पद' या `क्रियापद' बने बिना कोई शब्द वाक्य में बैठने योग्य नहीं होता। जैसे – "रामचंद्रजी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया।" इस वाक्य में `राम चंद्रजी ने', `समुद्र पर', `बंदरों से' और 'पुल' संज्ञाओं के रूपांतर है, जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध 'बंधवा दिया' क्रिया के साथ सूचित होता है।

वचन :

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे `वचन' कहते हैं। दूसरे शब्दों में शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम `वचन' है। `वचन' का शाब्दिक अर्थ है - `संख्यावचन। संख्यावचन को ही संक्षेप में `वचन' कहते हैं। `वचन' का अर्थ कहना भी है।

वचन के प्रकार -

अंग्रेजी की तरह हिन्दी में भी वचन के दो प्रकार है -

१) एकचवन और

२) बहुवचन।

१. विकारी शब्द में जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है, उसे एकवचन कहते है। जैसे - नदी, लड़का, घोड़ा, बच्चा इत्यादी।

२. विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, उसे `बहुवचन कहते हैं। जैसे - नदियाँ, लड़के, घोड़े, बच्चे इत्यादी।

८.४ सारांश :

संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किये गये हैं।

हिन्दी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यत: पांच भेद हैं १) व्यक्तिवाचक २) जातिवाचक ३) भाववाचक ४) समूहवाचक तथा ५) द्रव्यवाचक।

संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी शब्द रूपों को परिवर्तित अथवा रूपांतरित करता है। संज्ञा के रूप लिंग, वचन और कारक चिन्हों (परसर्ग) के कारण बदलते हैं।

शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में 'लिंग' कहते हैं। 'लिंग' संस्कृत भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है 'चिन्ह' या 'निशान'।

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे 'वचन' कहते हैं। 'वचन' का शाब्दिक अर्थ है 'संख्यावाचन'।

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका (संज्ञा या सर्वनाम का) संबंध सूचित हो, उसे (उस रूप को) 'कारक' कहते हैं। हिन्दी में कारक आठ हैं और कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय (चिन्ह) लगाये जाते हैं, उन्हें व्याकरण में 'विभक्तियाँ' कहते हैं।

शब्द और पद - वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को 'शब्द' कहते हैं, किंतु जब किसी वाक्य में पिरो दिये जाते हैं, तब 'पद' कहलाते हैं। 'शब्द' सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं।

८.५ लघुत्तरीय प्रश्न :

१. संज्ञा के भेद कितने हैं ?

उत्तर : पाँच।

२. स्त्रीलिंग संज्ञाओं का बहुवचन करने के लिए अलग-अलग नियम है और पुल्लिंग संज्ञाओं का बहुवचन करने के लिए कितने नियम हैं ?

उत्तर : केवल एक नियम।

३. इकारान्त संज्ञाओं का बहुवचन करते समय मूल संज्ञा के साथ क्या जुड़ता हैं ?

उत्तर : 'याँ'।

४. अकारान्त संज्ञाएँ बहुवचन में क्या होती हैं ?

उत्तर : एकारान्त।

८.६ दीर्घोत्तरीय प्रश्न :

१. संज्ञा के कितने भेद हैं। उल्लेख कीजिए।

२. संज्ञा में रूपांतर के आधार कौन-कौन से हैं। स्पष्ट किजिए।

८.७ संदर्भ ग्रंथ :

१. भाषा विज्ञान - डॉ. भोलानाथ तिवारी

२. भाषा-विज्ञान एवं भाषाशास्त्र – डॉ. कपिल देव द्विवेदी

३. भाषा विज्ञान के अधुनातम आयाम - डॉ. अंबादास देशमुख

४. हिन्दी भाषा, व्याकरण और रचना - डॉ. अर्जुन तिवारी

५. सामान्य भाषा विज्ञान – डॉ. बाबुराव सक्सेना

६. आधुनिक भाषा विज्ञान के सिद्धांत - डॉ. राम किशोर शर्मा

७. सामान्य भाषा विज्ञान - डॉ. बाबूराम सक्सेना

८. हिंदी भाषा का इतिहास - धीरेंद्र वर्मा

❄❄❄❄❄❄❄

९

सर्वनाम : कारक रचना

इकाई की रूपरेखा

९.० इकाई का उद्देश्य

९.१ प्रस्तावना

९.२ सर्वनाम : कारक रचना

९.३ सारांश

९.४ लघूत्तरीय प्रश्न

९.५ दीर्घोत्तरी प्रश्न

९.६ संदर्भ ग्रंथ

९.० इकाई का उद्देश्य :

प्रस्तुत इकाई में छात्र निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करेंगे।

- सर्वनामों में होने वाले रूपांतर से छात्रों को परिचित कराना।
- सर्वनामों में रूपांतर के विविध नियमों की सविस्तार चर्चा करना।

९.१ प्रस्तावना :

सर्वनामों में रूपांतरण या बदलाव के मूल रूप से दो आधार होते हैं - १. वचन, २. कारक। कारक रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। इस इकाई में सर्वनामों में होने वाले रूपांतरण के विविध नियमों, रूपों का सोदाहरण अध्ययन किया गया है। इकाई में तथ्यों व भाषा को यथासंभव सरल व विषय के अनुकूल व सुस्पष्ट रखने की कोशिश की गई है।

९.२ सर्वनाम : कारक रचना

संज्ञाओं के समान सर्वनामों में भी वचन और कारक होते हैं, किंतु उनमें लिंग नहीं होता। इसीलिए सर्वनामों में लिंग के कारण रूपांतरण या परिवर्तन नहीं होता।

विभक्ति रहित कर्ता कारक के बहुवचन में पुरुषवाचक 'मैं' 'तू' और निश्चयवाचक 'यह' 'वह' सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनामों का रूपांतरण नहीं होता। उदाहरण के रूप में निम्नलिखित तालिका को देखा जा सकता है -

एकवचन	बहुवचन
मैं	हम
तू	तुम
यह	ये
वह	वे
आप	आप
जो	जो
कौन	कौन
क्या	क्या
सो	सो
कोई	कोई
कुछ	कुछ

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 'मैं' और 'तू' तथा 'यह' तथा 'वह' सर्वनामों में वचन के आधार रुपांतर होता है। अन्य सर्वनामों में यह रूपांतर नहीं मिलता।

१. पुरुषवाचक सर्वनामों की कारक रचना :

उत्तम पुरुष 'मैं' -

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता (0,ने)	मैं, मैंने	हम, हमने
कर्म (0, को)	मुझे, मुझको	हमें, हमको
करण (से)	मुझसे	हमसे
संप्रदान (को)	मुझे, मुझको	हमें, हमको
अपादान (से)	मुझ से	हमसे
संबंध (का, के, की, रा, रे, री)	मेरा, मेरे, मेरी	हमारा, हमारे, हमारी
अधिकरण (में, पर)	मुझ में, मुझ पर	हममें, हम पर

मध्यम पुरुष 'तू' -

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता (0, ने)	तू, तूने	तुम, तुमने
कर्म (0, को)	तुझे, तुझको	तुम्हें, तुमको
करण (से)	तुझसे	तुमसे
संप्रदान (को)	तुझको	तुमको
अपादान (से)	तुझ से	तुमसे
संबंध (रा, रे, री)	तेरा, तेरे, तेरी	तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी
अधिकरण (में, पर)	तुझ में, तुझ पर	तुममें, तुम पर

पुरुषवाचक सर्वनामों की कारक रचना में हमें समानता मिलती है। समानता निम्नलिखित बिंदुओं के स्तर पर मिलती हुई दिखाई पड़ती है –

१. कर्ता और संबंधकारकों को छोड़कर शेष कारकों के 'एकवचन' रूप में 'मैं' का बदला हुआ रूप 'मुझ' और 'तू' का बदला हुआ रूप 'तुझ' होता है।

२. संबंध कारक के दोनों वचनों में 'मैं' का बदला रूप क्रमश: 'मेरा' और 'हमारा ' और 'तू' का 'तेरा ' और 'तुम्हारा ' हो जाता है।

३. उपर्युक्त दोनों सर्वनामों में संबंधकारक में 'रा, री, रे' विभक्तियाँ आती हैं।

४. विभक्ति – सहित कर्ता कारक के दोनों वचनों में और संबंध कारक को छोड़कर शेष अन्य कारकों में बहुवचन में दोनों का रूप नहीं बदलता ।

५. पुरुषवाचक सर्वनामों के विभक्तिरहित कर्ता के एकवचन और संबंधकारक को छोड़ अन्य कारकों के एकवचन 'ई' और 'बहुवचन में 'ई' तथा 'ही' लगाया जाता है। जैसे – 'तुम्ही से' 'हमी ने' 'तुम्हीं से' इत्यादि।

२. निजवाचक सर्वनाम 'आप' की कारक रचना :

निजवाचक सर्वनाम 'आप' की कारक रचना से जुड़े कुछ तथ्यों को समझ लेना आवश्यक होगा। इन तथ्यों का विवरण निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है -

१. निजवाचक सर्वनाम 'आप' की कारक रचना केवल एकवचन के अन्तर्गत होती है। किंतु, एकवचन के रूप बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के साथ भी आते हैं।

२. इसका बदला या रूपांतरित रूप 'अपना' है। यह संबंधकारक के अन्तर्गत आता है।

३. इसके साथ 'ने' विभक्ति नहीं आती किंतु दूसरी विभक्तियों में जुड़ने से इसका रूप हिंदी आकारान्त संज्ञा की तरह 'अपने' हो जाता है।

४. कर्ता और संबंध कारक के अलावा अन्य कारकों में 'आप' के साथ विभक्तियाँ जुड़ती हैं।

निजवाचक सर्वनाम 'आप' -

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता (0, ने)	आप	--X--
कर्म (0, को)	अपने को, अपने आप को	--X--
करण (से)	अपने से, अपने आप से	--X--
संप्रदान (को)	अपने को, अपने आप को	--X--
अपादान (से)	अपने से, अपने आप से	--X--
संबंध (ना, ने, नी)	अपना, अपनी, अपने	--X--
अधिकरण (में, पर)	अपने में, अपने पर	--X--

निजवाचक सर्वनाम की कारक रचना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी यहाँ समझ लेना आवश्यक हो जाता है। वे महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं -

१. कभी - कभी 'अपना' और 'आप' संबंधकारक को छोड़कर शेष अन्य कारकों में एक साथ आते हैं। जैसे - अपने-आप, अपने-आप को, अपने-आप से, अपने-आप में।

२. 'आप' शब्द का एक रूप 'आपस' है, जिसका प्रयोग केवल संबंध और अधिकरण कारकों के एकवचन में होता है।

३. कभी-कभी अपना के बदले 'निज' संबंधकारक आता है। कभी- कभी दोनों रूप एकसाथ आते हैं। जैसे - हम तुम्हें अपने निज के उद्देश्य से भेज रहे हैं।

४. कविता में कई बार 'अपना' के बदले 'निज' का ही प्रयोग होता है। जैसे -

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है।

वह नर नहीं, नरपशु निरा है और मृतक समान है।

३. आदरसूचक सर्वनाम 'आप' :

आदरसूचक 'आप' सर्वनाम का प्रयोग केवल 'अन्य पुरुष' के बहुवचन में होता है। इसकी कारक रचना निजवाचक आप से अलग है। विभक्ति लगने से पहले आदरसूचक 'आप' का रूप नहीं बदलता। इसका प्रयोग आदर देने के लिए बहुवचन में होता है। इसीलिए कई लोगों के होने का बोध होने पर इसके साथ 'लोग' या 'सब' लगा देते हैं। इसके साथ 'ने' विभक्ति आती है और संबंधकारक में 'का, की, के' विभक्तियाँ लगाई जाती हैं।

आदरसूचक 'आप' -

कारक	**एकवचन** **(आदर के लिए)**	**बहुवचन** **(आदर तथा संख्या के प्रकटीकरण के लिए)**
कर्ता (0, ने)	आप, आपने	आप लोग, आप लोगों ने
कर्म (0, को)	आपको	आप लोगों को
करण (से)	आपसे	आप लोगों से
संप्रदान (को)	आपको	आप लोगों को
अपादान (से)	आप से	आप लोगों से
संबंध (का, के, की)	आप का, की, के	आप लोगों का, की, के
अधिकरण (में, पर)	आप में, पर	आप लोगों में, पर

४. निश्चयवाचक सर्वनाम (यह, वह, सो) :

निश्चयवाचक सर्वनाम 'यह, वह, सो' है। इन सर्वनामों के दोनों वचनों की कारक रचना अपने मूल रूप से हटकर बदले हुए रूपों में आती है। एकवचन में यह का यह बदला या विकृत रूप 'इस' वह का 'उस' और सो का 'तिस' होता है। जबकी बहुवचन में ये क्रमश: 'इन', 'उन' और 'तिन' के रूप में आते हैं। इनके विभक्ति सहित बहुवचन कर्ता के अंत्य 'न' में विकल्प से 'हो' जोड़ा जाता है, और कर्म तथा संप्रदान कारकों के बहुवचन में 'ए' के पहले 'न' में 'ह' जोड़ा जाता है।

निकटवर्ती 'यह' -

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता (0, ने)	यह, इसने	यह, ये, इसने, इन्होंने
कर्म (0, को)	इसे, इसको	इन्हें , इनको
करण (से)	इससे	इनमें

संप्रदान (को)	इसको	इनको, इन्हें
अपादान (से)	इससे	इनसे
संबंध (का, के, की)	इसका, की, के	इनका, की, के
अधिकरण (में, पर)	इस में, पर	इन में, पर

दूरवर्ती 'वह' -

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता (0, ने)	वह, उसने	वे, उन्होंने
कर्म (0, को)	उसे, उसको	उनको, उन्हें
करण (से)	उससे	उनसे
संप्रदान (को)	उसको	उनको
अपादान (से)	उससे	उनसे
संबंध (का, के, की)	उसका, की, के	उनका, की, के
अधिकरण (में, पर)	उसमें, पर	उन में, पर

नित्य संबंधी 'सो' -

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता (0, ने)	सो, तिसने	तिनने, तिन्होंने
कर्म (0, को)	तिसे, तिसको	तिनको, तिन्हें
करण (से)	तिस से	तिन से
संप्रदान (को)	तिसको	तिनको
अपादान (से)	तिस से	तिन से
संबंध (का, के, की)	तिसका, की, के	तिनका, की, के
अधिकरण (में, पर)	तिस में, पर	तिन में, पर

नित्य संबंधी 'सो' की कारक रचना को लेकर निम्मलिखित बिंदुओं को भी समझ लेना आवश्यक है -

१. आधुनिक हिंदी में 'सो' व 'सो' के विकृत रूप का प्रयोग बहुत कम होता है।

२. 'सो' के जिन रूपों की चर्चा ऊपर की गई है, वस्तुतः वे 'तौन' के हैं, जो पुरानी हिंदी में 'जौन (जो)' का नित्य संबंधी है।

३. निश्चयवाचक सर्वनामों के रूपों में बल या जोर के लिए एकवचन में 'ई' और बहुवचन में 'ही' अंत्य स्वर के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे - यह > यही, वह > वही, इन > इन्हीं इत्यादि।

४. 'यह' का विकृत रूप 'इनने' और वह का विकृत रूप 'उनने' अब प्रचलन में लगभग नहीं है।

५. नित्य संबंधवाचक सर्वनाम 'जो' :

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता (0, ने)	जो, जिस ने	जो, जिन्होंने, जिनने
कर्म (0, को)	जिसे, जिसको	जिनको, जिन्हें
करण (से)	जिससे	जिनसे
संप्रदान (को)	जिसको	जिनको
अपादान (से)	जिससे	जिनसे
संबंध (का, के, की)	जिसका, की, के	जिनका, की, के
अधिकरण (में, पर)	जिसमें, पर	जिनमें, पर

१. संबंधवाचक सर्वनाम 'जो' तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम 'कौन' के रूप निश्चय वाचक सर्वनामों के अनुसार बनाये जाते हैं। 'जो' के विकृत रूप दोनों वचनों में 'जिस' और जिन तथा 'कौन' के 'किस' और किन के रूप में मिलते हैं।

२. कई बार 'जिन' में 'हों' लगाकर 'जिन्हों' या 'हें' लगाकर 'जिन्हें' बनाते हैं।

३. 'जो' का 'जिनने' रूप अब प्राय: प्रयोग में न के बराबर मिलता है।

६. प्रश्नवाचक सर्वनाम 'कौन' :

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता (0, ने)	कौन, किसने	कौन, किन्होंने
कर्म (0, को)	किसको, किसे	किनको, किन्हें
करण (से)	किससे	किनसे
संप्रदान (को)	किसको	किनको

अपादान (से)	किससे	किनसे
संबंध (का, की, के)	किसका, की, के	किनका, की, के
अधिकरण (में, पर)	किस में, पर	किन में, पर

प्रश्नवाचक कौन की कारक रचना के संबंध में निम्न लिखित बिंदुओं को भी समझ लेना चाहिए-

१. 'कौन' का एकवचन में 'किस' और बहुवचन में 'किन' हो जाता है। कर्म और संप्रदान कारक में 'किसे' और 'किन्हें' रूप भी प्राय: मिलता है।

२. कही – कही 'किन' रूप न मिलकर 'किन्हें' मिलता है।

प्रश्नवाचक सर्वनाम 'क्या' -

प्रश्नवाचक सर्वनाम 'क्या' की कारक रचना नहीं होती । 'क्या' इसी रूप में केवल एकवचन विभक्ति रहित कर्ता और कर्म में आता है। जैसे -

कर्ताकारक - क्या करना है?

कर्मकारक - तुम क्या खा रहे हो?

दूसरे कारकों के एकवचन में 'क्या' के बदले ब्रजभाषा में 'कहा' सर्वनाम वा विकृत रूप 'काहे' आता है।

प्रश्नवाचक 'क्या' -

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता (ने)	क्या	X
कर्म (को)	क्या	X
करण (से)	काहे से	X
संप्रदान (को)	काहे को	X
अपादान (से)	काहे से	X
संबंध (का, की, के)	काहे का, की, के	X
अधिकरण (में, पर)	काहे में, पर	X

'काहे से' अपादान और 'काहे को' संप्रदान का प्रयोग 'क्यों' के रूप में होता है।

जैसे – यह तुम काहे से कहते हो?

वह वहाँ काहे को गया था?

काहे को कभी - कभी असंभावना के भाव कों भी प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

जैसे – काहे को सफलता मिलने लगी?

'क्योंकि' सम्मुचयबोधक के बदले कभी-कभी 'काहे से' का भी प्रयोग देखने को मिलता है।

जैसे - माधवी मुझे बहुत प्यारी है, काहे से कि वह मेरी बेटी की सहेली है।

'काहे का' का प्रयोग कभी-कभी वृथा या व्यर्थ के अर्थ में भी होता है।

जैसे - वह राजा काहे का है?

वह रानी काहे की है?

वह योद्धा काहे का है?

वह ज्ञानी काहे का है?

७. अनिश्चयवाचक सर्वनाम 'कोई' :

'कोई' की कारक-रचना केवल एकवचन में ही मिलती है। पर जब इसके रूप की द्विरुक्ति हो जाती है तो उससे बहुवचन का बोध होने लगता है। कर्म और संप्रदान कारकों में इसका एकारान्त रूप नहीं होता।

अनिश्चयवाचक 'कोई' -

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता (0, ने)	कोई, किसी ने	X
कर्म (0, को)	किसी कों	X
करण (से)	किसी से	X
संप्रदान (को)	किसी को	X
अपादान (से)	किसी से	X
संबंध (का, की, के)	किसी का, की, के	X
अधिकरण (में, पर)	किसी में, पर	X

आधुनिक हिंदी में 'किसी' का बहुवचन रूप 'किन्हीं' में दिखाई पड़ने लगा है। बहुधा इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं।

जैसे - किन्हीं में

किन्हीं ने

किन्हीं पर

अनिश्चयवाचक सर्वनाम 'कुछ' -

अनिश्चयवाचक सर्वनाम 'कुछ' की कारक रचना नहीं होती। 'क्या' की तरह यह केवल विभक्तिरहित कर्ता और कर्म के एकवचन में प्रयुक्त होता है।

जैसे - जल में कुछ है।

बच्चे ने कुछ फेंक दिया।

'कुछ का कुछ' वाक्यांश में कुछ के साथ संबंध कारक की विभक्ति आती है। जब 'कुछ' का प्रयोग 'कोई' के अर्थ में संज्ञा की तरह होता है तब उसकी कारक रचना संबोधन को छोड़ शेष अन्य कारकों के बहुवचन में होती है।

जैसे - कुछ ऐसे हैं

कुछ का व्यवहार ठीक है।

कुछ की भाषा मीठी है।

९.३ सारांश :

सारांशतः सर्वनाम की कारक रचना में सर्वनामों में होने वाले रूपांतरण के विविध नियमों और रूपों का उदाहरण सहित अध्ययन किया गया है। यहाँ पर तथ्यों और भाषा को सरल एवं विषय के अनुकूल व सुस्पष्ट रखा हैं।

९.४ लघूत्तरीय प्रश्न :

१. सर्वनामों में रूपांतरण के मूल रूप से कितने आधार होते हैं?

उ : वचन और कारक ये दो आधार होते हैं।

२. निजवाचक सर्वनाम 'आप' की कारक रचना किसके अंतर्गत होती है?

उ : निजवाचक सर्वनाम 'आप' की कारक रचना केवल एकवचन के अंतर्गत होती है।

३. निश्चयवाची सर्वनामों के दो प्रकार बताईये?

उ : निकटवर्ती यह और दूरवर्ती वह ये दो प्रकार हैं।

९.५ दीर्घोत्तरी प्रश्न :

१. सर्वनामों की कारक रचना को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए?

९.६ संदर्भ ग्रंथ :

१. हिंदी भाषा का इतिहास - धीरेंद्र वर्मा

२. हिन्दी भाषा - डॉ. भोलानाथ तिवारी

३. मानक हिन्दी व्याकरण - डॉ. पृथ्वीनाथ पाण्डेय

४. हिन्दी व्याकरण - पं. कामता प्रसाद गुरू

५. व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण एवं रचना - डॉ. संतोष चौधरी

६. व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण - श्यामचन्द्र कपूर

❊❊❊❊❊❊❊

१०

विशेषण : रूपांतर के आधार

इकाई की रूपरेखा

१०.० इकाई का उद्देश्य

१०.१ प्रस्तावना

१०.२ विशेषण : रूपांतर के आधार

१०.३ सारांश

१०.४ लघूत्तरीय प्रश्न

१०.५ दीर्घोत्तरी प्रश्न

१०.६ संदर्भ ग्रंथ

१०.० इकाई का उद्देश्य :

- प्रस्तुत इकाई का उद्देश्य छात्रों को विशेषण में रूपांतर से परिचित कराना है।
- इस इकाई के अन्तर्गत रुपांतर के विविध नियमों की सविस्तार चर्चा की गई है।

१०.१ प्रस्तावना :

विशेषण व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अध्ययन बिन्दु है। विशेषण के संदर्भ में कह सकते हैं कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं अर्थात् जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषणों में किस प्रकार रूपांतर होता है? विशेषणों के रुपांतर किन नियमों के आधार पर होते हैं? इस रूपांतर प्रक्रिया का प्रयोग वाक्य में कैसे किया जाये? इत्यादि बिंदुओं पर इस इकाई में विचार किया गया है। इकाई की भाषा को सरल प्रवाहपूर्ण व सूचनाओं को तथ्यात्मक रूप से यथासंभव प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है ताकि विद्यार्थियों को विषय को समझने व प्रयोग करने में आसानी हो।

१०.२ विशेषण : रूपांतर के आधार

हिंदी में आकारांत विशेषणों में ही विकार अथवा परिवर्तन होता है। अन्य विशेषणों में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, किंतु सभी विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं की तरह होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि विशेषणों में अप्रत्यक्ष रूप से लिंग, वचन और कारक होते हैं। इसीलिए विशेषणों में विकार या परिवर्तन संज्ञा की ही तरह उनके 'अंत' के आधार पर ही होते हैं। ये परिवर्तन विशेषणों में कैसे होते हैं? इसके बारे में आगे के बिंदुओं में विश्लेषण किया गया है।

विशेषणों के भेद : विशेषणों के मूल रूप से तीन भेद हैं -

क) सार्वनामिक विशेषण

ख) गुणवाचक विशेषण

ग) संख्यावाचक विशेषण

इन सभी के रूपांतर के अलग - अलग आधार हैं। इनमें रूपांतर किन नियमों के आधार पर होते है इसका विश्लेषण आगे के बिंदुओं में किया गया है।

(क) सार्वनामिक विशेषण का रूपांतर :

सार्वनामिक विशेषणों के दो भेद हैं -

१. मूल सार्वनामिक विशेषण

२. यौगिक सार्वनामिक विशेषण

१. मूल सार्वनामिक विशेषण : 'आप', 'क्या' और 'कुछ' को छोड़कर शेष अन्य सार्वनामिक विशेषणों के पश्चात विभक्त्यंत व संबंधसूचकांत संज्ञा आने पर उनके दोनों वचनों में हम विकृत रूप पाते हैं। उदाहरण के रूप में हम निम्नलिखित वाक्यांशों में हुए प्रयोग को देख सकते हैं।

जैसे - मुझ दीन को मत मारो।

तुझ मूर्ख से बात करना कठिन है।

उस गाँव तक पहुँचा दो।

उन शाखाओं पर फूल खिलें है।

'कोई' शब्द के विकृत रूप के दो बार आने से बहुवचन का बोध होता है, पर उसके साथ ज्यादातर एकवचन संज्ञा आती है। उदाहरण के लिए निम्मलिखित वाक्य में हुए प्रयोग को देखा जा सकता है।

जैसे - किसी किसी व्यक्ति को ऐसा सूझता है।

किसी किसी को व्यवस्था पसंद नहीं आई।

विकृत कारकों की बहुवचन संज्ञा के साथ 'कोई-कोई' कभी कभी मूल रूप में प्रयुक्त होता हुआ भी हमें दिखाई देता है। जैसे - 'कोई कोई लोगों ने हाथ बढ़ाया था।' किंतु इस प्रकार का प्रयोग कम होता है।

कुछ कालवाचक संज्ञाओं के अधिकरणकारक के एकवचन के साथ 'कोई' का अधिकृत रूप आता है, किंतु यहाँ यह 'कुछ' के अर्थ में प्रयुक्त होता हुआ दिखाई पड़ता है। उदा के रूप में निम्नलिखित प्रयोगों को देखा जा सकता है।

जैसे - कोई दम में बस आ सकती है।

कोई घड़ी में बारिश हो सकती है।

२. यौगिक सार्वनामिक विशेषण का रूपांतर : यौगिक सर्वनाम प्रायः आकारांत होते हैं। जैसे - ऐसा, वैसा, इतना, उतना इत्यादि। ये आकारांत विशेषण विशेष्य के लिंग, वचन,

कारक के अनुसार बदलते हैं। प्रायः यह बदलाव गुणवाचक विशेषणों में होनेवाले बदलाव के अनुसार होता है।

जैसे - ऐसे लोगों को

ऐसे बच्चों ने

ऐसी बच्चियों ने

'कौन' 'जो' 'कोई' के साथ जब 'सा' प्रत्यय आता है तब उनमें आकारांत गुणवाचक विशेषणों के समान ही बदलाव या रूपांतर होता है।

जैसे - कौन सा बच्चा

कौन सी बच्ची

कौन से बच्चे

(ख) गुणवाचक विशेषण का रूपांतर :

गुणवाचक विशेषणों में केवल आकारांत विशेषण अपने विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं। आकारांत विशेषणों में रूपांतर या बदलाव निम्नलिखित नियमों के अनुसार होते हैं।

१. पुलिंग विशेष्य यदि बहुवचन में हो अथवा विभक्त्यंत वा संबंध सूचकांत हो तो विशेषण के अंत में आए 'आ' के स्थान पर 'ए' हो जाता है।

जैसे - छोटा बच्चा - छोटे बच्चे

ऊँचा घर - ऊँचे घरों में

२. स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ विशेषण के अंत में आए 'आ' के स्थान पर 'ई' हो जाती है।

जैसे - छोटी बच्ची, छोटी बच्चियाँ, छोटी बच्ची को इत्यादि।

३. 'ज़मा', 'उमदा' और 'जरा' को छोड़कर अन्य सभी उर्दू भाषा के आकारांत विशेषणों में रूपांतर या बदलाव हिंदी आकारांत विशेषणों के ही समान होता है।

जैसे - जुदा – जुदी

बेचारा - बेचारी

४. आकारांत संबंधसूचक, आकारांत विशेषणों के समान बदलते हैं।

जैसे – पतिव्रता ऐसी नारी

बाज के से गुण

राम ऐसा पति

५. जब किसी संज्ञा के साथ अनिश्चय के अर्थ में 'सा' प्रत्यय लगता है, तो इसका रूप उसी संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित होता है।

जैसे - मुझे अपना सा लगता है।

मुझे अपनी सी लगती है।

मुझे अपने से लगते हैं।

६. आकारांत गुणवाचक विशेषणों को छोड़कर शेष अन्य हिंदी गुणवाचक विशेषणों में कोई परिवर्तन या रूपांतरण नहीं होता।

जैसे – लाल रुमाल

भारी गठरी

७. संस्कृत गुणवाचक विशेषण प्रायः विशेष्य के लिंग के अनुसार बदलते हैं।

जैसे - पापिन् - पापिनी स्त्री

बुद्धिमत् - बुद्धिमती भार्या

८. कई अंगवाचक तथा दूसरे अन्य अकारांत विशेषणों में प्राय: 'ई' का प्रयोग कर रूपांतरण किया जाता है।

जैसे - सुमुख – सुमुखी

प्रेममय - प्रेममयी

९. उकारांत विशेषणों में रूपांतर या परिवर्तन करते समय अंत्य स्वर में 'व ' आ जाता है और 'ई' लगा दिया जाता है।

जैसे - गुरु - गुर्वी

साधु - साध्वी

१०. अकरांत विशेषणों में प्राय: 'आ' लगाकर उसका स्त्रीलिंग रूप बनता है।

जैसे - चतुर – चतुरा

सरल – सरला

विमल – विमला

प्रिय - प्रिया

ग) संख्यावाचक विशेषण में रूपांतरण :

१. संख्यावाचक विशेषणों में क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और आकारांत परिमाणवाचक विशेषणों में रूपांतरण या परिवर्तन होता है।

जैसे - पहला लड़का

पहली लड़की

पहले लड़के

२. अपूर्णांक विशेषणों में केवल 'आधा' शब्द रूपांतरित होता है।

जैसे - आधा कपड़ा

आधे कपड़े

आधी रोटी

३. 'सवा' शब्द रूपांतरित नहीं होता, पर इससे बना 'सवाया' शब्द रूपांतरित होता है।

जैसे - सवा रुपये

सवाये रूपये में

४. 'पौना' शब्द भी परिवर्तित होता है।

जैसे - पौने मूल्य पर

पौनी कीमत पर

५. संस्कृत के क्रमवाचक विशेषणों में पहले तीन शब्दों में 'आ' और शेष अन्य शब्दों में 'ई' लगाकर स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है।

जैसे - प्रथम	-	प्रथमा
द्वितीय	-	द्वितीया
तृतीय	–	तृतीया
चतुर्थ	-	चतुर्थी
पंचम	–	पंचमी
षष्ठ	–	षष्ठी
सप्त	-	सप्तमी
षोडश	–	षोडशी

यह क्रम १८ तक ही चलता है। १८ के ऊपर संस्कृत क्रमवाचक स्त्रीलिंग विशेषणों का प्रयोग हिंदी में प्रायः नहीं होता।

६. 'एक' शब्द का प्रयोग संज्ञा की तरह होने पर उसकी कारक रचना एकवचन में ही होती है। पर, जब उसका प्रयोग 'कुछ लोग' के संदर्भ में होता है, तब उसका रूपांतर बहुवचन में भी होता है।

जैसे - एको आदमी ने विरोध नहीं किया।

एको लोग आगे नहीं आए।

७. 'एक दूसरा' का प्रयोग प्राय: सर्वनाम की तरह होता है। प्राय: लिंग और वचन के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। किंतु अपवाद स्वरूप कुछ लेखकों ने 'एक दूसरा' का प्रयोग विशेष्य के लिंग के अनुसार किया है। जैसे - 'सहेलियाँ एक दूसरी को चाहती हैं।' परंतु ऐसा प्रयोग बहुत कम मिलता है और आजकल प्राय नहीं मिलता है।

१०.३ सारांश :

सारांशतः प्रस्तुत इकाई में विशेषणों के मूल रूप से तीन भेद सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण दिए हैं। उन्हें रूपांतर के आधार पर स्पष्ट किया गया है।

१०.४ लघूत्तरीय प्रश्न :

१. विशेषण के मूल रूप से कितने भेद हैं?

उ : विशेषण के मूल रूप से तीन भेद है।

२. प्रायः यौगिक सार्वनामिक विशेषण कैसे होते हैं?

उ : प्रायः यौगिक सार्वनामिक विशेषण आकारांत होते हैं।

३. गुणवाचक विशेषणों में आकारांत विशेषण किसके अनुसार बदलते हैं?

उ : गुणवाचक विशेषणों में आकारांत विशेषण विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते है।

१०.५ दीर्घोत्तरी प्रश्न :

१. विशेषणों में होनेवाले रूपांतर को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए?

१०.६ संदर्भ ग्रंथ :

१. हिंदी भाषा का इतिहास - धीरेंद्र वर्मा

२. हिन्दी भाषा - डॉ. भोलानाथ तिवारी

३. मानक हिन्दी व्याकरण - डॉ. पृथ्वीनाथ पाण्डेय

४. हिन्दी व्याकरण - पं. कामता प्रसाद गुरू

५. व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण एवं रचना - डॉ. संतोष चौधरी

६. व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण - श्यामचन्द्र कपूर

❈❈❈❈❈❈❈

११

क्रिया : रूपांतर के आधार
(वाच्य, काल, लिंग, पुरुष और वचन के आधार पर)

इकाई की रूपरेखा

११.० इकाई का उद्देश्य

११.१ प्रस्तावना

११.२ क्रिया : रूपांतर के आधार

११.२.१ वाच्य

११.२.२ काल

११.२.३ अर्थ

११.२.४ लिंग, पुरुष और वचन

११.३ सारांश

११.४ लघूत्तरीय प्रश्न

११.५ दीर्घोत्तरी प्रश्न

११.६ संदर्भ ग्रंथ

११.० इकाई का उद्देश्य :

प्रस्तुत इकाई में छात्र निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करेंगे।

- इस इकाई का उद्देश्य क्रिया में होनेवाले रूपांतर या विकार से विद्यार्थियों को परिचित कराना है।
- क्रिया में रूपांतर किन तत्वों के कारण और कैसे होता है, उनके नियम उपनियम क्या हैं? इन सभी की चर्चा प्रस्तुत इकाई में सविस्तार से करेंगे।

११.१ प्रस्तावना :

क्रिया वाक्य रचना का एक महत्वपूर्ण आधार है । क्रिया के रूपों में होने वाले विविध परिवर्तनों से ही वाक्य के भेदों व उपभेदों का निर्माण होता है । क्रिया में परिवर्तन या क्रिया के रूप में रूपांतरण का ज्ञान भाषा के विद्यार्थी को अवश्य होना चाहिए । क्रिया के रूप में

होने वाले अनेक परिवर्तनों व उसके कारणों की सोदाहरण चर्चा की गई है। इकाई की भाषा को कथ्य के अनुरूप तथा स्पष्ट रखने की कोशिश की गई है ताकि विद्यार्थी विषयवस्तु को आसानी से समझ सकें और उसका प्रयोग दैनंदिन जीवन में आसानी से कर सकें। क्रिया में होनेवाले रूपांतरों के विभिन्न कारक तत्वों की विवेचना अलग-अलग व बिंदुवार की गई है जिससे विषयवस्तु की स्पष्ट समझ विद्यार्थियों के मस्तिष्क में बन सके और वे विषय को वैज्ञानिक रूप से समझकर उसका विश्लेषण व प्रयोग अपने अकादमिक व दैनंदिन जीवन में कर सकें।

११.२ क्रिया : रूपांतर के आधार

क्रिया में वाच्य, काल, अर्थ, पुरुष, लिंग और वचन के कारण रूपांतर होता है। क्रिया के जिस रूप में ये परिवर्तन या विकार होते हैं उसे समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे – 'मोहन खेलता है।' वाक्य में 'खेलता है' समापिका क्रिया है।

११.२.१ वाच्य :

'वाच्य' क्रिया में आए उस बदलाव या परिवर्तन को कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अन्तर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव- इनमें से किसकी प्रधानता है। इनमें से किसके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि आए हैं।

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग व वचन कर्ता के अनुसार होंगे अथवा कर्म या फिर भाव के अनुसार होते हैं।

जैसे - माँ भोजन पका रही है। (कर्तृवाच्य)

भोजन पकाया जा रहा है। (कर्मवाच्य)

भोजन पक रहा है। (भाववाच्य)

वाच्य के भेद : वाच्य के तीन भेद होते हैं -

१. कर्तृवाच्य

२. कर्मवाच्य

३. भाववाच्य

१) कर्तृवाच्य - कर्तृवाच्य क्रिया में आए उस बदलाव या रूपांतर को कहते हैं जिससे

यह पता चलता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है।

जैसे - शिक्षक पढ़ा रहे हैं।

मोहन कविता लिख रहा है।

माँ कपडे धो रही है।

कर्तृवाच्य अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है।

२) कर्मवाच्य - कर्मवाच्य क्रिया में आए उस बदलाव या रूपांतर को कहते हैं जिससे यह पता चलता कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है।

जैसे - चिट्ठी लिखी जा रही है।

भोजन बनाया जा रहा है।

आम खाया जा रहा है।

कपड़ा सिया जा रहा है।

३) भाववाच्य - क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चलता है कि वाक्य का उद्देश्य न तो क्रिया का कर्ता है और न कर्म, उसे भाववाच्य कहते हैं।

जैसे - बरसात में चला नहीं जाता।

बात कही नहीं जाती।

भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। भाववाच्य में यदि कर्ता कभी आता है तो उसे प्राय: करणकारक के रूप में ही लिखा जाता है।

जैसे - मोहन से गाया नहीं जाता।

राहुल से टहला नहीं जाता।

सीता से बैठा नहीं जाता।

दादा से पिया नहीं जाता।

सोहन से खाया नहीं जाता।

वाच्य के आधार पर क्रिया में रूपांतर :

वाच्य के आधार पर क्रिया में रूपांतरण या बदलाव होता है। इस रूपांतरण से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है या कर्म के विषय में अथवा भाव के बारे में, उदाहरण के रूप में निम्नलिखित वाक्यों को देखा जा सकता है।

जैसे - मोहन कविता लिखता है। (कर्तृवाच्य)

कविता लिखी जाती है। (कर्मवाच्य)

कैसे चला जाएगा। (भाववाच्य)

१) कर्तृवाच्य : वाक्य में कर्ता के विषय में विधान करनेवाले क्रिया के रूपांतर या बदलाव को कर्तृवाच्य कहते हैं।

जैसे - मोहन गीत गाता है।

लीला रोटी बनाती है।

सूरज पुस्तक पढ़ता है।

बच्चा चिल्लाता है।

कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह क्रियाओं में होता है। उपर्युक्त उदाहरणों में पहले तीन वाक्य सकर्मक हैं तथा अंतिम वाक्य अकर्मक है।

२) कर्मवाच्य : वाक्य में कर्म के विषय में विधान करनेवाले क्रिया के रुपांतर को कर्मवाच्य कहा जाता है।

जैसे - पुस्तक पढ़ी जाती है।

कपड़ा सिया जाता है।

गीत गाया जाता है।

यहाँ इस तथ्य को भी समझ लेना चाहिए कि कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है। कर्मवाच्य में कर्ता को लिखने की आवश्यकता यदि हो तो उसे करणकारक में ही लिखा जाता है।

जैसे - मोहन से चला नहीं जाता।

गिरीश से खाया नहीं जाता।

चंपा से बोला नहीं जाता।

३) भाववाच्य : क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य का उद्देश्य वाक्य का कर्ता अथवा कर्म नहीं है बल्कि भाव है, उस रूप को भाववाच्य कहते हैं।

जैसे - गोविंद से बैठा नहीं जाता।

सीता से लिखा नहीं जाता।

संजय से पढ़ा नहीं जाता।

हिंदी की वाक्यरचना में भाववाच्य के अन्तर्गत कर्ता का प्रयोग आवश्यक नहीं होता। प्रायः बोलते अथवा लिखते समय इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता का प्रयोग नहीं किया जाता।

११.२.२ काल : काल के आधार पर क्रिया में रूपांतर :

काल : क्रिया के उस रूपांतरण या बदलाव को काल कहते हैं जिससे यह पता चले कि क्रिया के होने का समय क्या है और क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण है।

काल के तीन रूप माने जाते हैं –

१. वर्तमान काल

२. भूतकाल

३. भविष्यत् काल

इन तीनों कालों का ज्ञान क्रिया के रूपों से होता है, इसीलिए क्रिया के रूप भी 'काल' कहलाते हैं। क्रिया की विविध अवस्थाओं के आधार पर हिंदी में काल के जो भेद स्वीकृत हैं उनके विवरण निम्नवत हैं -

काल	सामान्य	अपूर्ण	पूर्ण
वर्तमान	वह चलता है।	वह चल रहा है।	वह चल चुका है। वह चला है।
भूत	वह चला	वह चल रहा था।	वह चल चुका था। वह चला था।
भविष्यत्	वह चलेगा	--X--	--X--

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि किस तरह काल के आधार पर क्रिया में रूपांतरण या विकार होता है। अर्थात अलग - अलग कालों में क्रिया का रूप बदल जाता है।

११.२.३ अर्थ : अर्थ के आधार पर क्रिया में रूपांतरण :

अर्थ : क्रिया के जिस रूप से विधान अथवा कथन करने की रीति का पता चलता है, उसे अर्थ कहते हैं।

जैसे - मोहन पढ़ता है। (निश्चय)

तुम जाओ। (आज्ञा)

शायद वह करे। (संभावना)

यदि वह जाता तो अच्छा होता। (संकेत)

क्रिया के रूपों से केवल समय की पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का ही ज्ञान नहीं होता, बल्कि निश्चय, संदेह, संभावना, आज्ञा, संकेत आदि का भी बोध होता है। इन रूपों से काल और अर्थ दोनों का बोध होता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में क्रियाओं के मुख्य पाँच अर्थ होते हैं। इन पाँचों का विवरण निम्नवत है-

१. निश्चयार्थ

२. संभावनार्थ

३. संदेहार्थ

४. आज्ञार्थ

५. संकेतार्थ

अर्थों के अनुसार क्रिया में रूपांतर :

अर्थ के अनुसार क्रिया में होनेवाले रूपांतरण को निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है।

१. सामान्य वर्तमान काल - वह चलता है। (निश्चयार्थ)

२. पूर्ण वर्तमान काल - वह चल चुका है। (निश्चयार्थ)

३. सामान्य भूतकाल - वह चला। (निश्चयार्थ)

४. अपूर्ण भूतकाल - वह चलता था (निश्चयार्थ)

५. पूर्ण भूतकाल - वह चल चुका था। (निश्चयार्थ)

६. सामान्य भविष्यत्काल - वह चलेगा (निश्चयार्थ)

७. संभाव्य वर्तमान काल - वह चलता हो। (संभावनार्थ)

८. संभाव्य भूतकाल - वह चला हो। (संभावनार्थ)

९. संभाव्य भविष्यत् काल - वह चले।

१०. संदिग्ध वर्तमान काल - वह चलता होगा। (संदेहार्थ)

११. संदिग्ध भूतकाल - वह चला होगा (संदेहार्थ)

१२. प्रत्यक्ष विधि - तू चल (आज्ञार्थ)

१३. परोक्ष विधि - तू चलना (आज्ञार्थ)

१४. सामान्य संकेतार्थ - वह चलता है (संकेतार्थ)

१५. अपूर्ण संकेतार्थ - वह चलता होता (संकेतार्थ)

१६. पूर्ण संकेतार्थ - वह चला होता। (संकेतार्थ)

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि किस प्रकार अर्थ के आधार पर क्रिया रूपांतरित होती है।

११.२.४ लिंग, पुरुष और वचन के आधार पर क्रिया में होने वाले रूपांतरण :

पुरुष, लिंग और वचन के आधार पर भी क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। हिंदी में तीन पुरुष (उत्तम, मध्यम और अन्य) दो लिंग (पुल्लिंग और स्त्रीलिंग) तथा दो वचन (एकवचन व

बहुवचन) होते हैं। इनके आधार पर क्रिया में होनेवाले परिवर्तनों को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से समझने की हम कोशिश करेंगे -

पुल्लिंग -

पुरुष	**एकवचन**	**बहुवचन**
उत्तम पुरुष	मैं चलता हूँ।	हम चलते हैं।
मध्यम पुरुष	तू चलता है।	तुम चलते हो।
अन्य पुरुष	वह चलता है।	वे चलते हैं।

स्त्रीलिंग -

पुरुष	**एकवचन**	**बहुवचन**
उत्तम पुरुष	मैं चलती हूँ।	हम चलती हैं।
मध्यम पुरुष	तू चलती है।	तुम चलती हो।
अन्य पुरुष	वह चलती है।	वे चलती हैं।

उपर्युक्त उदाहरणों से पुरुष, वचन व लिंग के आधार पर क्रिया में होनेवाले रूपांतरण स्पष्ट हैं, किंतु एक बात जिसे हमें समझ लेनी चाहिए वह यह है कि संभाव्य भविष्यत् और विधि कालों में लिंग के कारण कोई बदलाव नहीं होता।

११.३ सारांश :

सारांशतः क्रिया वाक्य रचना का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। क्रिया में रूपांतर के आधार को अर्थात वाच्य, काल, अर्थ, लिंग, पुरुष और वचन को स्पष्ट किया है। विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्रिया में होनेवाले रूपांतरों के विभिन्न कारक तत्वों की विवेचना बिंदुवार की गई है, जिससे विषयवस्तु की स्पष्ट समझ बनती है। विद्यार्थी विषय को वैज्ञानिक रूप से समझकर उसका विश्लेषण व प्रयोग अपने जीवन में कर सकेंगे।

११.४ लघूत्तरीय प्रश्न :

१. वाच्य के भेद कितने है?

उ : वाच्य के कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य ऐसे तीन भेद है।

२. किस वाच्य में वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म होता है?

उ : कर्मवाच्य में वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म होता है।

३. वाक्य में कर्ता के विषय में विधान करने वाले क्रिया के रूपांतर को क्या कहते है?

उ : कर्तृवाच्य।

११.५ दीर्घोत्तरी प्रश्न :

१. क्रिया में रूपांतर के आधार पर वाच्य और काल पर विस्तार से प्रकाश डालिए?

२. लिंग, पुरूष और वचन के आधार पर क्रिया के रूपांतर को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए?

११.६ संदर्भ ग्रंथ :

१. हिंदी भाषा का इतिहास - धीरेंद्र वर्मा

२. हिन्दी भाषा - डॉ. भोलानाथ तिवारी

३. मानक हिन्दी व्याकरण - डॉ. पृथ्वीनाथ पाण्डेय

४. हिन्दी व्याकरण - पं. कामता प्रसाद गुरू

५. व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण एवं रचना - डॉ. संतोष चौधरी

६. व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण - श्यामचन्द्र कपूर

❊❊❊❊❊❊❊